प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा
(डी.एल.एड.)

पाठ्यक्रम-507
समुदाय और प्राथमिक शिक्षा

ब्लॉक-2
विद्यालय प्रणाली

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान
A 24/25, सांस्थानिक क्षेत्र, सैक्टर-62 नौएडा,
गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश-201309
वैबसाइट : www.nios.ac.in

विशेषज्ञ समिति

डॉ. सीतांशु एस. जेना
(अध्यक्ष)
राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी षिक्षा संस्थान, नोएडा

श्री बी. के. त्रिपाठी
आईएएस, प्रधान सचिव, मासवि
झारखंड सरकार, रांची

प्रो. ए. के. शर्मा
भूतपूर्व निदेषक,
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रषिक्षण परिषद
नई दिल्ली

प्रो. एस.वी.एस. चौधरी
भूतपूर्व उपाध्यक्ष
रा.अ.शि.प. नई दिल्ली

प्रो. सी.बी. शर्मा
शिक्षा विद्यापीठ,
इ.गा.रा.मु.वि. नई दिल्ली

प्रो. एस. सी. अगरकर
प्रो. होमी भाभा विज्ञान षिक्षा केन्द्र, मुम्बई

प्रो. नागाराजु
भूतपूर्व प्रधानाचार्य
क्षे.शि.सं. (रा.शै.अ.प्र.प.) मैसूर

प्रो. के. दोराईसामी
भूतपूर्व विभागाध्यक्ष, अध्यापक शिक्षा
एवं विस्तार विभाग, रा.शै.अ.प्र.प.
नई दिल्ली

डा. बी. फलाचन्द्र
भूतपूर्व अनुदेशन विभागाध्यक्ष
क्षे.शि.सं. (रा.शै.अ.प्र.प.) मैसूर

प्रो. के.के. वशिष्ठ
भूतपूर्व विभागाध्यक्ष, प्रा. शि. विभाग
रा.शै.अ.प्र.प., नई दिल्ली

प्रो. वसुधा कामठ
कुलपति
एस.एन.डी.टी.,
महिला वि.वि. मुंबई

डा. हुमा मसूद
शिक्षा विशेषज्ञ, यूनस्को
नई दिल्ली

प्रो. पवन सुधीर
विभागाध्यक्ष, कला एवं सौंदर्य विभाग,
रा.शै.अ.प्र.प., नई दिल्ली

श्री बिनय पटनायक
शिक्षा विशेषज्ञ, यूनिसेफ, रांची

डॉ. कुलदीप अग्रवाल
निदेषक (षैक्षिक)
राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी षिक्षा संस्थान, नोएडा

प्रो, एस. सी. पांडा
वरिष्ठ सलाहकार, (शैक्षिक)
राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी षिक्षा संस्थान, नोएडा

डा. कंचन बाला
कार्यकारी अधिकारी (षैक्षिक)
राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी षिक्षा संस्थान, नोएडा

पाठ्य समन्वयक एवं संपादक

प्रो. एस. सी. पांडा
वरिष्ठ परामर्षदाता, अध्यापक षिक्षा, शैक्षिक विभाग
राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी षिक्षा संस्थान, नोएडा

डॉ. कंचन बाला
कार्यकारी अधिकारी (षैक्षिक विभाग)
राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी षिक्षा संस्थान, नोएडा

पाठ लेखक

डॉ. स्मृति पाहवा
प्रथम, नई दिल्ली

डॉ. निशा रिंह
उप निदेषक, आई यू सी, इग्नू, नई दिल्ली

डॉ. प्रदीप कुमार
सहायक प्रोफेसर
एस ई डी एस, इग्नू, नई दिल्ली

प्रो. वी. पी. गर्ग
भूतपूर्व प्रोफेसर रा.शै.अ.प्र.प., नई दिल्ली

डॉ. राजश्री प्रधान
वरिष्ठ प्रवक्ता, डायट, कडकडडूमा, दिल्ली

डॉ. चम्पा पन्त
वरिष्ठ प्रवक्ता, डायट, राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली

डॉ. हेमा पन्त
उप निदेषक, क्षेत्रीय कार्यालय, इग्नू, नोएडा

डॉ. नीरज त्रिवेदी
प्रथम, नई दिल्ली

श्री कार्तिक दलाई
उप निदेषक, क्षेत्रीय कार्यालय, इग्नू, **द्वारका**

डॉ. सुनीता चुघ
सहायक प्रोफेसर, न्यूपा, नई दिल्ली

पाठय वस्तु संपादक

डॉ. सीतांशु एस. जेना
अध्यक्ष,राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी षिक्षा संस्थान, नोएडा

अनुवादक

डा. चंपा पन्त
वरिष्ठ प्रवक्ता, डायट
राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली

श्रीमति अनुराधा
प्रवक्ता, डायट,
कडकडडुमा, दिल्ली

डा. अनिल कुमार तेवतिया
वरिष्ठ प्रवक्ता
एस.सी.ई.आर.टी. दिल्ली

डा. सतनाम सिंह
वरिष्ठ प्रवक्ता
एस.सी.ई.आर.टी. दिल्ली

डा. सत्यवीर सिंह
प्रधानाचार्य
एस. एन. आई. कॉलिज, पिलाना, बागपत (उ.प्र.)

डा. वीरेन्द्र सिंह
रीडर, डी. जे. पी. जी. कालेज, बड़ौत
बागपत(उ.प्र.)

कार्यक्रम समन्वयक

डॉ. कुलदीप अग्रवाल
निदेषक (षैक्षिक)
राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी षिक्षा संस्थान, नोएडा

प्रो, एस. सी. पांडा
वरिष्ठ परामर्षदाता (अध्यापक षिक्षा),
शैक्षिक विभाग,
राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी षिक्षा संस्थान, नोएडा

डॉ. कंचन बाला
कार्यकारी अधिकारी (षैक्षिक)
राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी षिक्षा संस्थान, नोएडा

आवरण संकल्पना एवं रूपांकन

श्री डी.एन. उप्रेती
प्रकाशन अधिकारी, मुद्रण,
राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी षिक्षा संस्थान, नोएडा

धर्मानन्द जोशी
कार्यकारी सहायक, मुद्रण
राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी षिक्षा संस्थान, नोएडा

टाईपसैटिंग

मैसर्स शिवम ग्राफिक्स
रानी बाग, 431, ऋषि नगर
दिल्ली–110034

लिपिकीय सहयोग

सुश्री सुषमा, कनिष्क सहायक, शैक्षिक,
राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, नोएडा

अध्यक्ष का संदेश.....

प्रिय अधिगमकर्ता,

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन है। माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर पर लगभग 2.02 करोड़ अधिगमकर्ताओं के साथ वर्तमान में यह विश्व की सबसे बड़ी मुक्त विद्यालयी शिक्षण प्रणाली है। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान के पास अपने शैक्षिक एवं व्यावसायिक कार्यक्रमों के लिए देश में और उसके बाहर 15 से अधिक क्षेत्रीय केंद्रों, 2 उपकेंद्रों और 5000 अध्ययन केंद्रों का राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय तन्त्र है। यह अधिगमकर्त्ताओं को मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से केंद्रिक गुणवत्ता-शिक्षा, कौशल विकास और प्रशिक्षण का उपागम उपलब्ध कराता है। इसके कार्यक्रमों का वितरण मुद्रित सामग्री के माध्यम से मुखाभिमुख शिक्षण से युग्मित, सूचना एवं संचार तकनीकि, श्रव्य-दृश्य कैसेट्स, आकाशवाणी प्रसारण, दूरदर्शन प्रसारण आदि से अनुपूरित होता है।

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान को प्रारंभिक स्तर पर अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए अधिकार संपन्न किया गया है। प्रारम्भिक शिक्षा डिप्लोमा कार्यक्रम के लिए प्रशिक्षण प्रस्ताव राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान द्वारा उस क्षेत्र में कार्यरत अन्य अभिकरणों के सहयोग से विकसित किया गया है। यह संस्थान शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अनुसार विभिन्न राज्यों में अप्रशिक्षित अंत:सेवी शिक्षकों के लिए प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रम में एक बहुत ही नवीन एवं चुनौतीपूर्ण द्वि-वर्षीय उपाधि प्रदान करता है।

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान के प्रारंभिक शिक्षा डिप्लोमा कार्यक्रम के इस उपाधि पाठ्यक्रम में आप सबका स्वागत करते हुए मुझे सुखानुभूति हो रही है। मैं आपके राज्य के बच्चों के प्रारंभिक-शिक्षा में योगदान के लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के अनुसार सभी शिक्षकों के लिए व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित होना अनिवार्य हो गया है। हम समझते हैं कि एक अध्यापक के रूप में आपका अनुभव, एक अच्छा शिक्षक होने के लिए आवश्यक अपेक्षित कौशल आपको पहले ही प्रदान कर चुका है। चूंकि कानून द्वारा अब यह अनिवार्य है अत: आपको यह कार्यक्रम पूर्ण करना पड़ेगा। मैं आश्वस्त हूं कि आपके द्वारा अब तक संचित ज्ञान और अनुभव निश्चय ही आपको इस कार्यक्रम में सहयोग प्रदान करेगा।

प्रारम्भिक शिक्षा डिप्लोमा कार्यक्रम में प्रशिक्षण मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा विधि के माध्यम से दिया जाता है और एक शिक्षक के रूप में आपके नियमित कार्य को बाधित हुए बिना आपको पेशेवर रूप से प्रशिक्षित होने का विस्तृत अवसर प्रदान करता है। विशेष रूप से आपके उपयोग के लिए विकसित स्व-अनुदेशात्मक सामग्री आपको सेवा के लिए योग्य होने के अतिरिक्त आपकी समझ सृजित करने और एक अच्छा शिक्षक होने में सहायक होनी चाहिए।

इस महान प्रयत्न में शुभकामनाओं सहित!

एस.एस. जेना

अध्यक्ष

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान

पाठ्यक्रम अवधारणा मानचित्र

पाठ्यक्रम-507 समुदाय और प्राथमिक शिक्षा

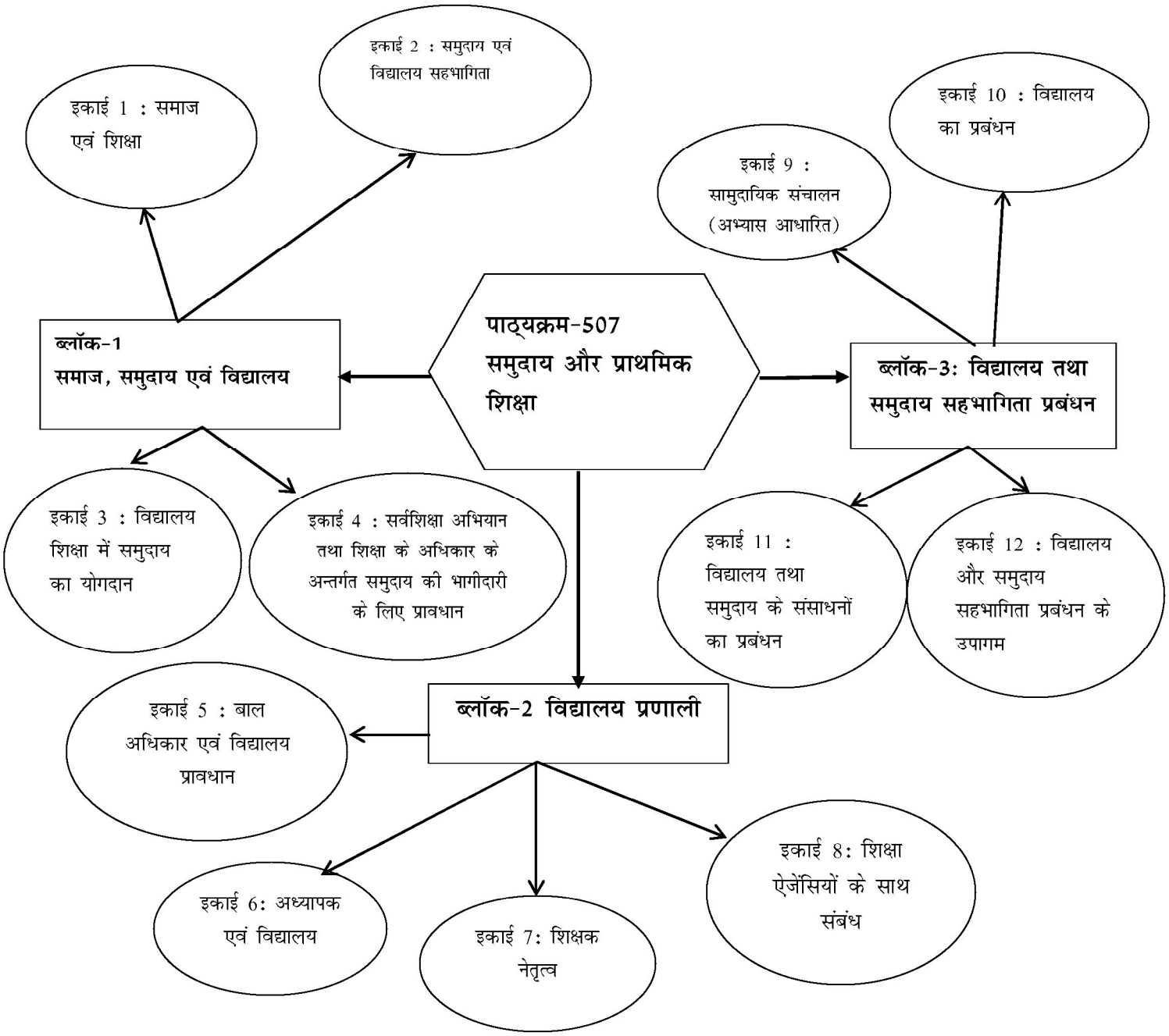

श्रेय अंक (4=3+1)

खण्ड	इकाई	इकाई का नाम	सैद्धान्तिक अध्ययन अवधि (घंटों में)		प्रयोगात्मक अध्ययन
			विषय-वस्तु	क्रियाकलाप	
ब्लॉक-1 समाज, समुदाय एवं विद्यालय	**इकाई 1**	समाज एवं शिक्षा	3	1	• परिवेष में उपलब्ध षैक्षिक सुविधाओं तथा समाज के मध्य संबध स्थापित करना।
	इकाई 2	समुदाय एवं विद्यालय	4	2	• अपने विद्यालय के षिक्षार्थियों के सांस्कृतिक विकास में समुदाय के प्रभाव का पता लगाना। • अपने विद्यालय प्रणाली में उदाहरण सहित जीवन कौषलों के विकास की प्रक्रिया का पता लगाना।
	इकाई 3	विद्यालय शिक्षा में समुदाय का योगदान	4	2	• क्षेत्रीय समुदाय आपके विद्यालय को किस प्रकार योगदान करता है? • आपका विद्यालय अपने हित के लिए क्षेत्रीय संसाधनों का संचालन किस प्रकार करता है?
	इकाई 4	सर्वशिक्षा अभियान तथा शिक्षा के अधिकार के अन्तर्गत समुदाय की भागीदारी के लिए प्रावधान	4	3	• उन परिस्थितियों का पता लगाना जहां आपका विद्यालय षिक्षा के अधिकार कानून का जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता है? • अपने विद्यालय प्रणाली में अभिथावक षिक्षक संघ के योगदान का पता लगाना।
ब्लॉक-2 विद्यालय प्रणाली	**इकाई 5**	बाल अधिकार एवं विद्यालय प्रावधान	4	2	• अपने विद्यालय में उपलब्ध षैक्षिक तथा भौतिक सुविधाओं के उपयोग करने में आने वाली समस्याओं का पता लगाना। • उन परिस्थितियों का पता लगाना जहां आपके विद्यालय में बाल अधिकारों की अवहेलना की जाती हो।
	इकाई 6	अध्यापक एवं विद्यालय	4	2	• उन परिस्थितियों का पता लगाना जहां आप अपने विद्यालय में एक षिक्षक की भूमिका का निर्वहन करनें में असफल होते हैं। • आप अपने आपको समुदाय के नेता के रूप में कैसे सिद्ध करोंगे।
	इकाई 7	शिक्षक नेतृत्व	4	2	• आप किस प्रकार के नेतृत्व को पसन्द करते हैं और क्यों? • आप अपने विद्यालय में एक षिक्षक के रूप में किस प्रकार के नेतृत्व का प्रदर्षन करना चाहेंगें?
	इकाई 8	शिक्षा ऐजेंसियों के साथ	5	2	• अपने क्षेत्र में अन्य महत्वपूर्ण षैक्षिक

		संबंध			ऐजेंसियों की भूमिकाओं का पता लगाना। • समुदाय के साथ बेहतर संबंध स्थापित करने के लिए अपने साथी अध्यापकों एवं मुख्याध्यापकों की भूमिका परीक्षण करना।
ब्लॉक-3 विद्यालय तथा समुदाय सहभागिता प्रबंधन	**इकाई 9**	सामुदायिक संचालन (अभ्यास आधारित)	5	3	• सामुदायिक गतिषीलता की आवष्यकता क्यों है? • अपने विद्यालय द्वारा सामुदायिक गतिषीलता हेतु किये जाने वाले कार्य क्या हैं?
	इकाई 10	विद्यालय का प्रबंधन	3	2	• आप अपने विद्यालय में किस प्रकार का प्रबंधन परान्द करते हैं? • अपने विद्यालय प्रणाली में प्रबंधन के घटकों का पता लगाना।
	इकाई 11	विद्यालय तथा समुदाय के संसाधनों का प्रबंधन	3	1	• अपने विद्यालय प्रणाली में आर्थिक संसाधन ऐजेंसियों की भूमिकाओं का पता लगाना।
	इकाई 12	विद्यालय और समुदाय सहभागिता प्रबंधन के उपागम	3	2	• विद्यालय और समुदाय सहभागिता के साथ जुड़े सामाजिक न्याय की सार्थकता। • अपने विद्यालय प्रणाली की लागत लाभ विष्लेषण करना।
		शिक्षण	20	-	
		कुल	66	24	30
कुल योग		**कुल योग**	**66+24+30=120**		

ब्लॉक-2
विद्यालय प्रणाली

इकाई 5 : बाल अधिकार एवं विद्यालय प्रावधान

इकाई 6 : अध्यापक एवं विद्यालय

इकाई 7 : शिक्षक नेतृत्व

इकाई 8 : शिक्षा ऐजेंसियों के साथ संबंध

खंड प्रस्तावना

आप शिक्षार्थी के रूप में खण्ड-2: विद्यालय प्रणाली का अध्ययन करेंगे। इस खण्ड में बाल अधिकार एवं विद्यालय प्रावधान, अध्यापक एवं विद्यालय, शिक्षक का नेतृत्व, शिक्षा अभिकरणों के साथ संबंध तथा सामुदायिक संचालन पर आधारित पाँच इकाईयाँ है। प्रत्येक इकाई भागों तथा उपभागों में विभाजित है। इससे पहले आप खण्ड 1 समाज, समुदाय एवं विद्यालय का अध्ययन कर चुके हैं।

इकाई-5 बाल अधिकार एवं विद्यालय प्रावधान

इस इकाई को पढ़ने के पश्चात् आप शिक्षा के संदर्भ में बाल अधिकारों को जान सकेंगे। आप शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में बाल अधिकारों से संबंधित मुख्य विशेषताओं को समझ सकेंगे। आप विद्यालय, पहुँच, समानता एवं गुणवत्ता तथा विद्यालयी संसाधनों का अर्थ तथा अवधारणा को आत्मसात कर सकेंगे। आप शिक्षार्थी एवं शिक्षार्थी एवं शिक्षार्थी केन्द्रित शिक्षा को भी जान सकेंगे।

इकाई-6 अध्यापक एवं विद्यालय

इस इकाई को पढ़ने के पश्चात् आप बदलते हुए विद्यालयी संदर्भों को समझ सकेंगे तथा अध्यापक के समझ आने वाली विभिन्न चुनौतियों को जान लेंगें। यह इकाई आपको सर्वशिक्षा अभियान, अध्यापन एक व्यवसाय के रूप में तथा शिक्षा प्रणाली में शिक्षकी की भूमिका को समझ सकेंगे। आप राष्ट्रीय स्तर पर अध्यापक के व्यावसायिक हेतु किए गए प्रयासों को सूचीबद्ध कर सकेंगे। आप समुदाय की एक संसाधन के रूप में तथा समुदाय में अध्यापक के नेतृत्व को भी समझ सकेंगे।

इकाई-7 शिक्षक नेतृत्व

यह इकाई आपको नेतृत्व के प्रत्यय की व्याख्या करने के योग्य बनाएगी। आप विश्लेषण कर सकेंगे कि किस प्रकार नेतृत्व, प्रबन्धन से भिन्न है। आप विभिन्न प्रकार के नेतृत्वों को पहचान सकेंगे तथा एक दूसरे में अन्तर कर सकेंगे। आप नेतृत्व के कार्यो का वर्णन करने के योग्य हो सकेंगे तथा विद्यालयी उद्देश्यों तथा लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु उचित नेतृत्व का चुनाव कर सकेंगे तथा एक नेता के रूप में शिक्षक की भूमिका पर चर्चा कर सकेंगे।

इकाई-8 शिक्षा ऐजेंसियों के साथ संबंध

यह इकाई आपको विभिन्न प्रकार की शिक्षा ऐजेंसियों के बारे में जानकारी प्रदान करेगी तथा इनके विद्यालय से संध को समझने में सक्षम बनाएगी। आप सरकार के साथ विद्यालय की विभिन्न प्रकार अन्तिर्किया को समझ सकेंगे। आप अध्यापक, मुख्याध्यापक तथा स्वतंत्र अभिकरणों की भूमिका पर चर्चा करने के योग्य हो सकेंगे।

विषय सूची

क्रम. सं.	*पाठ का नाम*	*पृष्ठ संख्या*
1.	इकाई 5 : बाल अधिकार एवं विद्यालय प्रावधान	1
2.	इकाई 6 : अध्यापक एवं विद्यालय	26
3.	इकाई 7 : शिक्षक नेतृत्व	49
4.	इकाई 8 : शिक्षा ऐजेंसियों के साथ संबंध	65

इकाई 5 बाल अधिकार और विद्यालय प्रावधान

टिप्पणी

संरचना

5.0 प्रस्तावना

5.1 अधिगम उद्देश्य

5.2 शिक्षा के लिये अधिकार मूलक उपागम

5.2.1 शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में बाल अधिकार

5.2.2 मानवाधिकार के रूप में शिक्षा का अधिकार

5.2.3 नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का बाल अधिकार कानून 2009

5.3 सम्पूर्ण विद्यालय उपागम

5.3.1 विद्यालय का अर्थ तथा अवधारणा

5.3.2 अभिगम्यता, समानता और गुणवत्ता

5.3.3 विद्यालय संसाधन–भौतिक सुविधायें

5.3.3.1 बालकों की सुरक्षा के लिये सुविधायें, बैठने का स्थान

5.3.3.2 मध्यान्ह भोजन के लिये सुविधायें

5.3.3.3 पेयजल, शौचालय, खेल का मैदान, की सुविधायें

5.4 सुगम बाल केन्द्रित शैक्षणिक प्रक्रियायें

5.4.1 बाल केन्द्रित उपागम-अवधारणा

5.4.2 शिक्षार्थी का समझना

5.5 सारांश

5.6 प्रगति जाँच के उत्तर

5.7 संदर्भ ग्रंथ एवं कुछ उपयोगी पुस्तकें

5.8 इकाई अंत्य अभ्यास

5.0 प्रस्तावना

इस पाठ्यक्रम के खंड 1 में आप शिक्षकों, अभिभावकों और समुदाय के बीच संबंध तथा विद्यालय के विकास में उनके योगदान के बारे में पढ़ चुके हैं। समुदाय एक मूल्यवान संसाधन होता है और यह विद्यालय के लिये समुदाय से प्रभावशाली सम्प्रेषण स्थापित करने में

टिप्पणी

महत्वपूर्ण होता है। इसके हेतु SSA तथा RTE के अन्तर्गत सामुदायिक भागीदारी के लिये प्रावधान किये गये हैं उदाहरण के लिये PTA, MTA, SMC आदि की पहले ही चर्चा की जा चुकी है।

इस खंड में आप विद्यालय व्यवस्थाओं और उनका बालकों के अधिगम पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में पढेंगे। एक अध्यापक के रूप में आपके लिये यह महत्वपूर्ण है कि आप विद्यालय की सुविधाओं और विद्यालय में अन्य संसाधनों के बारे में जाने तथा विद्यालय के विकास के संदर्भ में शिक्षा की गुणवत्ता में पूर्ण सुधार के लिये इनका मूल्यांकन करें। बाल केन्द्रित तथा बाल मैत्रीपूर्ण प्रक्रियाओं के साथ स्वस्थ एवं सुरक्षित वातावरण को सुनिश्चित करना विद्यालय व्यवस्था का उत्तरदायित्व है। इन्हें अब विविध अन्तर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय प्रावधानों के माध्यम से प्रत्याभूत किया जा चुका है, इन प्रावधानों के द्वारा राज्य को उपयुक्त आयु समूह के बालकों को गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिये बाध्य किया गया है। इस इकाई में आप मानवाधिकारों की रूपरेखा में बाल अधिकारों तथा विद्यालय प्रावधानों तथा ये किस प्रकार कक्षाकक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं पर प्रभाव डालते हैं, के बारे में पढ़ेंगे। आप एक प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक के रूप में अपनी भूमिका के सन्दर्भ में पूर्ण विद्यालयी विकास की अन्तर्निहित अवधारणाओं को समझेंगे।

5.1 अधिगम उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप योग्य हो जायेंगे।

- मानवाधिकार के रूप में शिक्षा के अधिकार की व्याख्या करने में।
- मानव अधिकारों के परिप्रेक्ष्य में बालक को परिभाषित करने में।
- सम्पूर्ण विद्यालय उपागम की अवधारणा को परिभाषित करने में।
- विद्यालय के भीतर तथा बाहर उपलब्ध विभिन्न संसाधों का वर्णन करने में।
- RTE Act 2009 में किये प्रावधानों से विद्यालय में उपलब्ध संसाधनों की तुलना करने में।
- विद्यालय जाने वाले बालकों के समक्ष विद्यालय तक पहुँच में आने वाली बाधाओं की सोदाहरण व्याख्या करने में।
- विद्यालय में बालकों के प्रदर्शन को प्रभावित करने वाले घटकों की चर्चा करने में।
- बाल केन्द्रित तथा बाल मैत्रीपूर्ण शिक्षण प्रक्रियाओं को अपनाने के प्रभावों का वर्णन करने में।

5.2 शिक्षा के लिये अधिकार मूलक उपागम

निम्न परिदृश्यों जो नगरीय क्षेत्रों में सामान्य तौर पर पाये जाते हैं, को पढ़कर अपना मत प्रकट कीजिये।

टिप्पणी

1. एक दंपति सोहन और मंजू हाउसिंग सोसायटी में रहने वाले लोगों के कपड़े प्रैस करने का कार्य करते हैं। उनकी 10 वर्ष तथा 8 वर्ष आयु की दो पुत्रियाँ हैं। ये दंपत्ति साक्षर हैं परन्तु औपचारिक विद्यालय में वे नहीं पढ़े हैं। वे सुबह 9 बजे से शाम 8 बजे तक कठिन परिश्रम करते हैं। उनके दोनों बच्चे विद्यालय जाते हैं। कभी-कभी विद्यालय के बाद और छुट्टियों के दिन वे अपने अभिभावकों की मदद, कपड़ों की गठरी अपने सिर पर रख कर सोसायटी में रहने वाले लोगों के घर से लाने तथा घर तक पहुँचाने का कार्य कर के करते हैं। जब कभी काम का बोझ अधिक होता है, बेटियों को अपने अभिभावकों की सहायता करने के लिये विद्यालय की छुट्टी करनी पड़ती है। बच्चों की विद्यालय से छुट्टी करा कर उन्हें अपने काम में लगा लेने पर रोक लगाने के लिये समाज के कुछ लोगों ने उन्हें चेतावनी भी दी है। क्षेत्र से निष्कासित हो जाने के भय से अभिभावक अब इस तरह का कार्य नहीं करते हैं।

2. महेश की नगर हाट में किराने की दुकान है। वह लोगों के घर पर सूचना आदान-प्रदान तथा किराने का सामान पहुँचाने के लिये 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को नौकरी पर रखता है। इन बालकों का विद्यालय में नामांकन नहीं हुआ होता है तथा ये बालक झुग्गी झोपड़ी/शहरी बस्तियों में रहने वाले गरीब परिवारों के लिये आय का एक साध न होते हैं। महेश इन बालकों का खुल्लमखुल्ला दुरुपयोग कर रहा है और उसका व्यापार फलफूल रहा है। किसी का इससे कोई सरोकार नहीं है।

3. लाजो एक आवासीय सोसायटी में कई घरों में घरेलू कार्यों में सहायता का कार्य करती है। उसका पति रिक्शा चालक है। उनके सात बच्चे हैं, पाँच पुत्रियाँ और दो पुत्र। केवल पुत्र ही विद्यालय जाते हैं और पुत्रियाँ या तो उनके मालिक के घरों पर या फिर अपने घर पर, भोजन पकाने, कपड़े धोने और/अथवा अन्य कोई घरेलू कार्य करती हैं। कुछ लोगों ने उनकी पुत्रियों का नामांकन निकट के सरकारी विद्यालय में करवाने की पेशकश की किन्तु अभिभावकों ने दृढ़ता से मना कर दिया। पुत्रियों को विद्यालय भेजने पर उनके परिवार की आय में भारी कमी हो जायेगी। उन्हें ऐसा करने से नहीं रोका जा सका और उन्होंने अपनी पुत्रियों को उनके शिक्षा के अधिकार से वंचित कर दिया।

ये बालकों के अभिभावकों और समुदाय द्वारा भी किये जाने वाले भद्दे दुरुपयोग और उनकी बुनियादी शिक्षा के अधिकार से उन्हें वंचित किये जाने के उदाहरण हैं।

आप सहमत होंगे कि समाज और व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता के सुधार में शिक्षा की अहम भूमिका होती है। यह आर्थिक समृद्धि, वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति हेतु महत्वपूर्ण निवेश प्रदान करती है, इस प्रकार यह गरीबी से लड़ने और सामाजिक समानता के प्रोत्साहन में सहायता करती है। वैयक्तिक और सामाजिक विकास की प्राप्ति में शिक्षा की केन्द्रीय भूमिका के बारे में जागरूकता फैलाने में विश्व स्तरीय प्रयास किये गये हैं। विद्यालय से बाहर के तथा विद्यालय बीच में ही छोड़ देने वाले बच्चों को बुनियादी शिक्षा प्रदान करने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों तथा संस्थाओं ने नीतियों का निर्माण किया। 1948 के संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकारों के घोषणा पत्र के अनुच्छेद 26 में घोषणा की गई कि प्रत्येक को शिक्षा का अधिकार है और वह शिक्षा निःशुल्क

तथा अनिवार्य होनी चाहिए। यह आगे भी मानव व्यक्तित्व के पूर्ण विकास की ओर शिक्षा प्रक्रियाओं में सभी प्रयासों को दिशा देने की आवश्यकता पर बल देता है। यह मानवाधिकारों की भावना को दृढ़ता प्रदान करेगा और सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के मौलिक अधिकार को सुनिश्चित करेगा। आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों पर अन्तर्राष्ट्रीय संधि (ICESCR) का अनुच्छेद 13 स्पष्ट रूप से कहता है–

"मानव अधिकार स्वयं में तथा अन्य मानवाधिकारों को कार्यान्वित करने के एक अनिवार्य साधन दोनों ही शिक्षा हैं।" इस प्रकार यह देखा गया है कि शिक्षा नारी सशक्तिकरण बच्चों को जोखिमों तथा शोषण से बचाने, मानवाधिकारों को प्रोन्नत करने तथा विकास, पर्यावरणीय सुरक्षा और जनसंख्या नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है।

(Chinobo 2005)

5.2.1 शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में बाल अधिकार

Rttp://www.studentsoftheworld.info/sites/childabuse.php

क्रियाकलाप-1

अपने विद्यालय या समुदाय में होने वाले बाल दुर्व्यवहार/दुरुपयोग के दो उदाहरणों (ऊपर दिये गये उदाहरणों से भिन्न) की सूची बनाइये, जिनके आप साक्षी रहे हों, या जिनके बारे में आपने पढ़ा अथवा सुना हो। घटनाओं पर अपनी प्रतिक्रिया का वर्णन कीजिये तथा इससे संबंद्ध कुछ किए जाने योग्य अथवा अपराधग्रस्त बालकों में आपके द्वारा किए जा सकने योग्य कार्यों के सुझाव दीजिये।

आप जानते ही हैं कि प्रत्येक समाज में बच्चों का दुरुपयोग तथा शोषण किया जाता है। यदि आप अपने आस-पास देखें तो आप बाल श्रम, अभिभावकों द्वारा बच्चों की पिटाई, शिक्षकों द्वारा शारीरिक दंड, जाति, लिंग के कारण विद्यालय में भेदभाव, आदि को देखेंगे। एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को आकार देने में अध्यापकों की निर्णायक भूमिका होती है।

टिप्पणी

विद्यार्थी के मन पर एक अच्छा अध्यापक गहरी छाप छोड़ता है जो उस पर जीवन पर्यन्त रहती है। घर के बाद वह अध्यापक ही है जो बालक के विकास पर प्रभाव डालता है। शिक्षक के रूप में बालकों के लिये कक्षा, विद्यालय तथा आस-पास के स्थान में स्वस्थ एवं सुरक्षित वातावरण की सुनिश्चितता का महान उत्तर दायित्व आप पर ही होता है। इसके लिये यह महत्वपूर्ण है कि आप स्वयं को केवल ज्ञान तथा अधिगम के वितरक की भूमिका की सीमाओं से पार जाकर देखें। अध्यापक के रूप में आपको परामर्शदाता, मार्गदर्शक, नेता, रक्षक तथा सामाजिक परिवर्तन का शक्तिशाली अभिकर्ता बनना होता है। बालक को दुरुपयोग एवं शोषण से रक्षा करने के योग्य बनाने के क्रम में आपको बाल अधिकारों को विशेषत: शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में समझने की आवश्यकता होती है।

'बालक' की परिभाषा

बाल-अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र संधि (UNCRC) ने बालक की परिभाषा दी है तथा जिसकी अधिकांश देशों ने पुष्टि की है। अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार परिभाषा है-''बालक का अर्थ है 18 वर्ष की आयु से कम का प्रत्येक मानव''

भारत में भी 18 वर्ष आयु से कम वाले व्यक्तियों की एक अलग वैधानिक पहचान होती है।

प्रगति जाँच -1

प्रश्नों के उत्तर दीजिये। उत्तर देने हेतु स्थान दिया गया है।

1. भारत में व्यक्ति (पुरुष और महिला) की किस न्यूनतम आयु को कानून द्वारा निर्धारित किया गया है जिसमें

   a) विवाह कर सके?

   b) वाहन चलाने हेतु वैध प्रमाणपत्र प्राप्त कर सके?

   c) अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके?

   अत: आपके आसपड़ौस/कस्बे/गाँव में 18 वर्ष से कम आयु के सभी व्यक्ति बालक हैं और इन्हें आपकी सुरक्षा तथा सहायता की आवश्यकता होती है।

2. बालकों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता क्यों होती है? ऐसा इसलिए है क्योंकि:-

   a) वे अपनी सरकारों की क्रियाओं या निष्क्रियताओं द्वारा अपने जीवन की परिस्थितियों में वयस्कों की तुलना में अधिक संवेदनशील (असुरक्षित) होते हैं

   b) हमारे समाज तथा अन्य समाजों में बालकों को उनके अपने मन, विचारों, और योग्यताओं को निर्णय लेने और समाज में योगदान करने में एक व्यक्ति की तरह नहीं देखा जाता।

   c) बालक मतदान नहीं कर सकते और उनकी आवाज नहीं सुनी जाती है।

   d) बालक दुरुपयोग और शोषण के कार्यों के लिये आघात योग्य होते हैं।

बाल अधिकारों की सुरक्षा के लिये सर्वाधिक महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय वैध उपकरण बाल अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र संधि (CRC) है। यह बालकों के लिये मानवाधिकारों पर केन्द्रित है क्योंकि वे संवेदनशील समूह होते हैं और उन्हें वयस्कों से विशेष मार्ग दर्शन तथा सुरक्षा की आवश्यकता होती है। आपको CRC के विविध लक्षणों (Features) की समझ होनी चाहिये, जो हैं:

i) 18 वर्ष तक की आयु के लड़कों तथा लड़कियों दोनों पर लागू होते हैं, उस दिशा में भी जब कि यदि वे शादीशुदा हैं तथा उनके अपने बच्चे भी है।

ii) ''बालक का सर्वोत्तम हित' तथा 'भेदभाव रहित' और 'बालक के विचारों को सम्मान' के सिद्धान्तों द्वारा यह संधि निर्देशित है।

iii) यह परिवार के महत्व तथा एक ऐसे वातावरण के निर्माण पर जो बालकों के स्वस्थ वृद्धि तथा विकास के लिये हितकारी हो, पर जोर देती है।

CRC ने नागरिक, राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों के चार समूहों की ओर ध्यान आकर्षित किया है।

- उत्तर जीविता
- विकास
- सुरक्षा
- भागीदारी

ये अधिकार परस्पर निर्भर होते हैं परन्तु उनकी प्रकृति के कारण उन्हें तात्कालिक अधिकारों और प्रगतिशील अधिकारों में वर्गीकृत किया गया है।

तात्कालिक अधिकार (नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार) वे अधिकार होते हैं जिनमें a) भेदभाव, (b) दंड, (c) आपराधिक मामलों में निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, (d) बाल अपराधों के लिये पृथक न्याय व्यवस्था, (e) जीवन का अधिकार, (f) राष्ट्रीयता का अधिकार, (g) परिवार के साथ पुन: एकीकृत होने का अधिकार से संबंधित मुद्दों को सम्मिलित किया जाता है।

प्रगतिशील अधिकार तत्काल ध्यान दिए जाने तथा कार्यवाही किए जाने की माँग करते हैं। प्रगतिशील अधिकारों में मुख्यत: स्वास्थ्य, शिक्षा तथा अन्य आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों को सम्मिलित किया जाता है। प्रगतिशील अधिकारों से संबंधित CRC राज्यों को उनके पास उपलब्ध संसाधनों के अनुसार तथा आवश्यकता होने पर अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की रूपरेखा के अन्तर्गत कार्यवाही करने की आज्ञा दे सकता है।

इस प्रकार शिक्षा का अधिकार CRC के प्रगतिशील मानवाधिकारों के क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। अध्यापक के रूप में कार्य करते हुए आपको यह सुनिश्चित करना चाहिये कि आपकी देखरेख में बालक सभी प्रकार के:-

टिप्पणी

- शोषण
- दुरुपयोग
- अमानवीय अथवा अपमानजनक व्यवहार
- नगण्यता (महत्वहीनता)

से सुरक्षित हैं।

सभी बालकों को उनके सामाजिक, आर्थिक अथवा भौगोलिक परिस्थितियों के कारण दुरुपयोग एवं शोषण से सुरक्षा की आवश्यकता होती है।

क्रियाकलाप-2

- अपने विद्यालय से बाहर के बालकों के पाँच वर्गों की सूची बनाइये जिन्हें आपके विशेष ध्यान और सुरक्षा की आवश्यकता हो सकती है। उदाहरण के लिये एक वर्ग-बेघर बालकों का हो सकता है।
- बालकों के समक्ष स्थित समस्याओं को पहचानने के लिये आपको तैयार तथा सुसज्जित होना चाहिये तथा विद्यालय के बाहर अथवा अंदर बालकों के दुरुपयोग या शोषण होने से सुरक्षा के संभावित तरीकों की खोज भी करना चाहिए।

5.2.2 मानव अधिकार के रूप में शिक्षा का अधिकार

आपने पिछले खंड में अन्तर्राष्ट्रीय वैधानिक दस्तावेजों (प्रपत्रों) के बारे में पढ़ा जिनमें शिक्षा को मानव अधिकार के रूप में ग्रहण किया जाता है। बालकों के अधिकारों को भारतीय संविधान भी प्रत्याभूत करता है, जो निम्न हैं–

1. 6-14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बालकों के लिये निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (अनुच्छेद 21A)
2. 14 वर्ष की आयु तक के बालकों को किसी भी प्रकार के जोखिम वाले रोजगार (आजीविका) से सुरक्षा का अधिकार (अनुच्छेद 24)
3. दुरुपयोग होने से तथा आर्थिक आवश्यकताओं के दबाव में उनकी आयु या सामर्थ्य के अनुपयुक्त व्यवसाय में प्रवेश से सुरक्षा का अधिकार (अनुच्छेद 39 (e)
4. स्वस्थ तरीके से विकसित होने हेतु समान अवसरों एवं सुविधाओं का स्वतंत्रता की परिस्थितियों में और प्रतिष्ठा और बचपन की प्रत्याभूतित (गारंटीड) सुरक्षा, तथा शोषण के विरूद्ध युवा एवं नैतिकता के विरुद्ध सामग्रियों के परित्याग का अधिकार (अनुच्छेद 39 (f))

ऐसी पवित्र शिक्षा, जो मानव अधिकारों के लिये सम्मान को तथा बालको की मौलिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित करती है, को प्रदान करने में विद्यालयों की निर्णायक भूमिका होती है। में प्रदत्त

टिप्पणी

शिक्षा मानव व्यक्ति के पूर्ण विकास को प्राप्त करने की दिशा में निर्देशित होनी चाहिए। शिक्षा के अधिकार मूलक उपागम क अन्तर्गत अवधारणा है कि यह एक ऐसे आदर्श विद्यालय का वर्णन करती है जो सभी को निशुल्क, अनिवार्य तथा गुणात्मक शिक्षा प्रदान करेगा। यह राज्य और इसकी संस्थाओं–विद्यालयों के उनकी प्रशासनिक संरचनाओं के द्वारा, (SMC तथा PTA) और शिक्षा मंत्रालय के माध्यम से लोक शिक्षा को शक्तिशाली बनाने का लक्ष्य निध र्रित करती हैं। शिक्षा के अधिकार को पूर्ण करने हेतु राज्य की जिम्मेदारी ऐसे उपागम में निहित होती है। राज्य को ऐसी नीतियों और प्रथाओं को अपनाना होता है जो भेदभाव मिटाकर सभी को समान रूप से शिक्षा का अवसर प्रदान करती हैं। सभी राज्यों के समक्ष यह चुनौती रूप में उपस्थित है।

5.2.3 नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का बाल अधिकार कानून 2009

एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में हमारे देश में शिक्षा के सार्वभौमिकरण (UEE) को प्राप्त करने के लिये किये गये प्रयासों की जानकारी रखना आपके लिये महत्वपूर्ण है। इन योजनाओं के बारे में आप पाठ्यक्रम 1 में पढ़ चुके हैं।

स्वतंत्रता के पश्चात् भारत सरकार ने बालको को नि:शुल्क, अनिवार्य और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की वचन वद्धता को विविधनीतियों, कार्यक्रमों तथा पहलों के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। EFA के उद्देश्यों को पूर्ण करने के मार्ग में आने वाली चुनौतियों का सरकारी, गैर–सरकारी संगठनों, स्वयं सेवी संस्थाओं तथा अन्य लोगों ने साझा रूप से सामना किया है। स्वतंत्रता के बाद के भारत में विभिन्न आयोगों तथा समितियों ने राष्ट्रीय प्रगति तथा सुरक्षा के लिये शिक्षा व्यवस्था के पुनर्निर्माण तथा पुनर्गठन की आवश्यकता को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है।

सभी राज्यों तथा केन्द्रशासित प्रदेशों में UEE अभियान का विस्तार करने के लिये साल 2000 में भारत सरकार ने सर्वशिक्षा अभियान (SSA) प्रारंभ किया। SSA का मूल कार्य UEE के लक्ष्य को निश्चित समय सीमा में प्राप्त करना, गुणात्मक शिक्षा पर जोर देना तथा जमीनी स्तर की संस्थाओं को इस अभियान में शामिल करना था। 86वें संविधान संशोधन कानून 2002 के द्वारा प्रारंभिक नीति निर्देशक सिद्धान्त एक मौलिक अधिकार बन गये। इस कानून ने 6–14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बालकों के लिये नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया।

अनुच्छेद 21A कहता है–

''शिक्षा का अधिकार– 6–14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा राज्य द्वारा इस प्रकार प्रदान की जानी चाहिये जैसा राज्य के कानून द्वारा निर्धारित किया गया है।''

निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का बाल अधिकार (RTE) कानून 2009, अनुच्छेद 21A के अन्तर्गत वैधानिक प्रावधानों का प्रतिनिधित्व करता है। इसका तात्पर्य है कि प्रत्येक बालक को संतोषप्रद तथा समान गुणवत्ता वाली पूर्णकालिक प्राथमिक शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। यह शिक्षा विशेष मापदंडों तथा मानकों को पूरा करने वाले औपचारिक विद्यालय द्वारा प्रदान की जायेगी।

टिप्पणी

शब्द 'अनवार्य शिक्षा' यथोचित सरकार के लिये यह अनिवार्य बनाता है कि वह बालकों का विद्यालय में प्रवेश लेना, उपस्थित होना तथा प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करना सुनिश्चित करे तथा इस के संबंध में सुविधायें प्रदान करे। 'नि:शुल्क शिक्षा का अर्थ है कि विद्यालय में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक बालक को किसी भी प्रकार का शुल्क अथवा व्यय (शिक्षण शुल्क, वर्दी, पुस्तकें, अध्ययन सामग्री) देने की आवश्यकता न पड़े, जो उन्हें प्राथमिक शिक्षा जारी रखने और इसे पूर्ण करने से रोक सकती हैं।

RTE कानून 2009 को 1 अप्रैल 2010 से भारत के संवैधानिक मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 21A के साथ सम्मिलित कर क्रियान्वित किया जा चुका है। शिक्षा का अधिकार जो कि 6-14 वर्ष की आयु वर्ग के प्रत्येक बालक का गारण्टीशुदा बुनियादी मूलभूत अधिकार है। यह कानून न्यायसंगत वैधानिक रूपरेखा है जो कि बालकों को उचित गुणवत्ता की शिक्षा का अधिकार प्रदान करेगी। ऐसी एक शिक्षा व्यवस्था समानता तथा भेदभाव रहित सिद्धान्तों पर आधारित होगी। दूसरे शब्दों में इसका तात्पर्य है एक ऐसी शिक्षा जो चिंता, तनाव और भय से मुक्त है।

प्रगति जाँच-2

प्रश्न का उत्तर दीजिये। उत्तर हेतु स्थान दिया गया है।

1. शिक्षा के अधिकार के अतिरिक्त बालकों के लिये दो संवैधानिक अधिकारों की सूची बनाइये।

   .....

   .....

   .....

5.3 सम्पूर्ण विद्यालय उपागम

5.3.1 विद्यालय का अर्थ तथा अवधारणा

क्रियाकलाप-3

निकट के एक विद्यालय का भ्रमण कीजिये। विद्यालय के अन्दर उपलब्ध भौतिक तथा मानव संसाधनों की एक सूची बनाइये। अपने विद्यालय में उपलब्ध संसाधनों से इन संसाधनों की तुलना कीजिये।

खंड 5.3.2 में चर्चित RTE कानून 2009, राज्य को 6-14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चो को उसके निकट के विद्यालय में प्राथमिक शिक्षा पूर्ण होने तक, नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने को अनिवार्य बनाता है। पहुँच, समानता तथा गुणवत्ता के मुद्दों पर इस कानून द्वारा हस्तक्षेप संभावित हो गया है। इस प्रकार कोई भी UEE के उपागम में प्रतिमान स्थानांतरण को

टिप्पणी

बालकों के अधिकारों को प्रेरणास्रोत परिप्रेक्ष्य में अवलोकित कर सकता है। अब हम विद्यालय की अवधारणा का वर्णन करेंगे।

विद्यालय वह स्थान है जिसे एक समूह में शिक्षण और अधिगम के लिये नियुक्त किया गया है। इस क्रियाकलाप में संलग्न लोग शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी वर्ग, तथा विद्यार्थी होते हैं। विद्यार्थी शिक्षक की देखरेख में अधिगम करते हैं। विश्व के अधिकांश देशों में विभिन्न आयु स्तरों के अनुसार विभिन्न वर्गों के विद्यालयों के लिये सामान्यत: प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय शब्द का प्रयोग किया जाता है। पहले वर्ग के विद्यालयों में छोटे बालकों को तथा बाद के वर्ग में किशोरों को सम्मिलित किया जाता है।

एक विद्यालय का वर्णन एक ऐसे स्थान के रूप में होता है जहाँ पाठ्यक्रम का अध्ययन सरकार (केन्द्र/राज्य) या विश्व विद्यालय या कानून द्वारा गठित बोर्ड या केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार द्वारा इसके हेतु अधिकृत और एक या अधिक प्राधिकरणों की संतुष्टि करने वाली किसी अन्य संस्था जैसे शिक्षा निदेशालय, नगर निगम/समिति (इसके मानकों या कार्य क्षमताओं के संबंध में) द्वारा मान्यता प्राप्त अथवा प्रस्तावित होते है। ये नियमित कक्षायें चलाते हैं तथा अपने उम्मीदवारों को लोक परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिये भेजते हैं।

(पजंकर एवं पजंकर, 2010)

साधरण शब्दों में विद्यालय वह स्थान है जो कि

- शिक्षकों से पर्याप्त रूप से सुसज्जित होते हैं।
- जहाँ विद्यार्थी अधिगम में संलग्न होते हैं।
- जहाँ पर्याप्त स्थान वाला भवन होता है।
- कमरों, फर्नीचर, खेल का मैदान, शौचालय, पीने के पानी की सुविधा तथा अन्य संसाधनों से सुसज्जित होता है।
- बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिये वातावरण प्रदान करता है।

वर्तमान समाज में विद्यालय इस प्रकार की विभिन्न भूमिकाओं का निर्वहन करता है।

5.3.2 अभिगम्यता, समानता और गुणवत्ता

आपके लिए इस स्तर पर उन सुविधाओं और संसाधनों के बारे में जानना प्रासंगिक होगा जिन्हें प्रारंभिक विद्यालय के बच्चों के लिए RTE कानून 2009 में प्रदान किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि SSA के हस्तक्षेपों के द्वारा नियत समयावधि में इन्हें क्रियान्वित करवाया गया है। RTE कानून 2009 का क्रियान्वयन, एक ऐसा सम्पूर्ण विद्यालय उपागम की धारणा करता है, जिसके केन्द्र में अभिगम्यता, समानता और गुणवत्ता हैं। इसकी अवधारणायें अन्त: संबंधित तथा पारस्परिक निर्भर हैं। इनमें से प्रत्येक अवधारणा की उन के अर्थ की व्याख्या करने के लिये हमें पृथक रूप में चर्चा करनी चाहिये। तब आप समझेंगे कि ये किस प्रकार सम्पूर्ण विद्यालय उपागम से एकीकृत हैं।

टिप्पणी

अभिगम्यता

हमें पहले विद्यालय की भौतिक अभिगम्यता के मुद्दे पर चर्चा करनी होगी।

क्रियाकलाप-4

नीचे दिये गए उदाहरण को पढ़िए और चित्र का परीक्षण कीजिये।

दूरस्थ विद्यालय (PROBE, 1999)

सवाई माधोपुर के डूडापुरा गाँव (राजस्थान) में, विद्यालय एक अलग पहाड़ी पर स्थित है। छोटे बच्चों को वहाँ तक पहुँचने में कठिनाई होती है। मानसून के समय में रास्ते में पानी भर जाता है और विद्यालय हफ्तों या कभी-2 महीनों तक बंद रहता है।

चक्तोदार (सुल्तानपुर जिला, उ.प्र.) में कोई विद्यालय नहीं है। पड़ोस के गाँव ज्ञानपुर में सरकारी विद्यालय है, वहाँ तक पहुँचने के लिये बाजार से गुजरना पड़ता है। यह बच्चों के लिये असुरक्षित है तथा दूरी की समस्या को और जटिल बना देता है।

अतारवन (सीधी, म.प्र.) में विद्यालय, कई गाँव को सेवा प्रदान करता है। अधिकांश बस्तियाँ विद्यालय से 2-3 कि.मी. की दूरी पर स्थित हैं।

फोटो : के. आर. दीपक

आंध्र-उड़ीसा सीमा पर कोरापुट के समीप विद्यालय जाती बालिकायें। इन विद्यार्थियों को विद्यालय पहुँचने के लिए 6 कि.मी. चलना पड़ता है।

http://www.thehindu.com/education/article2134454.ece

भौतिक अभिगम्यता के संदर्भ में उन कठिनाइयों की चर्चा कीजिये जिनका सामना किसी नगरीय/उपनगरीय/ग्रामीण/जनजातीय विद्यालय में नामांकित बालकों को करना पड़ सकता है। आप नगरीय/उप-नगरीय/ग्रामीण/जनजातीय प्राथमिक विद्यालय में कार्य करने वाले अध्यापक के रूप में अपने अनुभवों से उदाहरण दे सकते हैं।

बस्तियों से विद्यालय की दूरी की विशेषत: देश के ग्रामीण तथा जनजातीय भागों में गंभीर समस्या है। विद्यालय, बालकों के पहुँचने के लिये न्यायसंगत दूरी के अन्दर होने चाहिये, जिससे कि बालक इस तक पहुँच सकें। इससे तात्पर्य यह है कि बालक जहाँ रहते हैं यदि वहाँ विद्यालय स्थित नहीं हैं. तब उन से विद्यालयी शिक्षा पूर्ण किए जाने की आशा नहीं की जा सकती हैं चाहें पहले वे विद्यालय में नामांकित किये जा चुके हों। RTE कानून बालकों को प्राथमिक विद्यालय की 'परिभाषित क्षेत्र अथवा पड़ोस की सीमा' के भीतर अभिगम्यता प्रदान करता है। RTE कानून, सभी राज्यों और संघीय क्षेत्रो को, परिभाषित क्षेत्र अथवा पड़ौस की सीमाओं के अन्तर्गत विद्यालय की उपलब्धता के स्पष्ट तस्वीर तक पहुँचने के लिये अनिवार्य बनाता है। इसका तात्पर्य विद्यालय मानचित्रण कार्य से है। यह संभव है कि एक विद्यालय कई पड़ोसियों को सेवायें प्रदान करे (अतरवन, सीधी और म.प्र. में विद्यालय के बारे में दिए गए उदाहरण को देखें) वैकल्पिक रूप में एक पड़ौस को एक से अधिक विद्यालय के साथ जोड़ा जा सकता है। मानचित्रण अन्तर पहचानने में सहायता करेगा और संकेत करेगा कि कहाँ नये विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता है।

प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण में भौतिक अभिगम्यता जितना ही महत्वपूर्ण मुद्दा सामाजिक अभिगम्यता का भी है। भारतीय संस्कृति, भाषा, जातीयता की विविधता और भौगोलिक वितरण बालकों की शिक्षा की अभिगम्यता को गहराई से प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए यदि किसी गाँव में उच्च प्राथमिक विद्यालय नहीं है तो यह माना जा सकता है कि उस गाँव की बालिकायें प्राथमिक विद्यालय की शिक्षा पूर्ण नहीं करेंगी। गाँवों में अभिभावक अपनी लड़कियों को कक्षा 5 से आगे की शिक्षा पूरी करने हेतु गाँव से बाहर भेजने में अनिच्छुक होते हैं। मानसिकता के बारे में संवेदनशील होने तथा ऐसी सामाजिक अवधारणाओं तथा भेदभाव पूर्ण व्यवहारों को दूर करने हेतु प्रयास करने की आवश्यकता होती है। विद्यालय के बाहर बालक के जीवन के अनुभवों को तात्विक रूप से पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकों से जोड़ने की भी आवश्यकता है। बालक के गौरव को उसकी अपनी भाषा, समाज और जीवन शैली को विद्यालयी अनुभवों द्वारा पुनर्बलित किया जाना चाहिये और साथ ही साथ विस्तृत जगत से अधिगम करने को प्रोत्साहित करना चाहिए।

समानता

क्रियाकलाप-5

निम्न समूहों से संबंधित अपनी कक्षा के छात्रों की एक सूची तैयार कीजिए:

अनुसूचित जाति, जनजाति, शारीरिक विकलांग, अल्पसंख्यक (मुस्लिम) तथा अन्य कोई समूह। एक माह की अवधि में कक्षा उपस्थिति पंजिका से उनकी उपस्थितियों का परीक्षण कीजिये। उनकी उपस्थिति की क्या स्थिति/ दशा है? अन्य छात्रों की उपस्थिति की तुलना में इनकी क्या स्थिति है? क्या लड़कियों तथा लड़कों की उपस्थितियों में अन्तर है? कम उपस्थिति के कारणों के बारे में छात्रों से चर्चा कीजिये। उनके द्वारा सामना किये गये समस्याओं को सूचीबद्ध कीजिये।

टिप्पणी

SSA का एक मुख्य लक्ष्य लिंग तथा सामाजिक अन्तर को पाटना तथा सभी बालकों में एक समान व्यवहार को पहुँचाना है। RTE में अधिकार आधारित तथा अधिकृत उपागम बहिष्करण के मुद्दे को एक पवित्र प्रकार से संबोधित करते हैं। एक अध्यापक के रूप में आपको उन परिस्थितियों को जो विद्यालय में बालक की उपस्थितियों और भागीदारी का प्रतिरोध करती हैं, को समझना महत्वपूर्ण है।

उदाहरणके लिये विद्यालय में प्रवेश लेने से भी पूर्व, बहिष्करण प्रारंभ हो सकता है। अभिभावक अपने बच्चे (विशेष लड़कियों) को विद्यालय के मार्ग में उत्पीड़न के भय कक्षा में डाँट-डपट के भय से हतात्साहित कर सकते है। लिंगीय समानता का मुद्दा सभी प्रतिकूल परिस्थितिग्रस्त तथा वंचित बालकों से बिल्कुल अलग हो जाता है। UEE के लिये SSA के प्रयासों के केन्द्र में कन्या प्रोत्साहन है। आप SSA के हस्तक्षेपों के माध्यम से इसकी NPEGEL (प्राथमिक स्तर पर लड़कियों की शिक्षा के लिये राष्ट्रीय कार्यक्रम) KGBV (कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय) और महिला समाख्या (MS) योजनाओं से परिचित होंगे।

यद्यपि लड़कियों के नामांकन में महत्वपूर्ण सुधार आया है तथापि वंचित समुदायों की लड़कियों की संख्या का एक बड़ा भाग विद्यालय से बाहर के बच्चों के वर्ग में आता है। अभिगम्यता की ही भांति समानता का मुद्दा भी है, और मुख्य चुनौती है जिसे संबोधित किए जाने की आवश्यकता है। समानता के प्रयास शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रभाव डालते हैं और दोनों ही तात्विक रूप से जुड़े होते हैं। RTE कानून के अनुसार समानता के तत्व को प्राप्त करने के लिये शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किए जाने की आवश्यकता होती है। इसका तात्पर्य गुणवत्ता के विविध पहलुओं-पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तके, शिक्षण अधिगम सामग्रियाँ, कक्षाकक्ष के स्थान का प्रयोग, मूलभूत सुविधायें तथा अध्यापक प्रशिक्षण पर ध्यान केन्द्रित किए जाने से है।

कुछ प्रोत्साहन उपाय, जिन पर ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है, हैं:

- यातायात सुविधायें
- बालकों की विद्यालय के मार्ग में रखवाली
- परामर्श की सुविधा प्रदान करना
- विद्यालय के साथ घरेलू काम में संतुलन बनाने में उनकी सहायता करना।
- उनकी कठिनाई की प्रकृति के अनुसार शैक्षिक सहायता देना
- अभिभावकों/समुदायों को प्रोत्साहन एक अध्यापक के रूप में आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बालकों से व्यवहार करते समय किसी भी प्रकार का बहिष्करणीय कार्य न अपनाया जाये। समावेशन के कार्य में बाधा पहुँचाने वाले कुछ अन्य लक्षण हैं:

बैठने की व्यवस्था:- सुविधा वंचित वर्ग के बच्चो (अनुसूचित जाति SC) को सबसे पीछे के बेन्च पर बैठने के लिए कहा जाता है, उनको विद्यालय के समारोह एवं गतिविधियों में भाग लेने नहीं दिया जाता है। उनसे बातचीत नहीं किया जाता है उनका गृहकार्य की जाँच नहीं

की जाती है और न ही कक्षा कार्य की जाँच की जाती है। उन्हें विद्यालय में प्राप्त सुविधा से वंचित रखा जाता है जैसे पानी का स्रोत (नल का पानी, वाटर कूलर) विद्यालय कैंटीन आदि।

उन्हें विद्यालय के नौकरो वाले कार्य जैसे शौचालय, विद्यालय परिसर को साफ करने को कहना। यदि इस प्रकार के पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया जाता है तो ऐसी प्रवृत्ति को आप को रोकना तथा समावेशी कदम उठाकर इस प्रकार के समस्या का समाधान करना चाहिए। इस तरह से आप समाज में व्याप्त सामाजिक भेदभाव को दूर कर पायेंगे। जनजाति क्षेत्रों के बच्चे उनके परिवेश से संबंधित समस्याओं से जूझते है। जनजाति लोग दूर वनाच्छादित पहाड़ी इलाको में रहते हैं। जनजाति बच्चो का समावेश करने में संप्रेषण की भाषा एक बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न करती है।

अपनी प्रगति जाँचे-3

प्रश्नों के उत्तर दीजिये-उत्तर के लिए स्थान दिया हुआ है।

1. जनजातीय बच्चों के विद्यालय में समावेशन करने में आने वाली भाषायी समस्या को सुलझाने के लिए कुछ तरीकों का सुझाव दीजिये।

   .....

   .....

   .....

इसी प्रकार अन्य वर्गों के बच्चे, जैसे मुस्लिम, मजदूर, शहरी वंचित, अशांत क्षेत्र से पलायन करके आये हुए। शिक्षा के अधिकार अधिनियम (RTC AD) में ऐसे बच्चों को नियमित विद्यालय में लाने के लिए स्पष्ट प्रावधान का वर्णन किया गया है। विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे (CWSN) 'समान अधिकार' मुद्दों के अन्तर्गत आने वाले एक महत्वपूर्ण समूह का गठन करते हैं तथा RTE के प्रावधानों के अनुसार उन्हें गुणवत्तापूर्ण समावेशी शिक्षा उपलब्ध कराना है।

गुणवत्ता

क्रियाकलाप-6

पढ़ाते समय आप अपनी कक्षा-कक्ष को याद करें। उस कक्षाकक्ष के कुछ विशेषताओं को इन संदर्भो में सूचीबद्ध करें:-

- कक्षा कक्ष में उपलब्ध स्थान का इस्तेमाल
- भौतिक ढाँचा टेबल, कुर्सियाँ, अलमारी, रैक की व्यवस्था श्यामपट् सूचनापट् अन्य
- शिक्षण-अधिगम के दौरान बच्चों की गतिविधियाँ

टिप्पणी

– शिक्षार्थियों के साथ किये गये वार्तालाप और उनकी भागीदारी इसकी तुलना आप अपने संकल्पना के कक्षाकक्ष से किस प्रकार करते है?

इस क्रियाकलाप के माध्यम से आप अधिकार और गुणवत्ता की पहुँच के मुद्दों के मध्य निकट संबंध को समझ पायेंगे। आपके लिये यह समझना जरूरी है कि निम्न स्तरीय गुणवत्ता, समानता को प्रभावित करता है तथा निम्न स्तरीय समानता निम्न स्तरीय गुणवत्ता को और सुदृढ़ करता है। इसलिए RTE के क्रियान्वीकरण हेतु गुणवत्तापूर्ण उपागम पर बल देता है जो कि समग्ररूप से विभिन्न पहलुओं को जैसे, पाठ्यचर्या, पाठ्यपुस्तक, शिक्षण सहायक सामग्री भौतिक ढाँचा स्थान का उपयोग, मूल्यांकन व शिक्षक प्रशिक्षण पारस्परिक रूप से सुदृढ़ करने पर ध्यान केन्द्रित करता है।

पाठ्यचर्या तथा मूल्यांकन प्रक्रिया की रचना करते समय RTE अधिनियम द्वारा वर्णित आठ कारकों का ध्यान रखना चाहिए। ये आठ कारक बाल–केन्द्रित विचारधारा पर आधारित है जो कि NPE-1986/92 तथा NCF 2005 का भी आधार था।

इन आठ कारकों, जो कि प्रारम्भिक शिक्षा की गुणवत्ता की आधारभूत अवयवों का हिस्सा है, के बारे में आपको जानकारी रखना आवश्यक है। ये आठ कारक निम्नांकित है:-

- संविधानिक मूल्यों के साथ सामंजस्य
- बच्चे का सर्वांगीण विकास
- बच्चे के ज्ञान, शक्ति और प्रतिभा को निखारना
- शारीरिक और मानसिक योग्यताओ का अधिकतम विकास करना
- बाल केन्द्रित और बाल सुविधा से युक्त वातावरण में क्रियाकलापों, खोजबीन तथा छानबीन करके सीखना।
- जहाँ तक सम्भव हो सके बच्चे के मातृभाषा में शिक्षण–अधिगम निर्देशन हो।
- बच्चे को भयमुक्त, चिंतामुक्त, बनाना तथा उनको अपनी बात मुक्त रूप से कहने के लिए प्रोत्साहित करना
- बच्चे के ज्ञान व उसके अनुप्रयोग करने की योग्यता का सतत व व्यापक मूल्यांकन करना।

उपरोक्त चर्चा से यह स्पष्ट है कि केवल विद्यालय की उपलब्धता से ही यह साबित नहीं होता कि गुणवतापूर्ण उचित शिक्षा की पहुँच न्यायोचित रूप से प्राप्त है। पहुँच इंगित करता है कि शिक्षा की प्रक्रिया में बच्चों का पूर्णरूप से, आनंददायक और स्वतंत्ररूप से भागीदारी हो। न्यायोचित पहुँच और गुणवत्ता का मिश्रण शिक्षा के सार्वभौमिक पहुँच को कायम रखेगा।

पहुँच अधिकार और गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा से संबंधित मुद्दो को हल करने के लिए कुछ अन्य आयाम जो कि RTE अधिनियम 2009 में वर्णित है, विद्यालय संसाधन पर केन्द्रित है। इसके बारे में आप अगले भाग में पढेंगे।

टिप्पणी

5.3.3 विद्यालय संसाधन-भौतिक सुविधायें

क्रियाकलाप-7

अपने विद्यालय रिकार्ड से निम्नांकित को प्राप्त करे तथा एक रिपोर्ट बनायें

1. विद्यालय का सम्पूर्ण नामांकन
2. कार्यरत अध्यापको/अध्यापिकाओं की संख्या
3. विद्यालय में विद्यार्थी अध्यापक/अध्यापिका का अनुपात
4. शिक्षण के लिए नियुक्त नियमित, अनुबंधित तथा अन्य स्टाफ सदस्यों की संख्या
5. आपके विद्यालय में कितने कक्षाकक्ष तथा खेल का मैदान है।
6. क्या आपके विद्यालय में निम्न सुविधायें है-
   - स्वच्छ पेय जल
   - लड़के तथा लड़कियों के लिए अलग-अलग शौचालय की व्यवस्था
   - बच्चों की गाड़ी (साइकिल) खड़ी करने के लिए स्थान
   - विद्यालय की चारदीवार या घेरा
   - विकलांग बच्चों के लिए बैठने की व्यवस्था, रैम्प की व्यवस्था

उपरोक्त चर्चा से आप अपने विद्यालय के भौतिक ढाँचा/सुविधाओ की स्थिति के बारे में जानेंगे। आप सहमत होंगे कि कई सरकारी विद्यालयों में भौतिक सुविधायें अपर्याप्त है।

5.3.3.1 बच्चों की सुरक्षा के लिये सुविधायें, बैठने का स्थान

RTE अधिनियम 2009 के अनुसार विद्यालय में भौतिक सुविधाओं की गुणवत्ता, विद्यालय पहुँचने में बहुत बड़ी बाँधा है। यह अधिनियम एक आकर्षक, स्वस्थ और प्रेरित करने वाला विद्यालय वातावरण का परिकल्पना करता है ताकि विद्यार्थियों को आकर्षित किया जा सके, प्रवेश दिया जा सके तथा शिक्षण-अधिगम के लिए उन्हें रोक कर रखा जा सके।

इसके लिए RTE अधिनियम ने विद्यालय ढाँचा/सुविधाओं के लिए कुछ मापदंड और नियम निर्धारित किया है। ये निम्नांकित है:-

विशिष्ट सुविधाओं मुक्त विद्यालय भवन होगा। इसमें आवश्यकतानुसार, कक्षाकक्ष, शौचालय और पीने के पानी की सुविधा, माध्याह्न भोजन कार्यक्रम, रसोईघर, चारदीवारी, खेल का मैदान शिक्षण सहायक सामग्री, पुस्तकालय और प्रयोगशाला होगा।

अवरोध मुक्त पहुँच:- इसका अर्थ है कि विद्यालय भवन का डिजाइन ऐसा होना चाहिए ताकि सभी विद्यार्थियों, जिसमें विकलांग विद्यार्थी भी शामिल है, के लिए मुक्त रूप से चलने

टिप्पणी

फिरने में सहायक हो तथा विद्यालय के सभी सुविधाओ, जैसे मुख्यद्वार, कक्षा कक्ष खेल का मैदान, शौचालय, पुस्तकालयों का उपयोग निर्बाध रूप से कर सकें। यदि वर्तमान विद्यालय भवन में इस प्रकार की सुविधाये उपलब्ध नहीं है तो RTE अधिनियम में इन्हें बदलने के लिए प्रावधान है।

विद्यालय में खतरों से निपटने के लिए सुरक्षा व्यवस्था का उचित प्रबंध अवश्य करें। ये खतरे प्राकृतिक हो सकते हैं जैसे भूकम्प बाढ़ या फिर मानवनिर्मित खतरें जैसे आग या निर्माण संबंधी हो सकता है। विद्यालय के भवन निर्माण में ही सुरक्षा रूपरेखा शामिल होना चाहिए।

5.3.3.2 मध्यान्ह भोजन के लिए सुविधायें

आप जानते है कि मध्यान्ह भोजन दुनिया का सबसे बड़ा विद्यालय पोषक कार्यक्रम है जिसका लाभ देश के 12.65 लाख विद्यालयों और EGS केन्द्रों के लगभग 12 करोड़ बच्चों को मिल रहा है। यह कार्यक्रम अपके विद्यालय में भी अवश्य चल रहा होगा।

क्रियाकलाप 8

- आप अपने विद्यालय रिकार्ड से पता लगाये, कि मध्याह्न भोजन का प्रभाव विद्यालय में प्रवेश तथा विद्यालय में उपस्थिति को कहा तक प्रभावित किया है?
- कुछ ऐसे सुझाव दे जिससे आप के अपने विद्यालय के मध्याह्न भोजन के द्वारा सामाजिक विसंगतियों को दूर किया जा सके।

यहाँ तक कि हमारे देश में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के उत्पत्ति के बारे में जानना रूचिकर होगा। मध्यान्ह भोजन का इतिहास सन 1925 से प्रारम्भ है. जब मद्रास नगर निगम ने सुविधा वंचित बच्चों के लिए इस कार्यक्रम को चलाया। यह स्कीम 1990-91 में लोकप्रिय हुआ तथा इस स्कीम को 12 राज्यों में क्रियान्वित किया गया। तत्पश्चात सन 1995 में इस कार्यक्रम को केन्द्रीय रूप से प्रायोजित कार्यक्रम के रूप में देश के 2408 ब्लाकों में चलाया गया। तब से विद्यालय के सभी बच्चों को संतुलित और पोषक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए इस कार्यक्रम में परिवर्तन किया गया है। 2010-11 में पूरे देश के 12.63 लाख संस्थाओं के 11.36 करोड़ प्राथमिक विद्यालय बच्चों को सम्मिलित किया गया।

विद्यालय में भोजन कार्यक्रम चलाने से विद्यालय में बच्चों के प्रवेश तथा उनकी उपस्थिति को बढ़ावा देने में सहायक होता है। यह न केवल बच्चों के लिए लाभप्रद है (जो भोजन का आनंद लेते है) परन्तु अभिभावको के लिए भी लाभप्रद है (राहत अप्रत्यक्ष रूप से सहायक है)। मध्यान्ह भोजन उन बच्चों को विद्यालय में आकर्षित करने में सहायता करता है जो विद्यालय आने से कतराते है।

मध्यानह भोजन का एक और पहलू है इसका पौष्टिक प्रभाव। एक अत्यधिक पौष्टिक भोजन का कीमत और संचालन में निहितार्थ हो सकता है हाँलाकि एक साधारण भोजन भी पोष्टिकता से भरपूर हो सकता है तथा कुछ क्षेत्रों में व्याप्त कैलोरी की कमी से संबंधित समस्याओं को दूर करने में सहायक हो सकता है।

टिप्पणी

मध्यान्ह भोजन का एक और पहलू है सामाजीकरण एक साथ बैठकर व बाँटकर भोजन करने से सामाजिक भेदभाव को दूर किया जा सकता है।

5.3.3.3 पेयजल, शौचालय, खेल के मैदान, व खेल की सुविधाये

क्रियाकलाप-9

आपने भाग 5.3.3 में आपके विद्यालय में शौचालय व साफ पेयजल के प्रावधान के बारे में एक क्रियाकलाप में भाग लिया। लिखिये क्या-

- शौचालय उपयोग करने के योग्य है या नहीं?
- शौचालय में ताला लगाने की सुविधा है
- यदि लड़को व लड़कियों दोनों के लिए एक ही शौचालय है तो उनकी सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्था है?
- क्या अध्यापक/अध्यापिकाओं के लिए शौचालय आरक्षित हैं? यदि ऐसा है तो बच्चे शौच के लिए कहाँ जाते हैं।
- क्या पानी की व्यवस्था कार्यरत है?
- क्या पेयजल पीने योग्य है तथा स्वच्छतापूर्ण ढंग से इसकी आपूर्ति की जाती है?

RTE अधिनियम 2009 में विद्यालयों में स्वच्छ पेयजल तथा सफाई व्यवस्था के लिए विशेष प्रावधान है। RTE अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अन्तर्गत विद्यालयों में इस प्रकार के सुविधाओं की उपलब्धता के बारे में एक अध्यापक होने के नाते आपको जागरूक होना चाहिए। अधिकांश विद्यालय कुछ ग्रामीण विद्यालय को छोड़कर शौचालय, मूत्रालय व पेयजल आपूर्ति के प्रावधान के लिए SSA के दायरे में लाया जा चुका है। ग्रामीण अंचल के ऐसे विद्यालय जो SSA के दायरे में नहीं है वहाँ पर ग्राम विकास मंत्रालय के अन्तर्गत पेयजल आपूर्ति विभाग, पेयजल की उपलब्ध कराता है।

विद्यालय में बच्चों के खेल तथा मनोरंजन के लिए भी सुविधाये उपलब्ध होनी चाहिए। प्रावधान के अनुसार वर्तमान में विद्यालय में खेल के मैदान की व्यवस्था समुदाय के लोगों के सहयोग से किया जा रहा है। समुदाय के लोग या तो श्रमदान या सामुदायिक योगदान के द्वारा सहायता करते है। क्षेत्रीय लोकप्रिय खेल से संबंधित खेल सामग्री विद्यालय में उपलब्ध कराना चाहिए।

कुछ और प्रावधान जिसे RTE अधिनियम 2009 में विद्यालयों के लिए आवश्यक बनाया गया है निम्नांकित है:-

(i) रसोईघर

मध्याह्न भोजन पकाने के लिए साफ और स्वस्थ रसोईघर की व्यवस्था करना आवश्यक है। विद्यालय में रसोईघर का प्रावधान मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत है।

टिप्पणी

(ii) विद्यालय के चारो ओर चारदीवारी या बाड़ लगा कर इसे सुरक्षित बनाना है। इससे खतरो चरने वाले पशुओं तथा अन्य असमाजिक तत्वों से बचाव होगा, इसका एक और लाभ है कि विद्यालय में बगीचे का निर्माण किया जा सकता है। इस प्रकार विद्यालय परिसर हराभरा, सुरक्षित तथा विद्यार्थी के अनुकूल बन जायेगा।

(i) बच्चों के अनुकूल सुविधाओं का सम्मिलन

चित्र कक्षा कक्ष

चित्र कक्षा कक्ष

A, http://edutechdebate.org/teacher-training

B, htt://mumtaismiles.blogspot.com/2010-05-01-archive.html

क्रियाकलाप 10

चित्र A व B में दो कक्षा कक्षों को दिखाया गया है इनकी तुलना करें बच्चों के अनुकूल सुविधाओं के संदर्भ में इनकी तुलना करे जैसे बैठने की व्यवस्था, फर्नीचर विद्यार्थियों का उत्साह, अध्यापिका की गतिविधि और अन्य पहलु।

आप सहमत होगे कि विद्यालय भवन का डिजाइन इस प्रकार होना चाहिए ताकि बच्चों की जरूरतो को पूरा किया जा सके। सुविधाओं को बच्चों के उम्र के अनुरूप होना चाहिए। पेयजल नल की ऊँचाई बच्चों की आयु को ध्यान में रखकर विभिन्न ऊँचाई पर लगाना चाहिए। आलमारी तथा चाक बोर्ड उचित ऊँचाई पर होना चाहिए। विद्यालय में उपलब्ध जगह का उपयोग शिक्षण-अधिगम की शक्तियों को अधिकतम रूप से बढ़ाने के लिए करना चाहिए। इसका एक उदाहरण हैं BALA (Building As Learning Aid) की अवधारणा है। BALA अवधारणा का इस्तेमाल कई राज्यों में विद्यालय में उपलब्ध स्थानों का शैक्षणिक शक्तियों को बढ़ाने में किया गया है। जिन विद्यालयो में BALA का क्रियान्वीकरण किया गया है वहाँ पर रंगबिरंगे कक्षाकक्ष फर्श पर ज्यामितीय आकृतियों की रचना, दीवारो पर शैक्षणिक चित्र पंखो पर VIBGYOR रंगों से पेन्ट किया गया है।

अपनी प्रगति जाँचे-4

निम्नांकित प्रश्नों का उत्तर दीजिये। उत्तर के लिए स्थान दिया गया है।

1. विद्यालय के बच्चों के लिए मध्यान्ह भोजन के दो लाभों को लिखिये

   .....

   .....

   .....

2. विद्यालय के भीतर बच्चो की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए RTE अधिनियम 2009 के द्वारा निर्धारित दो प्रावधानों का वर्णन करें।

   .....

   .....

   .....

5.4 सुगम बाल केन्द्रित शैक्षणिक प्रक्रियायें

क्रियाकलाप-11

आप जिस विषय को पढ़ाते है, उसकी एक पाठ योजना की रूपरेखा तैयार करें। योजना के सभी अवयवों को लिखिये। विशिष्ट रूप से वर्णन करे।

- शिक्षण - अधिगम प्रक्रिया के दौरान आपके द्वारा विद्यार्थियों को संलग्न करने के लिए अपनायी गई युक्तियाँ?
- पाठ में शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग आपने किया है।
- शिक्षार्थियों को अतिरिक्त स्रोतों जैसे पुस्तकालय, मिडिया, अन्य सामुदायिक स्रोत का इस्तेमाल करने को प्रोत्साहित किया हो।

पाठ पढ़ाते समय आपके द्वारा अध्यापक केन्द्रित या विद्यार्थी केन्द्रित अपनाये गये युक्तियों का वर्गीकरण करें।

कक्षाकक्ष प्रक्रियाये प्रत्यक्ष रूप से शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। आप सहमत होंगे कि बालक बाल केन्द्रित उपागम को अध्यापक केन्द्रित उपागम से अधिक पसंद करते है। हाँलाकि इस तथ्य के बावजूद अधिकांश कक्षाकक्ष युक्तियाँ अध्यापक केन्द्रित है अर्थात व्याख्यान विधि। जैसा कि आपको विदित है कि NCF 2005 अध्यापक द्वारा विद्यार्थी केन्द्रित उपागम अपनाने पर बल देता है। हम अब RTE अधिनियम 2009 में संकल्पित बाल-केन्द्रित शिक्षण अधिगम उपागम के द्वारा गुणवतापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने की अवधारणा के बारे में चर्चा करेंगे।

टिप्पणी

5.4.1 बाल-केन्द्रित उपागम - अवधारणा

देश के कई भागों में ऐसे कई प्रयोग किये गये है जो बाल-केन्द्रित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रोत्साहित करता है। उदाहरण के लिए, क्रियाकलाप आधारित उपागम तमिलनाडु, नल्लीकुली कार्यक्रम कर्नाटक, होशंगाबाद, विज्ञान शिक्षण कार्यक्रम कर्नाटक में चलाया जा रहा है। इन उपागमों के केन्द्र में बच्चे को सक्रिय रूप से भागीदार बनाकर उसके समग्र विकास पर केन्द्रित है जिससे उसमें तार्किक सोच और समस्या समाधान कौशलों का पोषण किया जा सके। आप विस्तृत रूप से बाल केन्द्रित शिक्षा-अधिगम प्रक्रियाओं के बारे में पढ़ चुके है जो आपको विद्यालय परिस्थितियों में गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए विद्यार्थियों को समझने में सहायता करेगा। इन सबकी चर्चा कोर्स 3 'प्राथमिक शिक्षा अधिगम प्रक्रिया' में की जा चुकी है।

परंपरागत विधि में कक्षाकक्ष प्रक्रिया को अध्यापक नियंत्रित करता था तथा विद्यार्थी निष्क्रीय ग्रहणकर्त्ता होते थे। बाल-केन्द्रित उपागम का आधारभूत दर्शन है 'रचनावाद' जिसके अनुसार बच्चा अपने पूर्वज्ञान के आधार पर नये ज्ञान की रचना करता है। विद्यार्थी अपना स्वयं अधि गम युक्तिओं का अविष्कार करता है। अध्यापक की भूमिका एक सुगमकर्त्ता के रूप में होता है जो अधिगम कार्यो को डिजाइन करता है तथा अधिगम प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थियों को आवश्यकतानुसार सहयोग देता है। बाल केन्द्रित उपागम को अनुभवजन्य अधिगम युक्तियों के द्वारा अपनाया जा सकता है। यहाँ अधिगम प्रक्रिया, क्रिया के साथ प्रारम्भ होता है तथा शिक्षार्थी के द्वारा चिन्तनात्मक सोच को बढ़ावा मिलता है। एक अन्य उपागम समस्या समाधान है जहाँ विद्यार्थी परिकल्पना करते है, हल ढूढ़ते है, प्रयोग करते है, सामान्यीकरण करते है, एक निश्चित समाधान पर पहुँचते है तथा अपने परिणामों की तुलना करते है। ये उपागम चिन्तन अवलोकन और खोजबीन करने की कौशलों के विकास में सहायता करता है। एक अध्यापक के रूप में आप ऐसे उपागम को अपना कर विद्यार्थियों में अधिगम का पोषण करें जहाँ पर बच्चे स्थानीय संदर्भो में प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा ज्ञान व कौशल प्राप्त करने में सक्षम हो।

5.4.2 शिक्षार्थी को समझना

RTE अधिनियम बच्चे के व्यक्तित्व के समग्र विकास के लिए बाल-अनुकूल, बाल केन्द्रित शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया को अपनाने के महत्व का पहचान करता है। अध्यापक एक सुगमकर्त्ता के रूप में कार्य करते हुए बच्चे को उसके अधिगम और ज्ञान की रचना को उसके दैनिक जीवन से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। विद्यार्थी के विभिन्न पहलु हैं जिनके बारे में अध्यापक/अध्यापिका को ज्ञानयोग्य होना चाहिए, निम्नांकित है-

- विद्यार्थी का स्वास्थ्य और शारीरिक विकास तभी विद्यार्थी के विकास के स्तर के आधार पर अधिगम अनुभव उपलब्ध कराया जा सकता है।
- विद्यार्थी की मानसिक योग्यताएँ एवं शक्तियाँ- विद्यार्थियों की भाषायी, स्थानिक, गणितीय, संगीत, गत्यात्मक योग्यता अलग-अलग होती है। इन के आधार पर वर्तमान स्तर को उच्च बनाने के लिए उचित अधिगम अनुभव उपलब्ध कराया जा सकता है।

- संस्कृति – शिक्षार्थी के सांस्कृतिक अनुभव से उसका अधिगम अधिकांशत प्रभावित होता है जैसे घर में समुदाय में, विद्यालय में सहपाठियों के साथ अर्जित अनुभव। अध्यापक को इन सांस्कृतिक संदर्भो को समझन जरूरी है और तद्नुसार वह विद्यार्थी को उचित अधिगम अनुभव उपलब्ध कराता है।

RTE अधिनियम ने मूल्यांकन की अवधारणा को प्रक्रिया के अन्त के क्रियाकलाप के रूप में न मान कर शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया का समग्र हिस्सा मानकर पुन: परिभाषित किया है। मूल्यांकन का लक्ष्य है अधिगम उपलब्धि का सतत पृष्ठपोषण उपलब्ध कराना। RTE अधि नियम के प्रावधानो के अनुसार किसी भी बच्चे को किसी भी कक्षा में रोका नहीं जायेगा और न ही उसे अनुत्तीर्ण घोषित किया जायेगा क्योंकि कोई भी मूल्यांकन यहाँ तक कि परीक्षा भी किसी बच्चे को किसी कक्षा में रोकने का आधार नहीं बन सकता है।

RTE अधिनियम में संकल्पित बाल-केन्द्रित शिक्षण अधिगम NCF 2005 के अनुरूप है जो सतत तथा व्यापक मूल्यांकन के लिए अवसर उपलब्ध कराता है। वर्तमान में प्रचलित परीक्षा प्रणाली बाल-केन्द्रित शिक्षण अधिगम की अवधारणा के विपरीत है। आप को बच्चे के व्यक्तित्व व्यवहार और अभिरूचि के विभिन्न पहलुओं का अवलोकन दृष्टिकोण प्राप्त करने के लिए करना आवश्यक है।

विद्यार्थी की उपलब्धि तब केवल विद्यालय के विभिन्न विषयों की उपलब्धि पर ही आधारित नहीं होगा। इस प्रकार एक अध्यापक के रूप में आपको विद्यालय के माध्यम से बच्चे को गुणवता शिक्षा प्रदान कर उसके समग्र विकास के लिए एक सक्षम सुगमकर्ता की निर्णायक भूमिका निभानी है। आपको बच्चों के अधिकारों के बारे प्रति जागरूक होना चाहिए तथा बच्चे के संसार को समझने के लिए तैयार होना चाहिए।

5.5 सरांश

इस इकाई में आपने प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लिए उपागमों में आधारभूत परिवर्तन के बारे में पढ़ा। RTE अधिनियम 2009 UEE के लिए 'अधिकारपूर्ण' दृष्टिकोण पर बल देता है जो कि पूर्व के प्रोत्साहन आधारित उपागम से अलग है। यह इकाई शिक्षा के लिए अधिकार आधारित उपागम तथा उन प्रावधानों के बारे में जो प्राथमिक शिक्षा को न्यायोचित और सभी आयुवर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित करता है, का वर्णन करता है। शिक्षा के संदर्भ में बाल अधिकारों की व्याख्या की गई तथा सुरक्षित एवं स्वस्थ्य विद्यालय वातावरण सुनिश्चित करने में अध्यापक की भूमिका और जिम्मेदारी की चर्चा की गइ। संपूर्ण विद्यालय विकास उपागम की चर्चा की गई जिसमें पहुँच, न्यायोचित और गुणवता की अवधारण का समग्र रूप से समाहित करता है। भौतिक और सामाजिक पहुँच के महत्व को वर्णित किया गया ताकि एक विद्यालय अध्यापक निष्पक्ष लचीले उपागमों को अपनाकर सभी बच्चों के समग्र विकास में सहायता कर सकें। RTE अधिनियम द्वारा अधिनियमित न्यायपूर्ण अधिकार के मुद्दो की व्याख्या किया गया जेन्डर भेदभाव से संबंधित मुद्दों तथा सभी सुविधा वंचित वर्गो से संबंधित मुद्दो के बारे में वर्णन किया गया। इस इकाई

टिप्पणी

में विस्तृत रूप से गुणवत्ता की अवधारणा जो पहुँच और समानता पर आधारित है, की चर्चा की गई। RTE अधिनियम के अन्तर्गत पर्याप्त भौतिक सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए प्रावधानों की व्याख्या की गई। सभी प्राथमिक विद्यालय के बच्चे, विद्यालय में मूलभूत सुविधाएँ प्राप्त करने के अधिकारी है। ये सुविधाये है कक्षाकक्ष, खेल का मैदान, पुस्तकालय, खेल सामग्री, शौचालय और पेयजल। भौतिक प्रावधानो के अतिरिक्त गुणवता निर्भर करता है शैक्षणिक सुविधाओं पर जैसे अध्यापक, पाठ्यचर्या, पाठ्यपुस्तक तथा बाल-केन्द्रित, बाल अनुकूल शिक्षण अधिनियम उपागम अपनाना।

यइ इकाई अध्यापक को ऐसे सुगमकर्त्ता के रूप में वर्णन करता है जो RTE अधिनियम द्वारा अधिनियमित प्रावधानों और अधिकारों के प्रति जागरूक होकर बच्चे के समग्र व्यक्तित्व विकास में योगदान दे सके।

5.6 प्रगति जाँच के उत्तर

प्रगति जाँच-1

1. a) लड़कियों के लिये 18 वर्ष तथा लड़कों के लिये 21 वर्ष

   b) 18 वर्ष से अधिक

   c) 18 वर्ष से अधिक

प्रगति जाँच-2

1. 18 वर्ष की आयु तक किसी भी प्रकार की जोखिम भरी आजीविका के विरूद्ध सुरक्षा पाने का अधिकार (अनुच्छेद 24) और आर्थिक आवश्यकताओं के दबाव में उनकी आयु एवं सामर्थ्य के प्रतिकूल व्यवसाय (आजीविका) में प्रवेश के तथा दुरुपयोग होने के विरूद्ध सुरक्षा पाने का अधिकार (अनुच्छेद 39e)

प्रगति जाँच-3

1. समुदाय के स्थानीय लोगों की सहायता से जनजातीय भाषा में TLM का विकास करना।
2. गैर-जनजातीय अध्यापकों को जनजातीय संस्कृति, प्रथाओं तथा रिवाजों से परिचित करा कर कक्षा के जनजातीय बालकों को बेहतर बनाने को प्रोत्साहित करना।

प्रगति जाँच-4

1 (i) MDM योजना एक प्रेरक की तरह कार्य करती है और बालकों को आकर्षित करती है अन्यथा बालक विद्यालय आने में अनिच्छुक होते हैं। इस तरह यह विद्यालय में उपस्थिति बढ़ा देता है। यह उन बालको का पोषण स्तर भी बढ़ाता है जो सामान्य पोषण से निम्न अवस्था में और/अथवा कुपोषित होते हैं।

(ii) विद्यालय की भौतिक संरचना में प्राकृतिक तथा मानवनिर्मित जोखिमों के विरूद्ध बालकों की सुरक्षा के लिये उपायों को सम्मिलित किया जाना चाहिये।

2 (i) अजनबियो तथा आपराधिक तत्वों, चरवाहे पशुओं तथा अन्य विघ्नों से सुरक्षा के लिये विद्यालय की चारदीवारी होना या कँटीली बाड़ लगी होना आवश्यक है।

(ii) भूकंपों से होने वाले नुकसानों से सुरक्षा के लिये विद्यालय भवन भूकंपरोधी होना चाहिये।

5.7 सन्दर्भ ग्रंथ एवं कुछ उपयोगी पुस्तकें

1. Chinobo, Joseph. P.G (2005): Issues in Basic Education in Developing Countries: An Exploration of Policy Options for Improved Delivery. Journal of International Cooperation in Education. Volume 8 No: 1, pp 129-152, Retrieved (20-09-2011) from

   http://home.hiroshima-u.acijp/cicl/chimombo8-1.pdf

2. DEP-SSA, IGNOU (2007) : Effective Classroom Procrses (A Resource Book)

3. Pajankar, V.D. and Pajankar, P.V (2010) Devlopment of School Education Status in India. Journal of Social Science. 22(1), pp 15-23, Retrieved (30-09-2011) from

   http://www.krepublishers.com/02-Journals/JSS/JSS-22-0-000-10-Web/JSS-22-1-000-10-Abst-PDF/JSS-22-1-015-10-935-

4. Public Report on Basic Education in India (1999) : Oxford University Press, New Delhi.

5. Right to Education Act 2010, Government of India. Journal of Social Science. 22(1). Retrieved (20-09-2011) from

   http://www.education.nic.in/elementary/free%20and% 20 Compulsory.pdf

6. Sarva Shiksha Abhiyan, Framework of Implementation (Revised 09-06-2011) Retrieved (24-09-2011) from

   http://ssa.nic.in/page-partlitlinks?faldername=ssa-frame work

8. S.Kishore (18th April, 2011). Report of the Special Rapportiur on the Right fo Education. Retrieved (17-10-2011) from

   http://www.vvob.be/intranet/files/a-hrc-17-29.pdf

9. Sharma, s (2006) learner Centered Approaches in Santosh Sharma (ed) Constructivist Approaches to Teaching and Learning, Handbook for teachers of

टिप्पणी

Secondary Stage, NCERT, New Delhi.

Web Risources (Accessed on 24-09-2011)

1. www.cips.org.in/public-sector-systems-government-innovation/docments/articles/draft-ssa-framework.pdf
2. http://www.indg.in/primary-education/education-as-fundamental-right/education-as-fundamental-and-human-right-1
3. http://mdm.nic.in/
4. http://www.ecoliteracy.org/teach
5. www.asercentre.org
6. https://edutechdebate.org/teacher-training/we-cannot train-more-teacher-we-must-empower-them-with-technology/
7. http://www.studentsoftheworld.info/sites/society/childabuse.php
8. http://www.pluggd.in/right-to-education-fundamental-right-in-india-297
9. http://www.thehindu.com/education/article2134454ece
10. http://mumbaismiles.blogspot.com/2010-05-01-archive.html

5.8 अन्त्य इकाई अभ्यास

1. शिक्षा के अधिकार के मुख्य उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए।
2. ऐसे कौन से विद्यालयी साधन हैं जो बच्चों को स्वरूप वातावरण प्रदान करने में सहायता करते हैं।

टिप्पणी

इकाई-6 अध्यापक और विद्यालय

संरचना

6.0 प्रस्तावना

6.1 अधिगम उद्देश्य

6.2 शिक्षक के लिये, परिवर्तनशील विद्यालय संदर्भ और चुनौतियां

6.2.1 विद्यालयी प्रणाली में परिवर्तन

6.2.2 शिक्षक के समक्ष चुनौतियां

6.3 विद्यालय प्रणाली में इसके विकास हेतु सर्वशिक्षा अभियान का हस्तक्षेप

6.4 शिक्षण-एक व्यवसाय के रूप में

6.5 शिक्षा व्यवस्था में शिक्षक की भूमिका

6.5.1 शिक्षक की विविध भूमिकायें

6.5.2 SSA द्वारा निर्धारित भूमिका

6.6 अध्यापकों का व्यावसायिक विकास

6.6.1 राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न प्रयास

6.6.2 समुदाय में विकास

6.6.2.1 संसाधन के रूप में समुदाय

6.6.2.2 सहजीवी विकास-शिक्षक और समुदाय

6.7 समुदाय में शिक्षक नेतृत्व

6.8 सारांश

6.9 प्रगति जाँच के उत्तर

6.10 संदर्भ ग्रंथ एवं कुछ उपयोगी पुस्तकें

6.11 अन्त्य इकाई अभ्यास

6.0 प्रस्तावना

पिछली इकाई में आपने ऐतिहासिक कानून निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का बालक को

टिप्पणी

अधिकार, 2009 के बारे में पढ़ा। शिक्षा का लक्ष्य विद्यालयो द्वारा बालकों के वृद्धि एवं विकास हेतु पाठ्यक्रम के अंतर्गत या पाठ्य सहगामी क्रियाओं के रूप में विभिन्न गतिविधियों का निरूपण किया जाता है। विद्यालय वे स्थान हैं जहां पर बालक अधिगम में नियोजित या अन्य अनुभवों द्वारा आगे बढ़ता है।

भारत में विद्यालयों का कई प्रकार से वर्गीकरण किया जा सकता है :

- शिक्षा के स्तर के अनुसार–प्राथमिक और माध्यमिक
- वित्तीय प्रावधानों के अनुसार–निजी; सरकारी सहायता प्राप्त और सरकारी
- निर्देश माध्यम के अनुसार–अंग्रेजी माध्यम या मातृभाषा आधारित

विविध प्रकार के विद्यालय होते हुए भी,

शिक्षा के विशाल लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु शिक्षकों की एक टीम कार्यरत् रहती है। विद्यालयी प्रणाली में शिक्षक की भूमिका केन्द्रीय होती है और, इसलिये, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर इसका बहुत प्रभाव होता है। यह बात सभी शिक्षा समितियों और आयोगों द्वारा समय-समय पर बार-बार दोहराई जाती रही है। एक शिक्षक को विद्यालय परिप्रेक्ष्य में उठने वाली मांगों और आवश्यकताओं के संबंध में तैयार रहने की, विद्यालय, ज्ञान, विद्यार्थी, और अधिगम प्रक्रिया के प्रश्नों के साथ व्यस्त रहने की आवश्यकता होती है। एक शिक्षक को समाज में घटित होने वाले वृहत सामाजिक, आर्थिक, और राजनैतिक परिवर्तनों को प्रतिक्रिया देनी होती हैं।

आप शिक्षक बनने के लिये अभिप्रेरित हैं। किसी देश की शिक्षा प्रणाली में केन्द्रीय भूमिका का निर्वहन करने वाले शिक्षक के रूप में अध्यापन व्यवसाय को अपनाने से यह आवश्यक हो जाता है कि आप इससे जुड़े अन्य पहलुओं को समझें।

6.1 अधिगम उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात्, आप योग्य होंगे:

- विद्यालय प्रणाली में शिक्षक की भूमिका की व्याख्या कर सकेंगे।
- व्यवसाय रूप में शिक्षण की विशेषताओं की चर्चा कर सकेंगे।
- शिक्षकों के व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों का वर्णन कर सकेंगे।
- विद्यालय प्रणाली में इसके विकास हेतु SSA के हस्तक्षेप की चर्चा कर सकेंगे।
- शिक्षकों और समाज के प्रतीकात्मक संबंध की सोदाहरण व्याख्या कर सकेंगे।

6.2 शिक्षक के लिये परिवर्तनशील विद्यालय संदर्भ और चुनौतियां :

चित्र : विद्यालय में बालक

स्रोत : http://tl.gstatic.com/images? q=tbn:ANdg

क्रियाकलाप-1

क्या कभी आपके माता या पिता ने आपको उनके विद्यालयी अनुभव सुनाये हैं? यदि हां, अपने विद्यालयी अनुभवों से उनकी तुलना करने का प्रयास कीजिये? यदि नहीं, उनके अन्वेषण का प्रयास करें और तब अनुभवों की तुलना कीजिये। क्या आपको शिक्षण अधि गम व्यूह रचनाओं, आधारित संरचना या सम्पूर्ण वातावरण के संदर्भ में अंतर प्राप्त होते हैं?

आपने पुराने समय में शिक्षक केंद्रित और अत्यधिक अनुशासित कक्षाकक्षों की कहानियां अवश्य सुनी होंगी। अध्यापक से बच्चे भयभीत होते थे और कोई प्रश्न पूछने का साहस नहीं करते थे। समझने से अधिक रटने पर ज्यादा जोर दिया जाता था। कक्षायें शिक्षक केंद्रित होती थीं। आपके समय में कक्षाओं का झुकाव शिक्षक केंद्रित कम और प्रजातांत्रिक की ओर अधिक था। आपको प्रश्न पूछने और पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों की योजना में भाग लेने की अनुमति प्राप्त थी।

6.2.1 विद्यालयी प्रणाली में परिवर्तन

स्वतंत्रता के पश्चात् विद्यालयी शिक्षा में महत्त्वपूर्ण विकास हुए हैं। आपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NPE) के बारे में अवश्य ही सुना होगा जिस के द्वारा हमारे देश ने UEE के लक्ष्य को प्राप्त करने की शुरूआत की। सबके लिये शिक्षा हेतु किये जा रहे प्रयासों में 1980 और 1990 के दशकों में विभिन्न कार्यक्रमों जैसे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, शिक्षाकर्मी परियोजना (SKP), आंध्र प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परियोजना (APPEP), बिहार शिक्षा परियोजना (BEP), उ.प्र. बेसिक शिक्षा परियोजना (UPBEP), महिला समाख्या (MS), लोक जुम्बिश परियोजना (LJP) के द्वारा तीव्रता लाई गयी। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (DPEP) का आरंभ 90 के दशक में राष्ट्र

टिप्पणी

की प्राथमिक शिक्षा को बाल केंद्रित उपागमों के अनुसार गढ़ने और इसे पूर्ण समेकित बनाने के मुख्य उद्देश्य के साथ सर्व शिक्षा अभियान के रूप में चलाने के लिये 12 राज्यों के 72 जिलों में किया गया। 2002 में शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिये भारत के मुख्य कार्यक्रम के रूप में सर्व शिक्षा अभियान (SSA) को लागू किया गया। इसके सम्पूर्ण लक्ष्यों के अंतर्गत शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच और इसका प्रतिरक्षण, लिंग भेद और सामाजिक वर्गों के मध्य की दूरी को मिटाना, और बालकों के अधिगम स्तर को बढ़ाना सम्मिलित हैं। SSA शिक्षकों और विद्यालय दोनों को इसके लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु विभिन्न प्रकार से हस्तक्षेप करता है। क्या आपको वह ऐतिहासिक घटना याद है, जिसने विद्यालयी शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व क्रान्ति की थी? हां, आपने इसका सही अनुमान लगाया। नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार कानून, 2009, के क्रियान्वयन के बारे में आपने पिछली इकाई में अध्ययन किया था।

इन उपायों ने प्राथमिक स्तर अर्थात् 5-14 वर्ष की आयु का पंजीकरण 82% तक बढ़ाया किंतु बाल केंद्रित शिक्षा और शिक्षण विधियों की पैरवी किये जाने के पश्चात भी कक्षा VIII में पहुंचने से पहले ही दुर्भाग्यवश इन बच्चों का 50% भाग विद्यालय से ड्रॉप आउट हो जाते हैं। इस तथ्य की भी स्वीकारोक्तिक वृद्धि होने लगी है कि हमारे बालकों पर वर्तमान विद्यालयी प्रणाली अत्याधिक दबाव तथा बोझ डालती है। यह पाठ्यक्रम संरचना और पर्यावरण अर्थात् बालक के व्यक्तिगत एवं सामाजिक परिवेश के मध्य स्थित असंबद्धता के कारण है। शिक्षक भी इस संबंध में अधिगम को आनंददायी बनाने और बच्चों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने में सृजनात्मक विधियों का प्रयोग कर पाने में, कुशल नहीं हैं। यद्यपि SSA के अंतर्गत हाल ही में विद्यालयी प्रणाली ने बहुत विस्तार किया है, किन्तु गुणवत्ता के मापदंड पर अभी भी बहुत कुछ किया जाना शेष है। क्या आपने पड़ौस में कुकुरमुत्तों की भांति पाये जाने वाले गैर मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों पर ध्यान दिया है? ये विद्यालय, अंग्रेजी विद्यालय के नाम पर अभिभावकों को प्रलोभन देते हैं। वे आकर्षक पैकेजिंग (आवरण) में घटिया शिक्षा देकर पूरी प्रणाली को नष्ट कर रहे हैं।

क्या आप अपने विद्यालय में शिक्षक के रूप में चुनौती का अहसास करते हैं? विद्यालय में आप जिन चुनौतियों का सामना करते हैं, उनकी सूची बनाइये?

6.2.2 शिक्षक के समक्ष चुनौतियां

विद्यालयी शिक्षक के लिये शिक्षा का सार्वभौमिकरण निरन्तर चुनौतियां बनाये रखता है। पूर्ण नामांकन और प्रतिरक्षण के मुद्दे अभी भी पहुंच से बाहर हैं। प्राथमिक स्तर पर गुणात्मक शिक्षा के मुद्दों को भी संबोधित किये जाने की आवश्यकता है। शिक्षक को, अधिकृत शिक्षण के अतिरिक्त, समुदाय के साथ अंत:क्रिया और संबंध रखना चाहिये जिससे कि समीप में रहने वाले बालकों को नियमित रूप से विद्यालय भेजा जाये। SSA और तदोपरान्त RTE एक्ट ने इस पर बल दिया है कि विद्यालय संगठन के सम्पूर्ण संचालन की व्यवस्था करना शिक्षक का उत्तर दायित्व है। उन्हें निर्धारित समय अवधि में पूरे पाठ्यक्रम को पूर्ण करना चाहिये और विद्यार्थियों का आकलन एक बार परीक्षा की अपेक्षा सतत एवम् व्यापक मूल्यांकन द्वारा करना चाहिये। उन्हें विद्यालय प्रबंधन समिति के अंग के रूप में सामुदायिक सदस्यों के साथ घनिष्ठ संबंध

बनाकर कार्य करना होगा। उन्हें अभिभावक सभाओं का आयोजन, अभिभावको को उनके बच्चों की प्रगति से अवगत कराना और बालक की वृद्धि और विकास में उन्हें शामिल करना है। इस प्रकार, अध्यापक की भूमिका पहले के समय की भूमिका की तुलना में अब अधिक प्रासंगिक है। यह कानून बालक के सर्वांगीण विकास विशेष तौर पर बालक की प्रतिभा और क्षमता की पहचान एवम् पोषण पर अधिक जोर देता है। शिक्षण अधिगम गतिविधियां बालकेन्द्रित होने के साथ-साथ ज्ञान के अनुसंधान और खोज पर केंद्रित होनी चाहिये। जैसा कि टैगोर ने कहा था–''जहां मन भय मुक्त होता है'' विद्यालय के संबंध में सत्य होना चाहिये। बालक को भय, आघात, और चिंता से मुक्त करने और मुक्त रूप से बालक को विचार अभिव्यक्त करने में सहायता हेतु प्रयास किये जाने की आवश्यकता है। निर्देश का माध्यम, जहां तक संभव हो व्यावहारिक, बालक की मातृभाषा में होना चाहिये।

आप निश्चय ही सहमत होंगे कि शिक्षकों के सभी स्तरों के, उनके प्रारंभिक और सेवाकालीन प्रशिक्षण दोनों में, व्यावसायिक विकास के लिये ये क्षेत्र विशेष महत्त्वपूर्ण हैं। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा (2005), शिक्षण अधिगम की सृजनात्मक उपागमों की बात करता है। इसके लिये शिक्षकों को बालक के अधिगम को इस प्रकार सरलीकृत करने वाला होना चाहिये कि जो बालक को ज्ञान और अर्थ का निर्माण करने में सहायता करें। इस प्रक्रिया में शिक्षक ज्ञान का सह-निर्माता होता है। शिक्षकों को ज्ञान का निर्माता और सहजकर्ता तथा अध्यवसायी रूप से चिंतक होने की आवश्यकता है। उनमें बालको द्वारा उनके घर, सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिवेश से सीखी गई बातों के प्रति संवेदनशील होने और उनसे जुड़ने की तथा बालकों को खोज, अधिगम और विकास करने हेतु अवसरों का निर्माण करने की योग्यता होनी चाहिये।

ऐसी भूमिकायें मांग करती हैं कि एक ओर तो, शिक्षक पाठ्यक्रम, विषय वस्तु, और शिक्षण विधियों से, और दूसरी ओर समुदाय विद्यालय संरचना और व्यवस्था से सुसज्जित हों। शिक्षा सूचना स्थानांतरण की यांत्रिक गतिविधि नहीं है और शिक्षक सूचना प्रदाता नहीं हैं। शिक्षकों को एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण ऐसे मध्यस्थ के रूप में देखे जाने की आवश्यकता है कि जिसके द्वारा विद्यार्थियों के साथ पाठ्यक्रम का कार्य-सम्पादन और ज्ञान का सहनिर्माण किया जाना है। अधिगम कक्षा-कक्ष की चार दीवारों तक ही सीमित नहीं है। ऐसा होने के लिये ज्ञान को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और पाठ्यक्रम को कम पाठ्यपुस्तक केंद्रित कर समृद्ध बनाये जाने की आवश्यकता है।

आइये, SSA द्वारा विद्यालय के लिये प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की लक्ष्य प्राप्ति हेतु किए गये प्रावधानों का पता लगाने का प्रयास करते हैं।

प्रगति जाँच-1

प्रश्नों के उत्तर दीजिये। उत्तर देने हेतु स्थान दिये गये हैं। सत्य या असत्य बताइये।

1. 3-14 वर्ष की आयु के सभी बालकों के लिये निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है।

.....

टिप्पणी

.....

.....

2. निर्माणात्मक अधिगम विधि में, शिक्षक विद्यार्थियों में अवधारणा विकास को सरलीकृत करता है।

.....

.....

.....

3. प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार केवल SMC से संबंद्ध होता है शिक्षकों से नहीं।

.....

.....

.....

6.3 विद्यालय प्रणाली में इसके विकास हेतु सर्व शिक्षा अभियान का हस्तक्षेप :

क्रियाकलाप-2

अपने विद्यालय की व्यवस्थाओं की सूची बनाइये और उनकी तुलना अपने विद्यालयी दिनों से कीजिये?

आपकी सूची में कई बिंदु जैसे विद्यालय की दूरी, कमरों की संख्या, और पीने का पानी आदि हो सकते हैं। अब तक आप को विश्वास हो जाना चाहिये कि विद्यालय व्यवस्था में सभी बालकों के लिये समानता, पहुंच और गुणवत्ता लाने के लिये SSA ने कई प्रावधान या हस्तक्षेप किये हैं। इन के बारे में आपने पिछली इकाई में पढ़ा होगा। सभी बालकों की अच्छी शिक्षा के लिये न्यूनतम व्यवस्थायें तो होनी ही चाहिये, इसलिये इसके हेतु लोग साथ मिलकर काम कर रहे हैं। SSA द्वारा विद्यालयी व्यवस्था के विकास के लिये किये जाने वाले हस्तक्षेप की सूची निम्न प्रकार है:

- राज्य द्वारा प्रत्येक आवासीय स्थल के एक किलोमीटर के दायरे में एक प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की जानी चाहिये। वे स्थान जहां पर EGS केंद्र चल रहे हैं, उन्हें सफलतापूर्वक चलाने के दो वर्ष पश्चात उनका स्तर बढ़ा देना चाहिए।
- प्रत्येक दो प्राथमिक विद्यालयों के लिये एक उच्च प्राथमिक विद्यालय होना चाहिये।
- प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में कम से कम दो शिक्षक इस प्रावधान के साथ होंगे कि प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में दो कक्षाकक्ष, बरामदे के साथ हों। जहां तक संभव हो

प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रत्येक शिक्षक के लिये एक कमरा होगा। विद्यालय संचालन के कार्य को सुविधाजनक बनाने के लिये उच्च प्राथमिक विद्यालय/विभागों में मुख्य अध्यापक के लिये एक कक्ष होगा।

- किसी भी स्तर की शिक्षण अधिगम के लिये पाठ्यपुस्तकें मेरुदण्ड होती हैं। अधिकतम 150/- रुपये प्रति बालक की दर से प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर के सभी SC/ ST बालिकाओं के लिये नि:शुल्क पाठ्यपुस्तकों का प्रावधान होगा। राज्य वर्तमान में उपलब्ध कराये जा रहे नि:शुल्क पुस्तकों के लिये राज्य योजनाओ से पूंजी प्रदान करना जारी रखेंगे।
- प्राथमिक स्तर पर बालक बोधात्मक विकास की मूर्तसंक्रियात्मक अवस्था में होते हैं। इसका तात्पर्य है कि अवधारणा विकास के लिये शिक्षण अधिगम सामग्री का होना अनिवार्य है। इसलिये, शिक्षण अधिगम उपकरणों (TLE) के लिए प्रावधान बनाया गया है।
- स्थानीय संदर्भ एवं आवश्यकताओं के अनुरूप TLE का खोज की जानी चाहिये। SSA के अंतर्गत रुपये 10,000/- राशि का प्रति विद्यालय TLE के लिये प्रावधान किया गया है। TLE की प्राप्ति शिक्षकों और अभिभावकों और VEC/SMC के माध्यम से होगी अर्थात् विद्यालय ग्राम स्तरीय उपयुक्त संगठन को सर्वोत्तम ढंग से TLE प्राप्ति के कार्य के संबंध में निर्णय लेने का कार्य सौंपा गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि क्षेत्र की शिक्षा और विद्यालय के विकास के लिये समुदाय और शिक्षको को प्रत्येक चरण पर एकजुट होकर कार्य करना होता है। जैसा कि उच्च प्राथमिक स्तर पर शैक्षिक जरूरतें अधिक होती हैं, इसके लिये 50,000/- रुपये प्रति विद्यालय का प्रावधान किया गया है। यहां भी शिक्षकों/विद्यालय समितियों द्वारा स्थानीय विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार दिये गये सुझावों के आधार पर लिये जाने वाले निर्णय सामूहिक ही होते हैं। यदि किसी TLE जिसे विद्यालय समिति शहर अथवा किसी दूर स्थान से क्रय किये जाने की आवश्यकता महसूस करती हैं, इसके लिए जिला स्तरीय प्राप्ति केन्द्र से इसकी अनुशंसा की जा सकती है।
- विद्यालय में भवन भी शामिल होता है। विद्यालय सुविधाओं में सुधार एवं BRC/CRC के निर्माण के लिये प्रदान किये जाने SSA कार्यक्रम फंड का 33% भाग निर्माण संबंधी कार्यों पर होने वाले खर्चों पर नियंत्रण के लिये होगा। विद्यालयों में जहां CRCs हैं वहां वे अतिरिक्त कक्ष के रूप में प्रयोग में लाये जा सकते हैं। कार्यालय भवनों की मरम्मत और निर्माण कार्य हेतु राशि किसी भी फंड द्वारा प्रदान नहीं की गई है। संरचना योजना का निर्माण जिला स्तर पर किया जाता है जिससे कि संसाधन योजना की समुचित योजना को विशेषज्ञता प्रदान की जा सके।
- राशि के दुरुपयोग या अनुपयुक्त खर्च से बचने के लिये निर्माण के अतिरिक्त भवनों की मरम्मत का कार्य केवल सामुदायिक भागीदारी के द्वारा ही किया जायेगा। यह कार्य SMC/VEC के माध्यम से सम्पन्न हो सकेगा। SSA ने विद्यालय समिति द्वारा विशिष्ट प्रस्ताव के अनुसार, अधिकतम 5000/- रुपये प्रतिवर्ष की सीमा को भी स्वीकृति दी है।

टिप्पणी

- शिक्षकों/विद्यालयों को उपकरणों की मरम्मत कराने हेतु प्रदान की जाती है। प्रति वर्ष प्रत्येक प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय को रु. 2000/- की राशि दी जाती है, जिसका खर्च केवल VEC/SMC द्वारा उपयोगिता में पारदर्शिता के साथ किया जाना चाहिये। इसी प्रकार, एक शैक्षिक सत्र में प्राप्त होने वाली अनुदान राशि रु. 500/- की उपयोगिता में पारदर्शिता की अपेक्षा शिक्षकों से की जाती है।

- SSA ने विक्लांग बालकों के लिये प्रावधान पर बहुत ध्यान दिया है, और विक्लांग बालकों के समावेशन हेतु 1200/- प्रति बालक का प्रावधान किया है। विक्लांग बालकों की शिक्षा के. लिये अन्य जनपद स्तरीय और संसाधन संस्थाओं को भागीदारी हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।

राष्ट्रीय ज्ञान आयोग (NKC) ने अवलोकन किया कि विद्यालय प्रणाली का एक मात्र महत्त्वपूर्ण घटक शिक्षक होते हैं। विभिन्न स्तरों पर प्रेरित और योग्य शिक्षकों की अत्यधिक कमी का देश पहले ही सामना कर रहा है। एक शिक्षक को विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था की वृहत्त रूपरेखा में समाज और समुदाय के अंदर होने वाले वृहत सामाजिक, आर्थिक, और राजनैतिक परिवर्तनों को ध्यान में रखकर कार्य करना होता है।

शिक्षकों और शिक्षकों के व्यावसायिक विकास के बारे में बात करने से पहले आइये हम शिक्षक की विशिष्ट विशेषताओं पर विचार करें।

6.4 शिक्षण एक व्यवसाय के रूप में

भारत सहित विश्व के सभी देशों में शिक्षकों के व्यावसायिक विकास पर बहुत ध्यान दिया गया है। शिक्षकों के व्यावसायिक विकास के बारे में और अधिक जानने से पहले, आइये हम जानें कि व्यवसाय क्या होता है? व्यवसाय एक आजीविका होती है जिस के लिये विशिष्टीकृत कौशलों की आवश्यकता होती है और दूसरों को सेवायें प्रदान की जाती हैं। सेवाओं के अंतर्गत पारिश्रमिक शामिल हो भी सकता है और नहीं भी परन्तु उद्देश्य मानवता की सेवा का ही होता है और इसलिये इसे आदर्श व्यवसाय भी कहा जाता है। यह व्यक्तिगत, स्वतंत्र रूप में अथवा एक संस्था द्वारा टीम के अंग के रूप में किया जा सकता है। शिक्षण के व्यावसायिक रूप की कुछ विशेषतायें हैं :

(e) इसमे विशिष्टीकृत कौशलों और प्रशिक्षण को शामिल किया जाता है और यह विषय वस्तु की केवल पुनरावृत्ति नहीं है। विद्यार्थियों में प्रभावशाली अधिगम के लिये सावधानी पूर्वक योजना निर्माण और व्यवस्था करना शिक्षण में निहित होते हैं। सामान्य मान्यता है कि शिक्षण कार्य सरल होता है, लेकिन इसमें बहुत सी वैज्ञानिक प्रक्रियाओं विश्लेषण, संश्लेषण आदि को इसकी सफलता के लिये शामिल किया जाता है।

(f) इसमें नीतिगत (नैतिक) आचरण बिंदुओं को शामिल किया जाता है जो कि व्यवसाय की सफलता के लिये आवश्यक होते हैं। शिक्षण एक आदर्श व्यवसाय होने के कारण इसमें मूल्य प्रणाली एकीकृत होती है और यह परोपकारी सेवाओं में रुचि रखने वाला होता है।

(g) प्रवेश स्तर पर लम्बी अवधि का प्रशिक्षण होता है और आधुनिकतम विकास के साथ बराबरी रखने के लिये समय-समय पर सेवा-कालीन प्रशिक्षण होते हैं। पूर्व सेवा कालीन और सतत सेवाकालीन प्रशिक्षण विद्यालय में शिक्षण के अंतर्गत शामिल होते हैं।

(h) व्यवसाय में एक विशिष्ट समूह के सदस्यों के हितों को आगे बढ़ाने और उनकी रक्षा करने के विचार वाली स्पष्ट परिभाषित सदस्यता होती है।

(i) व्यवसाय मुख्यत: समाज सेवा प्रदान करता है। यद्यपि यह नि:शुल्क नहीं भी हो सकती किन्तु इसका उद्देश्य सदैव सामाजिक उन्नति और विकास ही होता है।

(j) एक व्यवसाय के अपने व्यावसायिक संगठन होते हैं।

(k) ज्ञान का व्यवस्थित निकाय होता है। शिक्षण में भी ज्ञान का व्यवस्थित निकाय होता है जो ज्ञान के सभी क्षेत्रों से व्युत्पन्न होता है। इसकी व्युत्पत्ति जीवन के सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, ऐतिहासिक, राजनैतिक, और आर्थिक क्षेत्रों से होता है। इनके अतिरिक्त दार्शनिक, धार्मिक, और आध्यात्मिक आस्थायें भी शिक्षक को प्रभावित करती हैं।

किसी भी व्यवसाय को जीवित रहने के लिये उसका विकसित होते रहना जरूरी होता है। शिक्षण के संबंध में भी यह सत्य है। अनुसंधान गतिविधियों द्वारा निरंतर नवीन ज्ञान का निर्माण, शिक्षण व्यवसाय के रूप में विकास करता है। शिक्षण में अनुंसधान कार्य एक क्रियात्मक क्षेत्र है। किसी व्यक्ति को शिक्षक बनने की आकांक्षा पूरी करने के लिये व्यवसाय में प्रवेश करने से पूर्व व्यावसायिक प्रशिक्षण का अनुभव करना आवश्यक होता है। यह प्रवेश-पूर्व प्रशिक्षण सेवा-पूर्व प्रशिक्षण कहलाता है। व्यवसाय में प्रवेश के पश्चात् आधुनिकतम विकास और व्यावसायिक वृद्धि अद्यतन के लिये प्रशिक्षण की व्यवस्था, सेवा-कालीन प्रशिक्षण कहलाता है। समुदाय में शिक्षकों के व्यावसायिक विकास (सेवा-कालीन) के बारे में बात करने से पहले आइये हम शिक्षा प्रणाली में शिक्षक की भूमिका का अन्वेषण करते हैं।

प्रगति जाँच-2

निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिये। उत्तर देने हेतु स्थान दिया गया है।

इनमें से कौन सी विशेषता शिक्षण व्यवसाय की नहीं है? हां के लिये 'Y' और नहीं के लिये 'N' द्वारा संकेत दीजिये।

1) इस में विशिष्ट कौशल और प्रशिक्षण निहित होते हैं।

2) अनुसंधान क्रियाकलाप आवश्यक नहीं होते हैं।

3) शिक्षण में वैज्ञानिक प्रक्रियायें निहित होती हैं।

4) जीवन मूल्य इस व्यवसाय का एकीकृत अंग होने चाहिये।

5) यह व्यक्तिगत स्तर पर और स्वतंत्र रूप में अनुगमन नहीं जा सकता।

टिप्पणी

6.5 शिक्षा व्यवस्था में शिक्षक की भूमिका

शिक्षा आयोग (1964-66) ने घोषणा की है, ''भारत के भाग्य का निर्माण अब इसकी कक्षाओं में होगा।'' राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) में भी एक इसी प्रकार की टिप्पणी पर बल देते हुए कहा गया है, ''शिक्षक की स्थिति समाज के सामाजिक-सांस्कृतिक लोकाचार को प्रकाशित करती है; यह कहा जाता है कि अपने शिक्षकों के स्तर से ऊंचा कोई भी नहीं हो सकता।'' ये कथन शिक्षकों द्वारा मनुष्य की ज्ञान के लिये अनन्त खोज को प्रोत्साहित करने वाले और प्रेरक तथा प्रेषक के रूप में निर्वहन की जाने वाली महत्त्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालते हैं। किसी देश की शिक्षा प्रणाली में शिक्षक की केंद्रीय भूमिका के बावजूद भी, इसका व्यावसायिक विकास अभी भी पिछड़ा हुआ है। पूर्व में 1948-49 में, विश्वविद्यालयी शिक्षा आयोग ने कहा था कि, ''शिक्षा एक व्यवसाय है जिसके लिये उसी प्रकार की गहन तैयारी की आवश्यकता होती है जैसी कि अन्य किसी व्यवसाय के लिये, इस बात को मान्यता देने में इस देश के लोगों की गति बहुत धीमी रही है।'' यह कथन आज के परिप्रेक्ष्य में भी उतना ही प्रासंगिक होता है। राष्ट्र की विद्यालय प्रणाली में योग्य अध्यापकों के महत्त्व को किसी भी प्रकार नकारा नहीं जा सकता है। विद्यार्थियों की उपलब्धियों की गुणवत्ता और सीमा, अध्यापक की योग्यता, संकेत शीलता और अभिप्रेरणा पर बहुत अधिक निर्भर होती है।

आप सहमत होंगे कि शिक्षक का शैक्षिक एवं व्यावसायिक मापदंड विद्यालय शिक्षा और शिक्षा के उद्देश्यों को उपलब्ध करने के लिये महत्वपूर्ण घटकों का निर्माण करता है। अध्यापक शिक्षा का लक्ष्य, पूर्व और अंत: सेवा व्यावसायिक विकास कार्यक्रम के द्वारा व्यावसायिक रूप से सक्षम अध्यापकों को प्रशिक्षण प्रदान करना है। नि:संदेह शिक्षक प्रशिक्षण बहुत महत्त्वपूर्ण होता है जैसा कि दृष्टान्त दिया जाता है कि केवल पहले से प्रज्वलित दीपक ही अन्य दीपक को प्रज्वलित कर सकता है। एक अध्यापक जो स्वयं सीखता है वह दूसरों को सिखा सकता है। एक अध्यापक को बहुत सी भूमिकाओं का निर्वाह करना होता है। आइये हम उनके बारे में जानकारी करते हैं।

6.5.1 शिक्षक की विविध भूमिकायें

शिक्षा व्यवस्था में शिक्षक की विविध भूमिकायें होती हैं। विशिष्टत: विद्यालय और स्थानीय स्तर पर सम्पूर्ण शिक्षा सम्पादन में वह एक व्यवस्थापक के रूप में कार्य करता है। शिक्षक की विविध भूमिकायें हैं :

- कक्षाकक्ष में शिक्षक अनुदेशक और अधिगम को सरल बनाने वाले की भूमिका में होता है। NCF 2005 कहता है कि कक्षाकक्ष में शिक्षक को ज्ञान का सह-निर्माता होना चाहिये।
- शिक्षक, शिक्षण अधिगम की सभी गतिविधियों के व्यवस्थापक के रूप में होता है। शिक्षक एक ऐसे व्यवस्थापक के रूप में कार्य करता है जो कक्षाकक्ष तथा समान रूप से विद्यालय की शैक्षिक गतिविधियों की व्यवस्था करता है। क्या आपने कक्षा-कक्ष में किसी कार्यक्रम या गतिविधि का आयोजन किया है। आपको कितनी चीजों की आवश्यकता हुयी? हां, संसाधनों की एक लम्बी सूची की और आपको इनकी व्यवस्था के लिये इधर-उधर जाना पड़ा होगा। और यदि यह सूची बहुत ही लम्बी हो तथा

सीमित समय हो? आपने इन्हें प्राप्त करने का दायित्व किसी अन्य को दिया होगा अर्थात् गतिविधि की व्यवस्था हेतु प्रबंधन। इस प्रकार एक शिक्षक के रूप में आपको प्रबंधन, समन्वयन, और कार्य को सफलता पूर्वक संपन्न करवाने के लिये विद्यार्थियों एवं अन्य लोगों को नेतृत्व भी प्रदान करना होता है।

- शिक्षक, विद्यार्थियों को जीवन में उनकी अधिकतम क्षमताओं तक पहुंचने में परामर्शदाता के रूप में सहायता करता है। वह बालक को आजीविका के संबंध में सही पाठ्यक्रम का चयन करने में सहायता करता है। वह बच्चों के शैक्षणिक और व्यक्तिगत समस्याओं को हल करने के लिये उनमें क्षमताओं का विकास करने हेतु कार्य करता है। इस प्रकार अध्यापक बच्चों को उनकी समस्याये हल करने में निर्देश देता है तथा पूर्व निर्धारित उत्तर नहीं देता है। जो बच्चे शिक्षक के पास अपनी समस्या के समाधान के लिये आते हैं उन्हें स्नेह और सुरक्षा प्रदान करने वाले के अलावा उसे संवेदनशील, अवलोकनकर्ता, परानुभूति तथा निष्पक्ष होना आवश्यक है। बालक की अज्ञात से ज्ञात की यात्रा उसके द्वारा संचालित होनी चाहिए।
- शिक्षक ज्ञान का सृजक होता है जब वह विद्यालय स्तर पर क्रियात्मक अनुसंधान करता है। और इससे जब किसी विशिष्ट समस्या का समाधान होता है, तब नवीन विधियों के परिचय को बढ़ावा मिलता है।
- शिक्षक विद्यालय एवं समुदाय के बीच सेतु का कार्य करता है। विद्यालय स्थानीय समुदाय का उपतंत्र होता है, अतः इसे समुदाय से पृथक नहीं किया जा सकता। RTE ने विद्यालय व समुदाय के इस विशिष्ट संबंध का विशेष उल्लेख किया है। शिक्षक को विद्यालय और समुदाय के इस सहजीवी संबंध का दोहन दोनों के लाभ के लिये करना चाहिये। विद्यालय समुदाय पर इस के संसाधनों के लिये निर्भर करेगा और समुदाय विद्यालय से इसके विकास और कीर्ति के लिये लाभान्वित होगा।
- शिक्षक सामाजिक परिवर्तन के अभिकर्ता के रूप में भी कार्य करता है। यह वह भूमिका होती है जिसका प्रारंभ विद्यालय से समुदाय और समाज में वृहत् परिवर्तन करने के लिए किया जाता है। जब नेहरू जी द्वारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर बल दिया था, वह अध्यापकों के लिए ही था कि वह विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का बीजारोपण करें। NPE में पुनः इस तथ्य को दुहराया गया कि शिक्षा की संस्कृतिग्राह्य भूमिका होती है और हमारे संविधान में स्थापित प्रजातंत्र के लक्ष्यों को प्राप्त करने का कार्य करती है। शिक्षक एक अभिकर्ता होता है जो इन सामाजिक लक्ष्यों को भारत के कक्षाकक्षों में (क्रियान्वित) करता है और अगली पीढ़ी को राष्ट्र निर्माण तैयार करता है।
- अध्यापक नेता के रूप में कक्षा, विद्यालय और समुदाय का मार्ग दर्शन करता है। उस में विकास की ओर बढ़ने वाले मार्ग पर नेतृत्व प्रदान करने का कौशल होना चाहिये। नेतृत्व कौशल जैसे निर्णय करना, उपलब्ध संस्थानों की व्यवस्था, (अभूतपूर्व समस्याओं) के समाधान ढूंढ़ना। प्रभावशाली शिक्षक की एक महत्त्वपूर्ण भूमिका यह भी होती है।

Bordi Committe समिति (2009) में RTE और इसे SSA के माध्यम से लागू करने के संदर्भ में शिक्षा में शिक्षक की केंद्रीय भूमिका की बात कही गई है। RTE कानून प्राथमिक शिक्षा के पुनर्निर्माण में शिक्षक की भूमिका को अत्यधिक महत्व दिया है। उनके लिये कक्षा में तथा

टिप्पणी

कक्षा के बाहर नवाचार और सृजन संस्कृति की प्रेरणा देने वाले अवसर होने चाहिये, जो बालकों के लिये, विशिष्टत: दलित तथा अधिकारहीन पृष्ठभूमि की बालिकाओं के लिये समावेशी वातावरण निर्माण कर सकते हैं। शिक्षा के विकास में उनकी भूमिका की पहचान के लिये शिक्षकों को राष्ट्रपति अवार्ड के रूप में प्रदर्शित किया जाता है।

6.5.2 SSA द्वारा निर्धारित भूमिका

चित्र : SSA विद्यालय में एक शिक्षक

स्रोत : http://cms.boloji.com/articlephotos/100-Day 10.jpg

SSA ने विद्यालय व्यवस्था में संभावित परिवर्तनों को लाने वाले मशाल वाहक के रूप में शिक्षकों पर बहुत भरोसा रखा है। पुन: दुहराये जाने की सीमा तक हम पुन: तथ्यों को आपके समक्ष रखते हुये कहेंगे कि एक शिक्षक के रूप में आप परिवर्तन के निर्माता हैं। SSA में शिक्षकों के लिये कई भूमिकाओं को सूचीबद्ध किया गया है। वे हैं :

1. **विद्यालय के बाहर के बालकों को प्रोत्साहन**–विद्यालय के बाहर के बालकों को विद्यालय में लाने के लिये प्रयास किये जाते रहे हैं, जिससे कि सबके लिये शिक्षा की इस यात्रा में कोई भी पीछे न छूट जाये। RTE के अनुसार इन बालकों को निरंतर प्रोत्साहित करना चाहिये, जिन्हें विद्यालय में उपयुक्त आयु स्तर पर प्रवेश दिया गया है।

2. **असंगतता का उन्मूलन**–एक शिक्षक की विद्यालय में महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है और शिक्षक भेदभाव वाली परम्पराओं को या तो स्थायी बना सकता है या फिर मिटा सकता है। शिक्षक द्वारा उपयुक्त और समयानुकूल हस्तक्षेप बालक के हृदय में पवित्र भावनाओं का विकास कर वर्तमान स्थिति को दीर्घकाल में उलट देगा।

3. **समावेशी कक्षाकक्ष**–शिक्षकों को सेवा पूर्व प्रशिक्षण के समय से ही जागरूक किया जाना प्रस्तावित है। कक्षा में अन्य बालकों के साथ योग्यता में भिन्न बालकों को सम्मिलित किया जाना चाहिये। अध्यापक शिक्षा तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रयोग हेतु

मान्यता प्राप्त विशेषज्ञों द्वारा विशेष उपागम विकसित किये जाने की आवश्यकता है। ब्लॉक स्तर पर समावेश की विशिष्ट समस्याओं को हल करने के लिये 20 दिवसीय अनिवार्य सेवा कालीन विशेष प्रशिक्षण आयोजित किया जाना चाहिये।

4. **शिक्षक व्यवहार हेतु मानदंड**–RTE में शारीरिक दंड के निर्वासन तथा दुर्व्यवहार से संबंधित कुछ मानदंड दिये गये हैं। इन मानदंडों की कड़ी निगरानी और समर्थन, उपरोक्त उल्लिखित कुछ दुराचारों, जैसे अनुसूचित जाति के बालकों से तुच्छ कार्य करवाना, को मिटाने में सहायक होंगे।

5. **प्रभावशाली शिक्षण विधियों तथा उपकरणों का विकास**–शिक्षक को ऐसी शिक्षण विधियों, उपकरणों और कक्षा अभ्यासों के विकास में सहायता करना जो सामाजिक बाधाओं को तोड़ने की अनुमति देती हों। ऐसे उपकरणों के विकास में विशेषज्ञों, सामाजिक समूहों से तकनीकी सहायता प्राप्त की जानी चाहिये।

6. **शाला विकास योजना का प्रबंधन**–SMC के माध्यम से सामुदायिक सदस्यों की सहायता से शिक्षक को शाला विकास का प्रबंधन करना होता है।

समाज और विद्यालय के मध्य सातत्य होता है। अभिभावकों और समुदाय के अन्य सदस्यों को विद्यालय का नियमित भ्रमण कर बालकों तथा शिक्षकों से बात करनी चाहिये और विकास प्रक्रिया में भागीदार बनना चाहिये। बालकों तथा समुदाय में उस शिक्षक के प्रति आदर भावना होती है जो समुदाय की सभी विकासात्मक गतिविधियों में शामिल होता है।

शिक्षक से उपरोक्त वर्णित अपेक्षायें सुविस्तृत नहीं हैं अपितु विद्यालय व्यवस्था में शिक्षक की भूमिका के संकेत हैं। शैक्षिक विकास के लिये अन्य कोई व्यक्ति उतना महत्त्वपूर्ण नहीं है जितना कि शिक्षक है। इसलिये, शिक्षक का व्यावसायिक विकास बहुत महत्त्वपूर्ण है, जिसके बारे में आप अगले खंड में पढ़ेंगे।

प्रगति जाँच-3

निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिये। उत्तरों हेतु स्थान दिया गया है।

1. समुदाय और विद्यालय के संदर्भ में शिक्षक की पांच भूमिकाओं की सूची बनाइये।

.....

.....

.....

टिप्पणी

6.6 शिक्षकों का व्यावसायिक विकास

शिक्षक विकास व्यापक प्रक्रिया है जिसमें कई आयाम जैसे व्यक्तित्व, पाठ्यचर्या व्यूह रचनायें, और प्रबंधन कौशल सम्मिलित होते हैं। शिक्षकों को अपने अद्यतन की आवश्यकता होती है विशेषत: वर्तमान परिदृश्य में जहां ज्ञान बहुत तेजी से पुराना पड़ जाता है। शैक्षिक साथ ही साथ सामाजिक वास्तविकतायें अनिवार्य बनाती हैं कि शिक्षक सदैव विकास की स्थिति में हों।

यदि हम विकल्पों का सावधानी पूर्वक परीक्षण करें तो एक शिक्षक अपने व्यवसाय के विकास में दो मुख्य प्रचलनों का प्रयोग कर सकते हैं–

- आवश्यकता आधारित और निरंतर शिक्षा आधारित विशेषज्ञों की मदद से संस्थाओं द्वारा आयोजित सेवा कालीन कार्यक्रम
- स्वाध्याय, सहपाठी अधिगम, और समुदाय में अंत:क्रिया से अधिगम

बाद वाले की सर्वव्यापी प्रकृति के बावजूद; अर्थात् अनुभव के माध्यम से समुदाय में स्व-अधिगम पर पहले वाले अर्थात् सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम पर अधिक बल दिया जाता है। क्योंकि यह अपेक्षाकृत अधिक व्यवस्थित तथा नियंत्रित होते हैं।

चित्र : शिक्षकों का व्यावसायिक विकास

सेवा कालीन प्रशिक्षण के कई प्रतिरूप होते हैं–

- **Face to Face (आमने-सामने) संस्थानिक प्रतिरूप**–जहां प्राय: प्रशिक्षण संस्थान में शिक्षकों का प्रत्यक्ष कक्षाकक्ष शिक्षण प्रयोग कर प्रशिक्षण दिया जाता है। व्याख्यान, प्रदर्शन, परिचर्चा, परियोजना कार्य आदि को कार्य सम्पादन के लिये अपनाया जाता है। इसकी सीमा यह है कि इसके द्वारा विशाल प्रशिक्षणों को कम समय में संबोधित नहीं किया जा सकता।
- **Cascade Model (प्रपात प्रतिरूप)**–जहां पर दो या तीन श्रेणी प्रणाली में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। प्रथम स्तर पर मुख्य संसाधन व्यक्ति को प्रशिक्षित किया जाता है, वे संसाधन व्यक्तियों को प्रशिक्षित करते हैं और वे बारी-बारी से शिक्षकों को प्रशिक्षित करते हैं। इस प्रकार बड़ी संख्या में लोगों को प्रशिक्षित किया जा सकता है किन्तु श्रेणी प्रणाली में संचार के कारण प्रशिक्षण की प्रभावशीलता में कमी आ जाती है।

- **दूरस्थ शिक्षा प्रतिरूप**–जहां पर शिक्षकों को बहु-माध्यम जैसे मुद्रित सामग्री, ध्वनि, चित्र एवं चलचित्र सामग्री का प्रयोग कर प्रशिक्षित किया जाता है। बहुत तीव्रता से होने वाले तकनीकी सुधारों के साथ ध्वनि और वीडियो कांन्फ्रेंसिंग का प्रयोग प्रशिक्षुओं तथा प्रशिक्षक के मध्य की दूरी पर सेतु का कार्य करता है। सोशल नेटवर्किंग साइट्स का प्रयोग अंत:क्रिया को 24X7 बनाने के लिये किया जाता है।

कुछ विचार हैं जिन्हें ध्यान में रखना आवश्यक है। जब शिक्षक किसी अन्य संस्थान में प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेते हैं तो इसे 'off-site approach' कहा जाता है और जब उनहें विद्यालय में ही प्रशिक्षण दिया जाता है, क्योंकि वे कार्य स्थल को नहीं छोड़ते हैं, तब इसे 'on-site approach' कहते हैं। on site approach को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि यह शिक्षकों को उनके कार्यस्थल से हटाती नहीं है और प्रत्यक्ष अधिगम हो जाता है।

6.6.1 राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न प्रयास

शिक्षकों के व्यवसायिक विकास के महत्त्व पर कई समितियों ने बल दिया है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 और POA, 1992 में इसे पुन: दोहराया गया और सतत (निरंतर) आधार पर शिक्षकों के व्यावसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई। DPEP, SSA और RTE ने इस क्षेत्र पर बल दिया है। 1986 में, NCERT ने Pogramme of Mass Orientation of School Teachers (PMOST) नामक प्रशिक्षण कार्यक्रम शिक्षकों को NPE, 1986 के नये मुख्य विषय क्षेत्र से परिचित कराने के मुख्य उद्देश्य के साथ प्रारंभ किया। संख्याओं की भयावहता ने सभी शिक्षकों के लिये cascade Model (प्रपात प्रतिरूप) का पालन किये जाने को मजबूर कर दिया। वर्ष 1993-94 में NCERT ने पुन: एक कार्यक्रम SPOT (Special Orientation Program for Primary Teachers) शिक्षकों को न्यूनतम अधिगम स्तर के अनुसार योग्यताओं से परिचित कराने और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की सामग्री के प्रयोग, इसी प्रकार गतिविधि आधारित और अधिगम की बालकेंद्रित विधियों से परिचित कराने हेतु प्रारंभ किया। इसके उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आमने-सामने (Face to Face) तथा स्व-निर्देशात्मक दोनों सामग्रियों का प्रयोग किया गया।

प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को अधिगम केंद्रित शिक्षण विधियों में सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान करने और शिक्षकों को विद्यालय आधारित समर्थन देने की स्पष्ट अनिवार्यता के साथ देशभर में DPEP कार्यक्रम के अंतर्गत जनपद स्तर पर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के अतिरिक्त, ब्लॉक रिसोर्स सेन्टर; (BRC) तथा क्लस्टर रिसोर्स सेन्टर (CRC) की स्थापना की गई।

SSA ने प्रत्येक अध्यापक को सतत् सेवा कालीन अध्यापक शिक्षा में एक वर्ष में 20 दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया है। शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु प्रयासों में तेजी लाने के लिये पूर्व के प्रावधानों को नवीनीकृत प्रावधानों के साथ एकीकृत कर दिया गया है। अधिगम की निर्माणात्मक विधियां, सामाजिक समावेश कुछ ऐसी आधुनिक विषय वस्तु हैं, जिन्हें संबोधित किया जाना है।

अप्रशिक्षित अध्यापकों की संख्या की भयावहता को देखते हुए प्राथमिक शिक्षकों की आवश्यकताओं और उनके व्यावसायिक विकास का प्रबंध करने के लिये दूरस्थ शिक्षा के

टिप्पणी

विकल्प को लागू किये जाने पर सहमति बनी। शिक्षकों को उनके कार्य से दूर किये बिना हस्तक्षेप कर, उनके दैनिक क्रियाकलापों में ज्ञान, समझ, और कौशल के स्थानांतरण को अधिक उपयुक्त बनाना, दूरस्थ शिक्षा की अद्वितीय शक्ति होती है। सदैव आगे बढ़ने की तकनीकी से अनुपूरकों के साथ अंतर परसेतु बांधने में, स्व-निर्देशात्मक सामग्रियों के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। तकनीकी हस्तक्षेपों के द्वारा समकक्ष से समकक्ष तथा विद्यार्थी और शिक्षक की अंत:क्रिया को सम्पन्न किया जाता है। दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम–SSA के अंतर्गत शिक्षकों के व्यावसायिक विकास के लिये दूरस्थ विधि के उपयोग का दायित्व सर्वशिक्षा अभियान (DEP-SSA) को सौंपा गया है। शिक्षकों की विस्थापन की समस्या तथा संख्या की भयावहता DEP-SSA द्वारा संबोधित किये गये हैं। DEP-SSA सेवा कालीन शिक्षक प्रशिक्षण की देखभाल हेतु अधिक संख्या में शिक्षकों तक पहुंचने के लिये दूरस्थ शिक्षा विधि यों का प्रयोग किया जाता है। IGNOU और NIOS ने अप्रशिक्षित अंत: सेवा शिक्षकों के लिये NCTE के मानदंडों के अनुसार प्रमाणन हेतु D.El.Ed. कार्यक्रम प्रारंभ किया है।

शिक्षक पृथक रूप में प्रशिक्षण एवं कार्य नहीं करते है वरन् वे उस समुदाय का अभिन्न अंग होते हैं जिसकी वे सेवा करते हैं। शिक्षा की वृद्धि और विकास के लिये साथ मिलकर कार्य करने हेतु शिक्षकों और समुदाय के बीच सहजीवी संबंधों का निर्धारण SSA तथा RTE द्वारा किया गया है। आइये हम आगामी उपखंड में इस संबंध का अन्वेषण करने का प्रयास करते हैं।

6.6.2 समुदाय में विकास

क्रियाकलाप-3

अपने दादा-दादी द्वारा सुनाई जाने वाली कहानियों को याद कीजिये। क्या उन कहानियों में कोई संदेश होता था? क्या आप एक अध्यापक के रूप में विद्यालयी शिक्षा से इसे संबंधित कर सकते हैं?

चित्र : समुदाय में अंत:क्रिया के माध्यम से व्यावसायिक विकास

स्रोत : http://www.ssa.tn.nic.in/Gallery/ABL 01.jpg

समुदाय में कई अच्छी कहानियां होती हैं जो बालकों में मूल्यों के विकास के लिये बहुत

महत्त्वपूर्ण होती हैं। उनका उपयोग कक्षा शिक्षण में संसाधन के रूप में भी किया जा सकता है। वे शिक्षक के लिये स्व-अधिगम अनुभव भी होते हैं और उनके व्यावसायिक विकास में योगदान करते हैं। कक्षा में प्रभावशाली शिक्षण अधिगम का समुदाय एक अच्छा स्रोत होता है। आइये हम अगले उपखंड में देखते हैं कि इसका किस प्रकार संसाधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है।

6.6.2.1 संसाधन के रूप में समुदाय

आपने पिछले खंड में समुदाय के बारे में पढ़ा। आप हमसे सहमत होंगे कि आपके चारों ओर स्थित प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण समुदाय होता है जो एक समृद्ध स्थानीय संसाधन है। यह कई वर्षों में और सामूहिक प्रयासों से निर्मित हुआ है, जहां प्रत्येक परिवार के पास दादी मां की कहानियों, लोकगीतों, कविताओं, पहेलियों, नृत्यों और जीविका कौशलों के रूप में विविध ज्ञान और कौशलों का भंडार होता है। पीढ़ियों से पसंद की जाने वाली 'दादी-नानी की कहानियां' याद कीजिये, लोकप्रिय 'दादी के नुस्खे' जो कि स्वास्थ्य और जीवन शैली से संबंधित समस्याओं का घरेलू और स्थानीय समाधान उपलब्ध कराते थे। इस स्थानीय ज्ञान को यदि एकीकृत किया जाये और विद्यालय द्वारा उस का प्रयोग किया जाये, तो इसमें बालकों के लिये समृद्ध अधिगम संसाधन होने की शक्ति का पता चलता है। सामुदायिक ज्ञान व्यापक होता है और, इसलिये भाषा, विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान सहित सभी विषय क्षेत्रों के शिक्षण और अधिगम के लिये यह एक समृद्ध संसाधन है।

आप को याद होगा कि इस आयु वर्ग के बालक मूर्तसंक्रियात्मक अवस्था में होते हैं। इसलिये स्थानीय वातावरण अवधारणा निर्माण हेतु मूर्त उदाहरण प्रदान करता है।

शिक्षक के रूप में, आपको कक्षा के पाठ्यक्रम से बाहरी जगत का संबंध और एकीकरण करना होता है। उदाहरण के लिये भाषा संसाधन के रूप में लोककथायें, कवितायें, गीत, स्थानीय मुद्दों पर नाटक ध्यानाकर्षित करने वाले होते हैं। सभी सामुदायिक गतिविधियों में गणित और विज्ञान विभिन्न अनुणत से शामिल होता है और इस प्रकार यह युवा बालकों में अवधारणाओं को (दृढ़) करने में सहायता करता है। विज्ञान और गणित की अवधारणाओं के लिये कृषि जैसी गतिविधियां अच्छा संसाधन होती हैं। काष्ठ कला, मिट्टी का काम, पाक कला और यातायात जैसी गतिविधियां सामाजिक विज्ञान अवधारणाओं के जीवन्त उदाहरण हैं। सामाजिक विज्ञान अध्यापक को किसी अधिगम सामग्री के प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती जैसा कि बालकों के लिये सम्पूर्ण समुदाय ही सामाजिक विज्ञान प्रयोगशाला के रूप में कार्य करता है। स्वतंत्रता पूर्व के दिनों में-महात्मा गांधी ने 'बेसिक शिक्षा' या 'बुनियादी शिक्षा' को प्रस्तुत किया, जो कि स्वदेशी की बुनियाद रखने और समुदाय में शिक्षा की प्रगति के लिये था। विद्यालयी शिक्षा के लिये समुदाय का संसाधन रूप में प्रयोग करने की इसमें सभी विशेषतायें थीं। उन्होंने स्थानीय हस्त कलाओं जैसे 'खादी के लिये चरखा' केंद्रीय विषय वस्तु के रूप में रखे जाने की पैरवी की और जिससे एक शिक्षक इस विषय वस्तु से स्थानीय इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, मानव शास्त्र और समाज शास्त्र को संबद्ध कर सकता है। स्थानीय विषय वस्तु का प्रयोग कर बालक ज्ञान और कौशल प्राप्त कर सकते हैं; जो उन्हें कक्षा के बाहर के जीवन से विद्यालयी ज्ञान को संबद्ध करने की योग्यता प्रदान करेगा। NCF 2005

टिप्पणी

सिफरिश करता है कि बच्चो के ज्ञान और अनुभव को तथा कक्षा के भीतर के ज्ञान को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने की आवश्यकता है। विद्यालय को इस प्रकार के भाव को पोषित करने की आवश्यकता है जहाँ अध्यापक समुदाय के साथ ज्ञान के भागीदार के रूप में प्रभावकारी विद्यालय विकास और प्रबंधन के लिए कार्य करे।

6.6.2.2 सहजीवी विकास-शिक्षक और समुदाय

क्या आपको अपनी द्वितीय कक्षा के अध्यापक याद हैं? आप उनके बारे में कैसा महसूस करते हैं? आप किसे एक अच्छा अध्यापक मानते हैं?

यह आत्मविश्लेषण का क्षण है। आप अपने उस शिक्षक को स्नेह या विद्वेष से याद कर सकते हैं परन्तु उनकी आपके विकास में एक निश्चित भूमिका रही है। हममें से अधिकांश लोगों के पास अपने उन अध्यापकों की प्रिय यादें होंगी जिन्होंने अपने शिक्षण को केवल विषय वस्तु तक सीमित न रखकर अपितु इस विषय वस्तु का कक्षा के बाहर के वातावरण में विस्तार किया और अधिगम को बहिर्जगत से संबद्ध कर सार्थक बनाया होगा।

शिक्षक को केवल कक्षाकक्ष में शिक्षण के लिये ही तैयार नहीं होना चाहिये वरन् बाहर की दुनिया को संसाधन के रूप में कक्षा में शिक्षण अधिगम के लिये प्रयोग भी करना चाहिये। उसे विद्यार्थियों, अभिभावकों, और समुदाय को समझने का प्रयास करना चाहिये जिससे बालक विद्यालय में सीखने के लिये आयें।

समुदाय के परिप्रेक्ष्य में, शिक्षक की भूमिका बहुत गतिशील होती है। वह समुदाय के विविध पहलुओं पर कार्य करता है और बदले में अपने व्यावसायिक कौशलों का विकास करता है। इनमें सम्मिलित है :

(i) सरकारी विद्यालयों में कई बालक प्रथम पीढ़ी के अधिगमकर्ता होते हैं; शिक्षक के लिये बड़ी चुनौतियों में से एक बड़ी चुनौती अभिभावकों के बीच शिक्षा के महत्त्व को बढ़ावा देने की होती है, विशेषत: उन अभिभावकों को जो ग्रामीण क्षेत्र के हैं जिससे कि वे अपने बालकों को विद्यालय भेजें। शिक्षक की अग्रसक्रिय भूमिका अभिभावकों में विश्वास का निर्माण करती है। जिससे कि वे आगे आते हैं और अपने बालकों को विद्यालय में हैं। शिक्षक को SMC की मदद से विद्यालय में प्रवेश को सुनिश्चित करना चाहिये। बदले में शिक्षक अपने व्यावसायिक विकास के अंग में रूप में सामाजिक, नेतृत्व और प्रबंधन कौशलों का विकास और अभ्यास करता है।

(ii) शिक्षकों को उन वयस्कों को जिन्हें उनके बचपन में विद्यालय जाने का अवसर नहीं मिला को शिक्षित बनाने हेतु आयोजित राष्ट्रीय साक्षरता अभियान और प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों का अंग बनना चाहिये। कभी-कभी यह कठिन लगता है, इस तथ्य के बावजूद भी वे उन्हें शिक्षित होने के लाभों से प्रेरित कर आगे ला सकते हैं। यह समुदाय की शैक्षिक स्थिति का स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करने में उनकी सहायता करेगा और वे भविष्य में सम्पूर्ण नामांकन और तदोपरान्त विद्यालय में प्रतिरक्षण के संबंध में मिलने वाली सहायता का आकलन करने के योग्य हो जायेंगे।

(iii) समुदाय विशेषत: हमारे ग्रामीण समुदाय को स्वास्थ्य एवं विकास से संबंधित मुद्दों जैसे टीकाकरण, जन्म नियंत्रण उपाय, गर्भावस्था में महिलाओं का स्वास्थ्य और बाल जन्म, घर के बाहर और अंदर स्वच्छता, संक्रामक रोग, व्यक्तिगत स्वच्छता पर जागरूकता कार्यक्रम की आवश्यकता होती है। शिक्षक, विस्तृत परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षित व्यक्ति होने के कारण, उन्हें या तो प्रत्यक्ष रूप से लोगों को जानकारी देनी चाहिये या फिर डॉक्टर जैसे किसी उचित जानकारी के स्रोत की ओर लोगों को बढ़ावा देना चाहिये। विद्यालय वातावरण के लिये भी इन जागरूकता अभियानों को लागू किया जा सकता है। बालकों को भी स्वास्थ्य और स्वच्छता का ध्यान रखने की आवश्यकता होती है।

(iv) कई बार शिक्षक समुदाय में सर्वाधिक योग्य व्यक्ति होता है। इसलिये, सामुदायिक सदस्य विशेषत: विद्यार्थियों के अभिभावक यह आशा करते हैं कि उनकी अपेक्षा एक शिक्षक उनके बालकों के लिये अनुकरणीय व्यक्ति हो। वे चाहते हैं कि एक शिक्षक उनके बालकों के लिये अनुकरणीय व्यक्ति हो जिसकी वे नकल और अनुपालन करें। उसका व्यक्तित्व मानवतावादी व्यवहार की ओर विकसित होता हो।

(v) ग्रामीण समुदाय में जहां वयस्क जनसंख्या बहुलता में निरक्षर अथवा अल्प शिक्षित होती है, एक शिक्षक को ऐसे में मार्गदर्शक, दार्शनिक, और एक परामर्शदाता के रूप में देखा जाता है। जब समुदाय के सदस्यों को कोई समस्या आती है तो वे अपनी समस्या के समाधान के लिये शिक्षक के पास जाते हैं। शिक्षक उसके पास उपलब्ध सैद्धान्तिक ज्ञान के आधार पर समस्याओं के समाधान से प्रारंभ करता है और बाद में अनुभवों से वह समर्थ परामर्शदाता बन जाता है।

(vi) नगरीय क्षेत्रों में, शिक्षक समुदाय के लिये एक बांधने वाली शक्ति हो सकता है, नगरीय समुदाय ग्रामीण समुदाय की भांति विकट रूप से जुड़े हुए नहीं हो सकते। यहां उसकी नेता जैसी भूमिका जो सभी को प्रेरित कर एक साथ संगठित रखने का महत्त्वपूर्ण कार्य करती है।

यह स्पष्ट दिखाई देता है कि सभी समुदायों विशेषत: ग्रामीण समुदायों में एक शिक्षक को बहुआयामी भूमिका का निर्वाह करना पड़ता है। वह विद्यालय में केवल बालकों का प्रशिक्षक ही नहीं हो सकता अपितु उसे समुदाय के विकास के लिये अपने सभी गुणों का अभ्यास करना होता है। यह भी सुस्पष्ट है कि समुदाय में इन सभी विविध भूमिकाओं के निर्वाह करने हेतु एक शिक्षक में परानुभूति, धैर्य, नि:स्वार्थता, शुद्ध अंत:करण, सेवा भावना, कुशल श्रोता; और मानवता के प्रति मौलिक प्रेम जैसे गुण होने चाहिये। यदि हम शिक्षकों के अंत: सेवा प्रशिक्षण को देखते हैं, जहां पर विभिन्न केस स्टडी तथा क्रियाकलापों के माध्यम से प्रशिक्षण देने पर बल दिया जाता है एक शिक्षक, जब समुदाय में कार्यरत होना है, तो समस्याओं के समाधान पर कार्य करने के कई अवसर प्राप्त होते हैं। उन्हें योजनायें तैयार करनी होती हैं, SMC के माध्यम से अनुदान राशि प्राप्त करनी होती है, इस राशि का उपयोग करना, औचित्य देना और खातों का रखरखाव करना होता है। इस प्रकार वे समुदाय में कार्य करते हुये व्यावसायिक अनुभवों का विकास करते हैं। समुदाय के सदस्यों, नेताओं के साथ मिलकर काम करने के द्वारा सामाजिक और सम्प्रेषण कौशलों को सीखने के लिये समुदाय एक अच्छा स्थान होता है। इसलिये एक शिक्षक समुदाय में कार्य करते हुए व्यावसायिक विकास करता है।

टिप्पणी

प्रगति जाँच-4

निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिये। उत्तरों के लिये स्थान दिया गया है।

1. रिक्त स्थान भरिये–

   (a) महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित स्वदेशी शिक्षा थी.....

   (b) BRC और CRC की स्थापना ..... की योजना के अंतर्गत की गई।

   (c) NCERT शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था ..... मॉडल के अंतर्गत करता है।

2. व्यावसायिक विकास से आप क्या समझते हैं? 4-5 पंक्तियों में लिखिये

   .....

   .....

   .....

6.7 समुदाय में शिक्षक नेतृत्व

एक शिक्षक का नेतृत्व कौशल उसकी महत्त्वपूर्ण विशेषता होती हैं चाहें वह कक्षा में शिक्षण कर रहा हो या कक्षा के बाहर पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप के लिये कार्य कर रहा हो। शिक्षक और उसके नेतृत्व कौशल की विस्तार से चर्चा अगली इकाई में की जायेगी। जैसा कि पहले भागों में हम चर्चा कर चुके हैं कि विद्यालय में बालकों के वृद्धि और विकास के लिये शिक्षक सामुदायिक सदस्यों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाकर कार्य करता है। एक शिक्षक के नेतृत्व गुणों द्वारा, कक्षा में सीखने वाले युवा अध्येताओं में प्राकृतिक रूप से ही नेतृत्व कौशल अधिगमित हो जाते हैं। यदि एक अध्यापक SMC सभाओं में अपने नेतृत्व कौशल का अभ्यास विद्यालय की शाला विकास योजना की सूक्ष्म योजना निर्माण और इसे लागू करवाने में करे, तो हम विद्यालय विकास के लिये अधिक सामंजस्यपूर्ण प्रयासों की विश्वसनीय अपेक्षा कर सकते हैं। RTE ने शाला विकास योजना निर्माण में SMC के सदस्यों की भागीदारी की पूर्ण भूमिका की पैरवी की है।

विद्यालय में शैक्षिक गतिविधियों के लिये शिक्षक उत्तरदायी होता है, और वह इसकी योजना बना सकता है और SMC के अनुमोदन के माध्यम से राशि प्राप्त कर सकता है। एक शिक्षक की कक्षा और विद्यालय में नेता की भूमिका होती है इस प्रकार उसकी इस भूमिका का समुदाय में विस्तार तार्किक प्रतीत होता है। परिमाणत: वह तथाकथित राजनैतिक संबद्धता के बगैर ही प्रजातांत्रिक और प्राकृतिक नेता के रूप में प्रकट हो सकता है, उस सामाजिक पद स्थिति की वजह से नहीं अपितु विद्यालय प्रबंधन की योग्यता के कारण, जहां पर लिंग, जाति या समुदाय आधारित कोई भेदभाव या पक्षपात नहीं होता। अध्यापक को विद्यालय को प्राप्त

होने वाले अनुदानों, निर्माण और मिड डे मील आदि सबंधी खातों का रख-रखाव भी करना होता है। SMC द्वारा विभिन्न जिम्मेदार प्रतिनिधियों को शामिल कर के SDP तैयार किया जाता है। प्रत्येक विद्यालय की आवश्यकताओं और परिस्थितियों को एक प्रासंगिक तरीके से व्यवहारित करना होता है, और विद्यालय के आंतरिक प्रबंधन को मजबूत किये जाने की आवश्यकता होती है। जैसा कि SSA विचार करता है कि एक निम्न से उच्च उपागम में विकेन्द्रीकृत आवश्यकता आधारित और भागीदारी पूर्ण योजना निर्माण में शिक्षक की एक नेता के रूप में भूमिका निर्देशन के लिए और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है।

RTE एक्ट में प्रावधान किया गया है कि विद्यालयी योजना प्रक्रिया में एक अध्यापक के रूप में आपकी भूमिका केन्द्रीय होगी और आप विकास के अपेक्षित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये समूह को नेतृत्व प्रदान करेंगे।

विद्यालय के निकटस्थ समुदाय समुदाय के सभी सदस्यों के साथ परामर्श कर कोर टीम द्वारा विद्यालय विकास योजना का प्रयत्न किया जा सकता है। यह समुदाय की आवश्यकताओं के संबंध में आपको अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा और जिन्हें SDP में समाविष्ट किया जा सकेगा। विद्यालय विकास योजना पहले क्लस्टर को, फिर ब्लॉक को और तत्पश्चात् जिले को भेजी जायेगी। शिक्षक को एक शिक्षित सदस्य के रूप में नेता की भूमिका को पूरी प्रक्रिया में चित्रित करना होगा जिससे कि क्षेत्र का शैक्षिक विकास नगण्य न हो और SSA तथा RTE में सूचीबद्ध सभी प्रावधान, जिनके बारे में आप पिछली इकाई में पढ़ चुके हैं, बालकों को प्राप्त हो सकें।

6.8 सारांश

विद्यालय व्यवस्था में शिक्षक की केंद्रिय भूमिका होती है, इसलिये, शिक्षक का विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग (NKC) ने अवलोकन किया है कि शिक्षक विद्यालय व्यवस्था का एक मात्र सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण घटक होते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात् विद्यालयी शिक्षा में उल्लेखनीय विकास हुए हैं। NPE ने UEE का लक्ष्य प्राप्त करने की शुरूआत की और कई कार्यक्रम जैसे OBB, SKP, APPEP, BEP, UPBEP, MS, LJP प्रस्तुत किये गये। प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिये भारत के मुख्य कार्यक्रम के रूप में DPEP तदोपरान्त SSA को लागू किया गया। प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण ने विद्यालयी शिक्षकों के लिये निरंतर चुनौतियां खड़ी कर दी। SSA तत्पश्चात RTE कानून ने जोर दिया है कि विद्यालय संगठन के संपूर्ण संचालन का उत्तरदायित्व शिक्षक पर होगा। विद्यालयी पाठ्यचर्या के उत्तरदायित्व के अतिरिक्त उन्हें समुदाय के अन्य सदस्यों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाकर विद्यालय प्रबंधन समिति के अंग के रूप में कार्य करना होगा। सभी बच्चों की गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा, विद्यालय व्यवस्था में समानता लाने और पहुंच बढ़ाने के लिये SSA ने कई प्रावधान तथा हस्तक्षेप किये हैं।

शिक्षक के शैक्षिक और व्यावसायिक मापदंड विद्यालयी शिक्षा के महत्त्वपूर्ण घटक तथा शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति का विधान करते हैं। शिक्षक की गुणवत्ता कई घटकों पर निर्भर करती है: शिक्षकों को सामाजिक दशा, पारिश्रमिक, कार्य की परिस्थितियां, और उनकी शैक्षिक तथा

टिप्पणी

व्यावसायिक शिक्षा अध्यापक की भूमिका विविधतापूर्ण होती है। वह प्रशिक्षक; अधिगम हेतु सुविधा प्रदान करने वाला; परामर्शदाता; ज्ञान का उत्पादक: विद्यालय-समुदाय के बीच सेतु; सामाजिक परिवर्तन का अभिकर्ता; नेता होता है। NCERT द्वारा विविध योजनायें जैसे PMOST, SOPT प्रारंभ की गयीं, इसके अतिरिक्त देशभर में चलाये जा रहे DPEP कार्यक्रम के अंतर्गत CRC और BRC की स्थापना की गई, बाल केंद्रित शिक्षण विधियों तथा शिक्षकों को विद्यालय आधारित प्रोत्साहन में प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को अंत: सेवा प्रशिक्षण प्रदान करने को स्पष्ट रूप से अनिवार्य बनाया गया।

समुदाय और शिक्षक के बीच एक सहजीवी संबंध स्थापित होता है। SSA तथा RTE ने SMC के निर्माण के द्वारा विद्यालय में समुदाय की भूमिका को बढ़ावा दिये जाने पर बल दिया है। विद्यालय विकास योजना का क्रियान्वयन SMC द्वारा होगा और एक शिक्षक को विद्यालय के विकास और अपने व्यावसायिक विकास के लिये समुदाय से घनिष्ठ संबंध बनाकर कार्य करना होगा।

6.9 प्रगति की जाँच के उत्तर

प्रगति की जाँच-1

1. असत्य
2. सत्य
3. असत्य

प्रगति की जाँच-2

1. हां
2. नहीं
3. हां
4. हां
5. नहीं

प्रगति की जाँच-3

शिक्षकों की विविध भूमिकायें होती हैं। शिक्षक कक्षा प्रबंधक, प्रशिक्षक, नेता, सामाजिक, परिवर्तन के अभिकर्ता, परामर्शदाता, और ज्ञान के उत्पादक होते हैं। आपके उत्तर में ये अथवा अन्य भूमिकाएं जिन्हें इकाई में सूचीबद्ध किया गया है, सम्मिलित हो सकते हैं।

प्रगति की जाँच-4

1. (a) बेसिक शिक्षा/बुनियादी शिक्षा

(b) DPEP

(c) Cascade Model (कास्केड मॉडल या प्रपात प्रतिरूप)

2. आपके उत्तर में इन बिंदुओं को सम्मिलित किया जाना चाहिये ज्ञान के अद्यतन के लिये, प्रशिक्षित अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिये, नवीन बाल केंद्रित शिक्षण विधियों को प्रोत्साहन देने के लिये, अधिगम भावना के जीवित बनाये रखने के लिये एक प्रज्वलित दीपक ही अन्य दीपक को प्रज्वलित कर सकता है के रूप में।

6.10 संदर्भ ग्रंथ एवं कुछ उपयोगी पुस्तकें

1. Rao Vasanta Srinivas 2009, Lack of community participation in the Sarva Shiksha Abhiyan : A case study. Economic & Political Weekly, Vol XLIV No. Retrieved from http://uohyd.academia.edu/S Vasanta/Papers/252054/Lack_of_Community_Participation_in_Sarva_Shiksha_Abhiyan_A_Case_Study.

2. Sarva Shiksha Abhiyan, framework of Implementation (Revised 09-06-2011). Retrieved (30.09.11) from http://ssa.nic.in/page_partletlinks?foldername=ssa-frame work.

3. Sarva Shiksha Abhiyan, frame work of Implementation (16-12-2010). Retrieved (30-09-11) from http://www.cips.org.in/public-sector-systems-government-innovations/documents/articles/draff-ssa-frame work.pdf

4. National (curriculum framework for Teacher Education (2009). Retrieved (30-09-11) http://www.ncte-india.org/publicnotice/NCFTE-2010.pdf

5. Overview of community Mobilization in Sarva Shiksha Abhiyan Retrieved from www.indg.in/primary-education/overview-on-community-mobilisation.pdf.

6. DEP-SSA-IGNOU(2007): Community Mobilization: An Aspect of Quality Improvement under SSA.

7. Saraf, S.N. (1998), Teacher Preparation, NCTE, New Delhi

8. Arora, GL. (2002), Teacher and their Teaching-Nead for New Perspectives. Ravi Books, New Delhi.

6.11 अन्त्य इकाई अभ्यास

1. शिक्षा प्रणाली में अध्यापक की भूमिका की व्याख्या कीजिए।

2. सामुदायिक विकास में एक अच्छे अध्यापक के नेतृत्व की भूमिका पर चर्चा कीजिए।

इकाई–7 शिक्षक का नेतृत्व

संरचना

7.0 प्रस्तावना

7.1 अधिगम उद्देश्य

7.2 नेतृत्व की संकल्पना

7.3 नेतृत्व बनाम प्रबंधन

7.4 नेतृत्व की शैलियाँ

7.4.1 निरंकुश नेतृत्व

7.4.2 अहस्तक्षेप वाला नेतृत्व

7.4.3 सुस्त नेतृत्व

7.4.4 प्रजातांत्रिक नेतृत्व

7.5 नेतृत्व के कार्य

7.5.1 निर्देशात्मक कार्य

7.5.2 रूपान्तरतात्मक कार्य

7.5.3 नैतिक कार्य

7.5.4 सहयोगी कार्य

7.5.5 आकस्मिक कार्य

7.6 सारांश

7.7 संदर्भ ग्रंथ एवं कुछ उपयोगी पुस्तकें

7.8 अन्त्य इकाई अभ्यास

7.0 प्रस्तावना

एक शैक्षिक संस्थान दो भिन्न सामाजिक शक्तियों: संस्कृति एवं परिवेश से अत्यधिक प्रभावित होता है। वे संस्थान की आत्मा एवं पहचान को सूचित करती है। संस्कृति समुदाय की

अपेक्षाओं एवं संस्थान के आत्म छवि को प्रस्तुत करता है। यह घटनाओं एवं पिछले नेतृत्व के प्रभावों, वर्तमान नेतृत्व, अभावों तथा संस्थान के इतिहास को जोड़ती है। या तरीका जिससे चीजें होनी है। समुदाय का सामूहिक दृष्टिकोण एवं अपेक्षायें जो संस्थान को परिभाषित करती हे इसकी संस्कृति का एक प्रतिबिम्ब है। व्यक्तिगत नेता संस्कृति को आसानी से परिवर्तित या सृजित नहीं कर सकते किन्तु इसे प्रभावी ढंग से जारी रखते है क्योंकि यह संस्थान की पहचान का एक अंग है।

दूसरी तरफ परिवेश 'संगठन की भावना' है जो साझा ज्ञानों एवं समुदाय की मनोवृत्तियों को प्रतिबिंबित करता है। परिवेश वर्तमान नेतृत्व एवं विद्यालय के चारों ओर के समुदाय द्वारा सृजित एक लघु अवधि का परिदृश्य है। 'संगठन की भावना' का व्यक्तिगत ज्ञान संगठन में होने वाली गतिविधियों के बारे में लोगों की मान्यता से आता है। ये गतिविधियाँ व्यक्तिगत एवं समुदाय दोनों की प्रेरणा एवं संतुष्टि को प्रभावित करती है।

इस इकाई में हम एक प्रभावी संगठनात्मक परिवेश प्राप्त करने के लिए विद्यालय व्यवस्था में इसके चारों ओर के तात्कालिक समुदाय के एक अंतरपृष्ठ के साथ शिक्षक के नेतृत्व के विभिन्न पहलुओं को देखेंगे।

7.1 अधिगम उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के पश्चात् आप सक्षम होंगे:-

- नेतृत्व की संकल्पना को स्पष्ट करने में।
- विश्लेषित करने में कि कैसे नेतृत्व, प्रबंधन से भिन्न है।
- नेतृत्व की विभिन्न शैलियों को पहचानने में तथा एक को दूसरे से अलग करने में।
- नेतृत्व के कार्यों का वर्णन करने में एवं विद्यालय के उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए उनमें से एक उपयुक्त को पहचानने में।
- ग्राम समितियों एवं स्थानीय स्वसरकार की शैक्षिक अपेक्षाओं को संबोधित करने में शिक्षक नेता की भूमिका पर चर्चा करने में।
- समुदाय में शैक्षिक नेतृत्व देने में एक आदर्श के रूप में शिक्षक की चर्चा करने में।

7.2 नेतृत्व की संकल्पना

शैक्षिक वर्ष में कक्षा में अपने पहले ही दिन अधिकांश शिक्षकों की तरह उसने विद्यार्थियों को देखा और कहा कि उसने उन सभी को एक समान प्यार किया किन्तु यह असंभव था, क्योंकि वहाँ अंतिम पंक्ति में अपनी सीट में सिमटा हुआ प्रकाश नाम का एक छोटा लड़का था जिसे उसने कभी भी पसंद नहीं किया था।

टिप्पणी

श्रीमती मिश्रा ने प्रकाश को वर्ष भर पहले देखा था और नोटिस किया कि वह अन्य विद्यार्थियों के साथ नहीं घुलता मिलता था, क्योंकि उसके कपड़े मिट्टी में सने थे और वह स्वच्छ एवं चुस्त नहीं था। वह भी बात करने पर नाखुश था।

पाँचवीं कक्षा के कक्षाध्यापिका के रूप में श्रीमती मिश्रा को प्रत्येक बच्चे के पिछले रिकार्ड का पुनरावलोकन करना अपेक्षित था एवं जब उन्होंने प्रकाश की फाइल को पुनरावलोकित किया, तो एक सदमें और आश्चर्य में पड़ गईं।

प्रकाश के पहले ग्रेड के शिक्षक ने लिखा था -''प्रकाश एक प्यारे स्वभाव वाला एक कुशाग्र लड़का है। वह अपने गृहकार्य को गंभीरता से करता है तथा विद्यालय का आनंद लेता है। उसके दूसरे ग्रेड के शिक्षक ने लिखा था- ''प्रकाश एक होनहार बच्चा है, अपने सहपाठियों द्वारा पसन्द किया जाता है किन्तु वह परेशानी में रहता है क्योंकि उसकी माँ गंभीर रूप से बीमार थी और घर पर उसकी जिन्दगी एक संघर्ष हो जाती है।

उसके तीसरे ग्रेड के शिक्षक ने लिखा था- उसकी माँ की मृत्यु ने उसे गहरी परेशानी में डाल दिया। इसने उसके अध्ययन पर प्रतिकूल प्रभाव डालना शुरू कर दिया। यद्यपि वह अपना श्रेष्ठ करने की कोशिश करता है, उसके पिता न तो अधिक रूचि दिखाते हैं न ही जिस समुदाय में रहते हैं वह। यह उसके घर में दिखता है और शीघ्र ही उसे भी प्रभावित करने लगेगा यदि कुछ उपचारी कदम नहीं उठाये जाते हैं।

प्रकाश के चौथे ग्रेड के शिक्षक ने लिखा था-प्रकाश शान्त हो गया है और विद्यालय में अधिक रूचि नहीं रखता है। वह गृहकार्य को अनदेखा करता है। अब जो उसके थोड़े मित्र हैं उनसे भी नहीं मिलता जुलता है। वह कभी-कभी कक्षा में सो भी जाता है।

अब तक श्रीमती मिश्रा प्रकाश की समस्या को स्वीकार चुकी थी और वह स्वयं को लज्जित महसूस कर रही थी। उन्होंने पारंपरिक विद्यालय शिक्षण की दिनचर्या को पूर्ण किया जैसा वह करती थी। इसके बावजूद उन्होंने बच्चों के अधिगम को सुसाध्य करना शुरू कर दिया। श्रीमती मिश्रा प्रकाश पर विशेष ध्यान दिया। जैसे उन्होंने उसके साथ काम किया, उसका मस्तिष्क जीवंत हो गया। जितना अधिक उन्होंने उसे प्रोत्साहित किया उतनी जल्दी वह जवाब देना शुरू कर दिया। वर्ष के अन्त तक प्रकाश कक्षा में सर्वोत्तम बच्चों में से एक हो गया था, और उनके झूठ के बावजूद कि वह सभी बच्चों को एक जैसा प्यार करती थी, प्रकाश उनके प्रिय छात्रों में से एक हो गया।

एक वर्ष के पश्चात उन्होंने अपने दरवाजे के नीचे प्रकाश का एक नोट पाया, जिसमें उन्हें अब तक का सर्वश्रेष्ठ शिक्षक कहा गया था।

समय बीतता गया। प्रकाश यादों में बना रहा तथा अपने विद्यार्थी जीवन के प्रत्येक मील के पत्थर के बाद पत्रों को भेजता रहा। पत्रों में वर्णित होता था कि वह अब तक सर्वश्रेष्ठ एवं पसंदीदा शिक्षक बनी थीं।

दो वर्षों के पश्चात श्रीमती मिश्रा ने एक दूसरा पत्र प्राप्त किया। इस बार प्रकाश ने वर्णित

किया था कि अपनी MBBS की डिग्री प्राप्त करने के पश्चात उसने थोड़ा और आगे जाने का निर्णय किया। उसने उन्हें आश्वस्त किया था कि वह उसके सम्पूर्ण जीवन में आयी सर्वश्रेष्ठ शिक्षक थी तथा सूचित किया कि वह इस बसंत में उनसे मिलना चाहेगा लेकिन अब उसका नाम थोड़ा लम्बा था- पत्र पर हस्ताक्षर था प्रकाश मोहन, M D जैसा कि उसने वादा किया था इस बसंत प्रकाश श्रीमती मिश्रा से मिला वे एक दूसरे से गले लगे और डॉ मोहन श्रीमती मिश्रा के कानों में सरसरा रहा था-'धन्यवाद मैम मुझमें विश्वास रखने के लिए। तुम्हें बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे महत्वपूर्ण महसूस कराने एवं मुझमें विशिष्टता दिखाने के लिए कि मैं ऐसा कर सकती हूँ।

श्रीमती मिश्रा ने आँसूओं से भरी आँखों के साथ फुसफुसाया। उन्होंने कहा प्रकाश तुम पूरी तरह गलत हो। तुम एक थे जिसने मुझे पढ़ाया कि मैं ऐसी विशिष्टता कर सकती हूँ। मैं जब तक तुमसे नहीं मिली थी मैं नहीं जानती थी कैसे पढ़ाया जाता है? तुम मेरे लिए समुदाय में देखरेख एवं शिक्षा की जरूरतों वालों बच्चों का पता लगाने में एक प्रकाश वाहक हो गये हो। प्रत्येक बच्चे को विद्यालय लाने के लिए मेरी गतिविधियों को विस्तारित करने लायक तुमने मुझे बनाया। तुम एक हो जिसने मुझे स्वीकार कराया कि समुदाय को विद्यालय लाने एवं विद्यालय को समुदाय तक लाने के लिए एक शिक्षक को एक नेता होना चाहिए।

कहानी में श्रीमती मिश्रा नेतृत्व के जिस प्रकार को उद्धृत करती है उसे नोट कर सकते हो। उन्होंने इस छोटे बच्चे प्रकाश को समझा तथा उसके अनुभव को ऐसा बनाया जो कि महत्वपूर्ण था और उसने अपने जीवन को बदल लिया। उन्होंने भी समुदाय में बच्चों को अपनी सहायता को विस्तारित करने के उत्तरदायित्व को स्वय अपने उपर लिया। यह आश्चर्य जनक है कि शिक्षक नेता की भूमिका में एक शिक्षक क्या कर सकता है। शिक्षक विद्यालय एवं समुदाय में कुछ महानतम नेताओं में से है।

आगे बढ़ने से पहले अब हम नेतृत्व को संकल्पित करने की कोशिश करेंगें। अब निम्नलिखित पर चिन्तन एवं कार्य करें:-

(i) एक शिक्षक की पहचान करें जिसे आप एक प्रभावी शिक्षक नेता सोचते हैं।

(ii) उसके योगदानों का पता लगायें या सूचीबद्ध करें कि वह क्या करता है?

(iii) कौशलों को विश्लेषित करें जिन्हें वह विभिन्न स्थितियों के सामाधान के लिए प्रयुक्त करता है।

(iv) विविध व्यवस्थाओं में इस प्रभावी शिक्षक नेता के गुणों एवं लक्षणात्मक व्यवहारों को सूचीबद्ध करें।

(v) अब वर्णन करें कि शिक्षक नेतृत्व के बारे में क्या समझते हैं।

उपर्युक्त कार्य को करना आप से अपेक्षित है ताकि शिक्षक नेता के रूप में आप जो समझते हैं उसे संकल्पना के अनुभवात्मक एवं संकल्पनात्मक आधार पर प्रारंभ कर सकें।

टिप्पणी

नेतृत्व को परिभाषित करना

यह व्यापक मान्यता है कि जीवने के विभिन्न पहलुओं में सफलता के लिए नेतृत्व एक मुख्य वस्तु है। जब हम नेताओं के बारे में सोचते हैं तो तत्काल मस्तिष्क में महात्मा गाँधी, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस, डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन, अब्राहम लिंकन तथा नेल्सन मंडेला जैसे नाम आते हैं। यदि आप पूछे कि उन सबमें समान क्या है, अधिकांश लोग संक्षेप में 'अच्छा नेतृत्व' जवाब देंगे। किन्तु फिर हूबहू नेतृत्व क्या है?

वॉरेन बेन्निस (1975) के अनुसार-''नेतृत्व स्वयं को जानने का एक कार्य है जिसमें एक दृष्टि है जो अच्छी तरह संप्रेषित, सहयोगियों में विश्वास बनाने वाली तथा प्रभावी एक्शन लेने में आपके नेतृत्व क्षमता को स्वीकार करता है। वॉरेन बेन्निस की नेतृत्व की परिभाषा नेता की व्यक्तिगत क्षमता पर अधिक केन्द्रित है।

नेतृत्व की अन्य गहरी परिभाषायें भी निकली हैं। एलन कीथ (2009) कहते हैं कि '' ''नेतृत्व अन्ततः लोगों के लिए कुछ विलक्षण होने में योगदान करने का एक तरीका सृजित करने के बारे में है।''

समकालीन व्यवस्था (2003) में नेतृत्व-' नेताओं और समन्वयकारियों के बीच आपसी प्रभाव एवं सामान्य उद्देश्य पर आधारित एक गतिशील संबंध के रूप में हैं जिसमें दोनों उच्च स्तरों के प्रेरणा एवं नैतिक विकास की ओर जाते हैं जैसे वे अभिष्ट परिवर्तन को वास्तव में प्रभावित करते हैं।'' परिभाषा से चार महत्वपूर्ण पहलू निकलते हैं जैसे-संबंध, आपसी प्रभाव, सामान्य उद्देश्य एवं समन्वयकारियों। यहाँ:-

- संबंध घनिष्ठ समीपता में नेताओं एवं लोगों के बीच जुड़ाव है।
- आपसी प्रभाव का तात्पर्य है- नेता जो प्रभाव लोगों पर डालने का प्रयास करता है तथा जो उनसे प्रभावित होता है।
- सामान्य उद्देश्य वह है जो लोगों को की लाभ देने के लिए खड़ा होता है और जिसे नेता प्रस्तुत करता है।
- समन्वय कारी वे हैं जो अभिष्ट लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नेता के साथ सहयोग या कार्य करते हैं:-

Ken ogbonnia (2011) के अनुसार-''प्रभावी नेतृत्व संगठनात्मक या सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आन्तरिक एवं बाह्य वातावरण के अन्तर्गत उपलब्ध संसाधनों को सफलतापूर्वक एकीकृत करने और उच्चतम सीमा तक बढ़ाने की योग्यता है।'' यह परिभाषा तीन महत्वपूर्ण अंगों से जुड़ी है:-सफलता पूर्वक एकीकृत करने तथा उपलब्ध संसाधनों को उच्चतम सीमा तक बढ़ाना, पर्यावरण एवं संगठनात्मक या सामाजिक लक्ष्यों।

- आन्तरिक एवं बाह्य पर्यावरणों के बीच सफलतापूर्वक समाकलन करने की योग्यता। जहाँ हम विद्यालय एवं समुदाय को समझ सकते हैं।

- आन्तरिक एवं बाह्य पर्यावरणों के समाकलन एवं समन्वय द्वारा उपलब्ध संसाधनों को बढ़ाना।
- उपर्युक्त दो योग्यतायें संगठनात्मक एवं सामाजिक लक्ष्यों की ओर निर्देशित होती हैं।

Burns(1978) एवं Rost(1991) ने व्यापक भारतीय आख्यानों एवं नेतृत्व की व्याख्या को प्रस्तुत किया है। प्राचीन काल से हिन्दु गुरू शिक्षकों एवं नेताओं के रूप में अधिगमकर्ताओं के रूपान्तर की परंपरा को जारी रखा है। एक अद्वीतिय शैक्षिक प्रणाली जो सिद्धान्त एवं अभ्यास को समंजित करता है में ज्ञान को अपनाकर हिन्दू गुरूओं के नेतृत्व ने दूसरों का नेतृत्व करने से पहले अधिगमकर्ताओं को आन्तरिक परिवर्तन के लिए निर्देशित किया है।

नेतृत्व के आदर्शों के रूप में गुरूओं ने असली अधिगम कर्ताओं की सहायता करना अपना कर्तव्य माना तथा समाज की अच्छाई के लिए समान रूपान्तरण प्राप्त करना भी अपना कर्तव्य माना। शिक्षकों और नेताओं के रूप में उन्होंने शक्तिशाली तरीके से एक जीवन्त अनुभव को संप्रेषित किया। (cenkner 1977)

नेता सामान्यत: प्रकृति से उत्पादी होते हैं। और एक उत्पादी नेता इसे देखता है कि लोग अपने कार्यों को कौशल के साथ करें तथा धन समय एवं संसाधनों के न्यूनतम सम्भाव्य खर्च पर सर्वोत्तम प्राप्य परिणामों को उत्पादित करने के जरूरी बचनबद्धता को दिखायें। सर्वाधिक सफल नेता लोगों का अंदाजा लगाने, दो तरफा संवाद स्थापित करने, वातावरण सृजित करने में जो अत्यधिक उत्पादकता को प्रेरित करे तथा समुदाय एवं परिस्थितियों में अपने स्वयं के व्यवहार का अनुकूलन करने में प्रवीण होते हैं।

विद्यालय का वातावरण शिक्षक नेता जो विद्यालय एवं समुदाय के बीच अंत: पृष्ठ के वातावरण में संचालित करता है के नेतृत्व एवं प्रबंधन शैली से प्रत्यक्षत: जुड़ा रहता है। एक स्वस्थ विद्यालय-समुदाय संबंध शिक्षक नेता द्वारा उनके लिए स्थापित मूल्यों, योगदानों, कौशलों, क्रियाओं, एवं प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है। शिक्षक नेता के व्यवहार एवं मनोवृत्तियाँ सबसे महत्वपूर्ण कारक हैं जो विद्यालय-समुदाय संबंधों को प्रभावित करते हैं।

इस खण्ड के प्रारंभ में आपने एक शिक्षक नेता को पहचानने एवं उन पर चिन्तन कर तथा पाँच प्रश्नों पर कार्य करने के द्वारा नेतृत्व संप्रत्ययीकरण किया था। अब नेतृत्व की परिभाषाओं को जानने के पश्चात् कृपया निम्नलिखित प्रश्नों पर कार्य करें:-

(a) अपने अनुसार एक शिक्षक नेता का नाम लिखे जो आपके परिवेश में एक प्रभावी नेता है।

(b) उल्लेख करें कि शिक्षक नेता कितनी अच्छी तरह से समुदाय जिसमें विद्यालय स्थित है की तुलना में विद्यालय की प्राथमिकताओं एवं लक्ष्यों को स्पष्ट करता है।

(c) वर्णन करें कि कैसे वह विद्यालय के शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में विद्यालय एवं समुदाय के बीच समन्वय करता है।

(d) विश्लेषित करें कि लक्ष्यों को प्राप्त करने में शिक्षक नेता को क्या अपेक्षित है तथा कहाँ वह भूल करता है जो अनुत्पादी हो सकता है।

(e) उपर्युक्त 'a' से 'd' पर कार्य करने के पश्चात् अब कल्पना करें कि क्या कौशल होने चाहिए तथा प्रभावी नेतृत्व के क्या लक्षण होने चाहिए?

टिप्पणी

उपर्युक्त कार्य तुलना के लिए आपके द्वारा पूर्ण किया जाना अपेक्षित है कि इस खण्ड के प्रारंभ में एक नेता के रूप में आपने क्या समझा तथा खण्ड के अध्ययन को पूर्ण करने के पश्चात इसमें क्या परिवर्तन आया है? इस इकाई के अगले खण्डों में नेतृत्व के कौशलों एवं लक्षणों के आनुभाविक एवं संकल्पनात्मक आधार को लेना भी आपके लिए अभीष्ट है।

7.3 नेतृत्व बनाम प्रबंधन

नेतृत्व के संप्रत्ययीकरण में नेतृत्व एवं प्रबंधन के बीच भेद करना तथा कैसे एक नेतृत्व दूसरे से भिन्न यह महत्वपूर्ण है। किसी विद्यालय व्यवस्था में प्रबंधकीय एवं नेतृत्व कार्य सहभागी है। जबकि एक कार्य का दूसरे से विभेदीकरण का व्यावहारिक तरीका उन्हें समान कार्यकारी सततता के दो छोरों के रूप में अनिवार्य रूप से देखता है। वे प्रशंसात्मक प्रक्रियाओं में अनिवार्य एवं स्वाभाविक रूप से रहते हैं। अब हम उन्हें कुछ विस्तार में चर्चा करें।

प्रबंधन को योजना, संगठन, निर्देशन एवं नियंत्रण कार्यों के माध्यम से संस्थान के लक्ष्यों को प्राप्त करने और व्यवस्था की प्रक्रिया के रूप में अनुमानित किया जा सकता है। यह संस्थान के लक्ष्यों को प्राप्त करने के कार्यों को आगे बढ़ाने में अधिक केन्द्रित करता है तथा कार्यों के बीच एक संतुलन बनाये रखता है। उदाहरण के लिए-एक प्रधानाचार्य विद्यालय में संगठनात्मक लक्ष्यों को पूर्ण करने के लिए अन्यों की गतिविधि को निर्देशित करने की औपचारिक सत्ता दे चुके है। इस प्रकार निर्देशन करना या नेतृत्व करना उनके कार्य का एक महत्वपूर्ण अंग है।

नेतृत्व विषमता में प्रधानाचार्य के कार्य के अन्त वैयक्तिक पहलुओं से अधिक संबद्ध है और इन अंत:वैयक्तिक पहलुओं को शिक्षक नेता की भूमिका को बढ़ाना अपेक्षित है क्योंकि वह एक विद्यालय समुदाय वातावरण में विशेष रूप से सन्तुलन बनाये रहता है। जब एक प्रबंध क के रूप में वह योजना करने, संघटन करने और नियंत्रण करने का कार्य करता है तब एक नेता के रूप में वह प्रेरित करने, प्रभावित करने और इच्छित परिवर्तनों को लाने का कार्य करता है।

JP Kotter (1992) ने प्रबंधन एवं नेतृत्व के बीच साम्य बनाये रखने के महत्व पर प्रकाश डाला है। प्रबंधन अक्षों का उपयोग कर विशेष परिणामों को निरूपित करने का एक मॉडल उन्होंने विकसित किया है। :-

मजबूत प्रबंधन एंव मजबूत नेतृत्व	सुसंगठित/प्रेरित, सफल टीम
मजबूत प्रबंधन एवं कमजोर नेतृत्व	प्रशासनिक रूप से मजबूत किन्तु थोड़ा प्रेरण
मजबूत नेतृत्व एवं कमजोर प्रबंधता	प्रेरित किन्तु असंगठित
कमजोर प्रबंधन एवं कमजोर नेतृत्व	अप्रभावी सुस्त एवं कभी-कभी नकारात्मक कार्य वातावरण

एक अनुभवी एवं सक्षम शिक्षक नेता का नेतृत्व करने से प्रबंधन तक बदलाव स्वाभाविक है तथा प्रभाव जो यह सृजित करता है शीघ्रता से क्रिया में एक उत्कृष्ट पेशेवर प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य हो जाता है।

विलयम्स (2008), प्रबंधन-नेतृत्व सततता एवं दो प्रक्रियाओं की प्रशंसात्मक तथा अतिव्यापी प्रकृति का निरूपण करता है। तस्वीर 1 नीचे प्रशंसात्मक कार्यों को विभेदीत करता है तथा कुछ मुख्य व्यवहारात्मक तथा भूमिका के अन्तरों को प्रबंधन एवं नेतृत्व के बीच सूचित करता है।

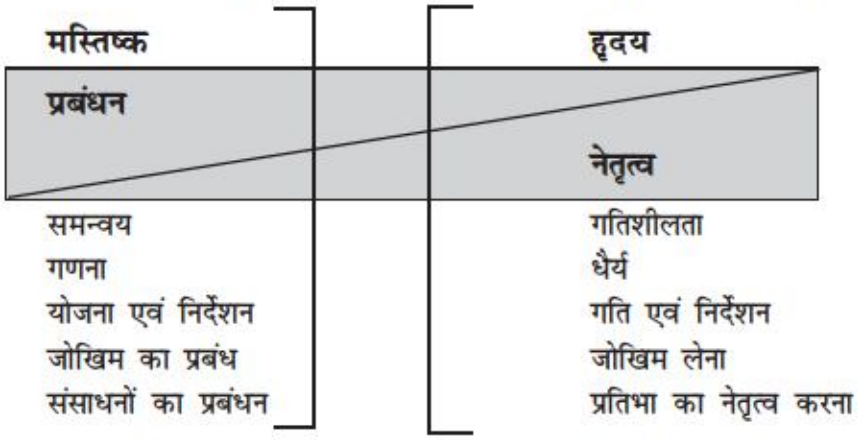

चित्र-1 प्रबंधन नेतृत्व सततता

प्रशंसात्मक व्यवहारों तथा प्रबंधन एवं नेतृत्व की गतिविधियों के नमूने नीचे दिये टेबल के समान दिखना चाहिए यदि आप सततता के दो छोरों के विभिन्न लक्षणों को विस्तारित करते हैं।

प्रबंधन	नेतृत्व
उद्देश्य लक्ष्यों एवं परिणामों को परिभाषित करना	उम्मीद, दृष्टि एवं मिशन को संप्रेषित करना
नीति एवं रणनितियाँ तय करना	मूल्यों से सहमत-प्रेरण से नेतृत्व
संरचना एवं सहायता प्रणाली प्रदान करना	एक अच्छा वातावरण सृजित करना
अनुसूचियों/पैमानों से सहमत होना	आकांक्षाओं एवं अपेक्षाओं को निश्चित रूप देना
संसाधनों की योजना, संगठन और मिलान करना	प्रोजेक्टों में लोगों की पूरी तरह लगाना
मानदण्ड एवं नियंत्रण स्थापित करना करना	एक उच्च नैतिकता बनाना एवं सृजित
सूचना एवं ज्ञान का प्रबंध करना	प्रतिभा को पहचानना, विकसित करना एवं उपयोग करना

John kotter(1992) के अनुसार"प्रबंधन महत्वपूर्ण है किन्तु नेतृत्व अनिवार्य है।" प्रबंधक यद्यपि प्राय: नेता के रूप में सफल हो जाते हैं क्योंकि वे:

टिप्पणी

- संवेदनात्मक रूप से उन्नत नहीं है जितना कि वे तकनीकी एवं व्यावसायिक रूप से उन्नत है।
- समुदाय में लोगों के साथ सृजनात्मक संबधों को स्थापित करने में असफल होते हैं।
- लोगों के हृदय, धैर्य, शक्तियों को शामिल नहीं करते हें तथा उनकी आन्तरिक जरूरतों एवं सम्बद्धों के बारे में थोड़ा जानते हैं।
- उनके अहं को व्यवस्थित करने में असफल होते हैं और उस सम्बन्ध में उनके लक्ष्यों एवं निष्पादन को दूषित करने के लिए बहुत अकार्य एवं राजनीतिक मुद्दों को स्वीकृति देते हैं।
- निश्चित उदाहरण के साथ व्यवस्थित होने एवं जीने में असफल होते हैं जैसा लोग उनसे अपेक्षा करते हैं।

अब आप प्रबंधन एवं नेतृत्व के बीच विभेदीकरण करने में मुख्य बिन्दु पायेंगे जो हैं कर्मचारी सहयोगी, विद्यार्थी और समुदाय सानिध्य में इच्छा पूर्वक नेताओं का अनुकरण करते है क्योंकि वे ऐसा चाहते हैं, इसलिए नहीं कि वे ऐसे हैं। शिक्षक नेता समुदाय के ऊपर कोई औपचारिक शक्ति नहीं प्राप्त कर सकते हैं किन्तु उसके आग्रहों को संकलित कर समुदाय उन्हें शक्ति देता है। इसलिए नेतृत्व एक बहुत सार्थक सामाजिक-मनोवैज्ञानिक संस्थान है।

7.4 नेतृत्व की शैलियाँ

नेतृत्व की शैली निर्देशन प्रदान करने के तरीके और उपागम, योजनाओं के कार्यान्वयन तथा लोगों को प्रेरित करने का संकेत करता है। सामान्यतया कहा जाता है नेतृत्व शैलियाँ नेता के व्यवहार को प्रदर्शित करता है। मुख्यत: चार प्रकार की नेतृत्व शैलियाँ है:- निरंकुश शैली, अहस्तक्षेप की शैली, सुस्त शैली एवं प्रजातांत्रिक शैली। चार क्यों? यह देखा गया है। कि नेताओं का व्यवहार जब वे अन्य लोगों के साथ मिलते हैं तथा प्राय: निर्णयों को करते समय चार मौलिक प्रतिमानों में से एक या अधिक के अर्न्तगत आता है। आपने प्रत्येक आख्यान में अपने कुछ व्यवहारों को पहचाना होगा। अब हम उनमें से प्रत्येक पर चर्चा करते हैं।

7.4.1 निरंकुश नेतृत्व

निरंकुश नेतृत्व के अर्थ पर चर्चा करने की कोशिश करने से पहले, एक बेहतर समझ के लिए इस नेतृत्व के वकील क्या कह सकते हैं का यहाँ एक उदाहरण है।

अनुयायी शिक्षकों, विद्यार्थियों और समुदाय के सदस्यों को अच्छा कार्य करने के लिए अवश्य बनाया जाना चाहिए। बिना सख्त आदेश एवं निर्देश वे उत्तरदायित्व से बच निकलने को लगभग सुनिश्चित है। इसलिए विद्यालयों को प्रधानाचार्यों, क्लस्टर संसाधन केन्द्र के सदस्यों, जिला शिक्षा अधिकारियों एवं शिक्षा के अन्य प्रशासकों की जरूरत है जो उन्हें कार्य करने के लिए बलपूर्वक निर्देश दे सकता है, उन्हें जो घटिया कार्य करते हैं। नेतृत्व को बॉस के रूप में स्वयं

को अवश्य देखना चाहिए। शैक्षिक प्रशासकों-शिक्षक-विद्यार्थी सम्बन्ध में, बॉस को अपनी शक्ति का उपयोग करना चाहिए। शिक्षक नेताओं और शैक्षिक प्रशासकों को मुक्त रूप से शक्ति का अभ्यास बिना क्षमायाचना के करना चाहिए। अधीनस्थ समझते हैं कि यदि वे नेता के तरीके से कार्य को करते हैं तो इनाम है तथा यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो कष्ट या दंड है। अब हम उपर्युक्त उदाहरण से मुख्य लक्षणों को संभावित रूप से खींच सकते हैं तथा निरंकुश नेतृत्व का संप्रत्यीकरण कर सकते हैं जैसा नीचे दिया गया हैं-

निरंकुश नेतृत्व शैली का अर्थ है निर्णय-निर्माण की सभी शक्तियाँ नेता में केन्द्रित हैं जैसे तानाशाहों में होती हैं। नेता अधीनस्थों के सुझावों या पहलों को नहीं मानता है।

इस प्रकार का नेता अपने अधीनस्थों से कहता है वह जो चाहता है किया और जैसे चाहता है वैसे किया तथा किसी सलाह या सुझाव को नहीं मानता है। वह एक दृढ़ अनुशासक है और मानता है कि प्रशंसा और आदर विद्यार्थियों को नष्ट कर देंगे। नेतृत्व की यह शैली एक प्रबंध के 'कहो और करो' का सूचक है। यहाँ नेतृत्व प्राय: एक एकल निष्पादन है। संस्था का प्रध ान अधीनस्थों से छोटी सलाह लेकर प्रदर्शन करता है। वह अपने निर्णय स्वयं करता है। जितना कम से कम स्वतंत्र उत्तरदायित्व संभव है प्रदान करता है। संप्रेषण प्राय: एकतरफा होता है:- वह कहता है और आप सुनते हैं। निरंकुश नेतृत्व साधन से अधिक साध्य से भी सम्बद्ध है। परिणाम से मतलब रखता है। प्रक्रिया और सम्मिलित लोग कम महत्वपूर्ण हैं।

इस प्रकार के नेतृत्व का कर्मचारियों या अधीनस्थों के विकास पर एक विकृत करने वाला प्रभाव होता है। बार-बार धमकियों और दण्ड का उपयोग उनकी प्रभाविता को कम कर देगी।

नेतृत्व की यह शैली यद्यपि कभी-कभी तीव्र निर्णय-निर्माण की अनुमति देती है, केवल एक व्यक्ति संस्था के लिए निर्णय करता है तथा प्रत्येक निर्णय को स्वयं रखता है जब तक वह इसे अन्य लोगों के साथ साझा करना जरूरी नहीं अनुभव करता है। यह नोट किया जाता है यद्यपि वह सत्तावादी शैली अप्रतिष्ठित भाषा, चीखने, व्यंग्यात्मक व्यवहार और शक्ति का दुरूपयोग को शामिल नहीं करती है। इसे दिमाग में बिना स्पष्ट लक्ष्य के एक नेता के कार्य करने के अनुचित एवं गैरपेशेवर तरीका के रूप में कह सकते हैं।

7.4.2 अहस्तक्षेप वाला नेतृत्व

एक अहस्तक्षेप वाला नेता स्वयं को नीचे दिये उदाहरण के अनुसार वर्णित कर सकता है:-

विद्यालय प्रणाली के विभिन्न स्तरों पर बहुत से शैक्षिक प्रबंधकों ने धारणा को प्रसारित किया है जिसे वे सम्पादित कर सकते हैं। मैं अपनी सीमित क्षमताओं और कमियों के बारे में जागरूक हूँ। मैं जानता हूँ मैं अपने अनुयायी शिक्षकों, विद्यार्थियों तथा समुदाय के लोगों को प्रेरित कर सकने में अपर्याप्त हूँ। सच है कि ये लोग अपने तरीके से चलते हैं। कुछ काम में अच्छे हैं, कुछ नहीं। यहाँ रास्ते और अधिक नहीं है, एक शिक्षक नेता के रूप में मैं इस बारे में कर सकता हूँ मेरा कार्य स्थिति को ज्यों का त्यों बनाए रखना है और लोगों को विद्यालय में अशांति पैदा करने से दूर रखना है। विद्यालय बिना बाधा के सर्वोत्तम कार्य करता है। साधनों को बने

टिप्पणी

रहने के लिए एक निम्न प्रोफाइल रखते है। तरह-तरह के शैक्षिक प्रबंधक आते और जाते हैं किन्तु वे जो एक निम्न प्रोफाइल बनायें रखना जानते हैं वो लम्बे समय तक बने रहते हैं।

उपर्युक्त कथन से हम अहस्तक्षेप वाले नेतृत्व के किस संकल्पना और लक्षणों को पाते हैं? अब हम उन्हें नीचे चर्चा करते हैं:-

एक हस्तक्षेप वाला नेता कर्मचारियों को उनके निर्णय करने की अनुमति देता है। नेता प्राय: अपने को कागजी कार्यों में व्यस्त रखता है ताकि वह समूह के सदस्यों से दूर रहे। नेता अपने कार्य का बड़ा भाग विद्यार्थियों एवं कर्मचारियों को विद्यालय में अशांति पैदा करने से दूर रखने में मानता है। नेतृत्व लोगों के बारे में निराशावादी है। इसका अभिप्राय है- आप लोगों के कार्य करने के तरीके को नहीं बदल सकते हैं, ऐसा क्यों कोशिश करें? नेता परिवर्तन का प्रवर्तक नहीं है। अपेक्षाकृत वह विभाग के रखरखाव की देखभाल करने और स्वयं को बचाने में समय व्यतीत करता है। नेता केवल निर्णयों को संचारित करता है। इस प्रकार का नेतृत्व जहाँ तक संभव है निर्णयों को स्थगित रखता है। वह निर्णयों को बन्द रखना सुरक्षित मानता है अपेक्षाकृत उन्हें बनाने के नेतृत्व चीजों को करने के पारंपरिक, सत्य को जाँचने के तरीकों का पक्ष लेता है क्योंकि वे नये या प्रयोगात्मक की अपेक्षा सुरक्षित है। शिक्षक नेता जोखिम उठाने को नापसंद करता है यहाँ तक कि संगणित जोखिम को भी।

नेतृत्व की यह शैली तब प्रयुक्त की जा सकती है जब कर्मचारी परिस्थिति का विश्लेषण करने तथा जरूरतों को निर्धारित करने तथा इसे कैसे करना है? के बारे में सक्षम हों।

7.4.3 सुस्त नेतृत्व

इस प्रकार के नेतृत्व को समझने के लिए हम निम्नलिखित उदाहरण को पढते हैं कि एक सुस्त-नेतृत्व क्या कह सकता है।

''विद्यालय उत्पादकता एवं हौसला के बीच एक मजबूत सहसंबंध है जिसे उच्च मनोदशा को बनाये रखने में उत्पादकता बढ़ाने का रहस्य स्वीकार्य है। जैसे-जैसे शैक्षिक नेटवर्क बड़ा और प्रकृति में जटिल होता जाता है, वे अधिक नौकरशाह होने की ओर प्रवृत हो जाते हैं। ऐसी व्यवस्था में एक खतरा है कि मानव उपेक्षित हो जाते हैं। इसलिए इस क्रम में मनोदशा को उठाने के लिए विद्यार्थियों, शिक्षकों और समुदाय के सदस्यों के साथ भावात्मक, जोश, सहृदयता, मित्रता और समझ का व्यवहार किया जाना चाहिए क्योंकि हम सभी मानव हैं और गलतियाँ करते हैं। ऐसा क्यों है कि एक शिक्षक नेता के रूप में मेरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य भावात्मक, मैत्रीपूर्ण, उदार और संवेदनशील होना है। यह लोगों को धक्का देकर या अनादर कर कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाता है। मैं उन्हें खुश रखना पसन्द करता हूँ और आश्वस्त करता हूँ कि मैं उनके साथ हूँ और उनमें विश्वास रखता हूँ।''

उपर्युक्त कथन के आधार पर हम सुस्त नेतृत्व की संकल्पना और पहलुओं को समझ सकते हैं जिनपर नीचे चर्चा किया गया है:-

सुस्त नेतृत्व का अर्थ है यह खुला एवं असंरचित है। इसका प्रविधियों, नियमों, कानूनों और

प्रणलियों के लिए बहुत थोड़ा उपयोग है। इससे जुड़ा दर्शन यह है कि विद्यालय और समुदाय से सम्बद्ध कार्य बिना एक संरचना के हो जायेंगे, यदि सदस्य शिथिल, खुश और अपने कार्य से संतुष्ट हैं। नेता सोचता है कि एक नेता के रूप में सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। मैत्रीपूर्ण उदार एवं संवेदनशील होना। यदि एक विद्यार्थी या समुदाय का सदस्य गलती करता है तो शिक्षक नेता बहुत संभव है इसे नजरअंदाज कर देता है। नेतृत्व माँग नहीं करता है, यह उन्हें खुश रखना पसन्द करता है तथा उनका अपना तरीका होता है, जब-जब वह कर सकता है।

इस प्रकार का नेतृत्व सकारात्मक प्रबलीकरण बहुत आसानी से वितरण करता है और उसे असंतोषजनक निष्पादन के बारे में बात करना पसन्द नहीं है। सुस्त नेतृत्व प्रत्यक्षत: व्यक्ति-दर-व्यक्ति सम्पर्क करने में अधिक ऊर्जा लगा देता है। यह उन चीजों के बारे में बात करने में अधिक समय लगा देता है जिसका कार्य से कुछ मतलब नहीं है। राजनीति, खेल, मनोरंजन, पारिवारिक मुद्दों एवं अन्य तुच्छ मुद्दों पर गपशप करने में उसका अधिकतम समय लग जाता है।

बहुत आसानी से गपशप पर लाभप्रद एवं अनुपातहीन खर्च किया गया समय प्राय: विद्यार्थियों अनुयायी शिक्षको एवं समुदाय के सदस्यों में भ्रम पैदा कर देता है। वे उत्पादी एवं अनुत्पादी व्यवहार के बीच भेद करने में असफल हो जाते हैं। यह भ्रम स्वस्थ विकास को विलंबित और यहाँ तक कि दबा देता है।

7.4.4 प्रजातांत्रिक नेतृत्व

प्रजातांत्रिक नेतृत्व को समझने के लिए हम अब एक उदाहरण को सुनाते हैं जिसमें एक नेता नेतृत्व के इस प्रकार को आजमाता है।

जैसा मैं इसे देखता हूँ मेरा कार्य मेरे सहित, मेरे विद्यार्थियों, अनुयायी शिक्षकों समुदाय के सदस्यों, से सर्वोत्तम प्राप्त करना है। मैं उन्हें अवश्य देखता हूँ क्या वे वास्तव में सक्षम है तथा कितने अच्छे से वे अपनी पूर्ण क्षमता का उपयोग कार्य में कर सकते हैं। ऐसा कर मैं उनके अपेक्षित ज्ञान, कौशलों और प्रेरण को विकसित करने में सहायता करता हूँ। मैं निर्देशित स्वतन्त्रता में विश्वास करता हूँ। मैं अपने निष्पादन को सशक्त करने के लिए विद्यार्थियों, सहयोगियों अनुयायी शिक्षकों और समुदाय के सदस्यों को संसाधनों के रूप में मानता हूँ। मेरे कार्य को होने के लिए बहुत अधिक सहायता जरूरी है। मैं इन लोगों के अनुभव विचारों और प्रतिभा का उपयोग अपने को संपूर्ण करने के लिए कर सकता हूँ। कभी-कभी मुझे अकेले कार्य करना पड़ता है किन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि मैं पृथकता में कार्य करता हूँ।यद्यपि मैं जब भी संभव होता है उन्हें सलाह देने की प्राथमिकता देता हूँ एवं उनके अनुभव एवं अंतर्दृष्टि की ओर ध्यान खींचता हूँ।

इस तरह मैंने पाया कि प्रत्येक पहले की तुलना में अच्छा है। विद्यार्थी, शिक्षक सहयोगी और समुदाय के सदस्य समुदाय में सभी तक प्रारंभिक शिक्षा को पहुँचाने में मेरे प्रयासों में सार्थक सहयोगी हैं। मेरा अपना निष्पादन भी सुधरता है, विद्यालय और समुदाय उनकी भागीदारी के कारण पारस्परिक रूप से लाभ प्राप्त करते हैं।''

टिप्पणी

उपर्युक्त कथन से हम प्रजातांत्रिक नेतृत्व के मुख्य पहलुओं को ढूंढ सकते हैं। नीचे हम इन पर चर्चा करते हैं:-

7.5 नेतृत्व के कार्य

यह विस्तृत रूप से अभिज्ञात और स्वीकृत है कि विद्यालय-समुदाय संबंधों के परिवेशों में एक विद्यालय की प्रभाविता बहुत कुछ शिक्षक नेता के सार्थक कार्यों पर निर्भर करता है। एक विद्यालय शिक्षक की विद्यार्थियों स्टॉफ सदस्यों के साथ-साथ समुदाय के सदस्यों से अपेक्षायें होती हैं। ऐसे मामले में शिक्षक एक जटिल स्थिति में होता है और उसके कार्यों और उत्तरदायित्वों को समझता है। शिक्षक के अतिरिक्त विद्यार्थी अनुयायी शिक्षक, शैक्षिक, प्रशासक, अभिभावक और समुदाय के सदस्य क्या करते हैं प्रश्न है जो एक शिक्षक नेता के कार्यों और भूमिकाओं से सम्बद्ध हैं। अब हम शिक्षक नेता के कार्यों पर चर्चा करते हैं।

एक शिक्षक नेता का निर्माण अधिगम और चिन्तन की एक जटिल प्रक्रिया है जो विद्यालय-समुदाय संबंधों में समाजीकरण और एक नई भूमिका में कार्य को अंगीकृत करने की अपेक्षा करता है। विद्यालय नेताओं के कार्यों पर शोध करते हुए Leithwood और Duke ने नेतृत्व के कार्यों के रूप में निम्नलिखित पहलुओं को पहचाना है:-

- निर्देशात्मक (अपनी शैक्षिक क्षमताओं को सुधारना और एक तरीके से शिक्षक सहयोगियों के कार्य को प्रभावित करना जो विद्यार्थी की उपलब्धि को सुधारेगा।)
- रूपान्तरात्मक (विद्यालय स्टॉफ एवं अन्यों की क्षमताओं और बचनबद्धताओं को बढ़ाना।)
- नैतिक (सही और गलत की धारणा के प्रति अपने आचरण से अन्यों को प्रभावित करना।)
- सहभागिता (विद्यालय से सम्बद्ध शैक्षिक एवं समुदाय के सदस्यों को शामिल करना।)
- आकस्मिक (परिस्थिति के अनुकूल अपने व्यवहार का अनुकूलन करना।)

7.5.1 निर्देशात्मक कार्य

प्रधान अध्यापक को लोकप्रिय रूप से शैक्षिक विशेषज्ञता के साधन के रूप में देखा गया था। उसका कार्य शिक्षण एवं अधिगम से प्रत्यक्षत: संबंधित सभी कार्यों को व्यवस्थित करना था। यद्यपि शिक्षकों को परिवर्तित विद्यालय प्रबंधन में विद्यालय संगठन के अधिक प्रजातांत्रिक एंव सहयोगी मॉडल के लिए व्यावसायिक शिक्षकों के रूप में समृद्ध करने का प्रयास करता है। पाठ्यचर्या एवं पाठ्य सह-गामी गतिविधियों, वजट तथा विद्यालय एवं समुदाय अन्त:पृष्ठ में गतिविधियों जैसे प्रबंधन निर्णयों में शिक्षकों की भागीदारी को आगे लाने के लिए इस मॉडल का अनुकूलन करना।

विद्यालय प्रणाली के विकास के लिए यह महत्वपूर्ण है कि मुख्य अध्यापक केवल निर्णय लेने

टिप्पणी

और कार्यों का निष्पादन करने का साधन नहीं है। शिक्षक विशेषज्ञता एवं सूचना से समृद्ध होते हैं तथा नेतृत्व के उत्तरदायित्व को मानते हैं तथा नेतृत्व सहयोगात्मक रूप से निष्पादित करता है।

7.5.2 रूपान्तरात्मक कार्य

रूपान्तरात्मक नेतृत्व के कार्य परिवर्तन से सम्बद्ध है और चूँकि शिक्षक नेता की भूमिका अदृश्य परिवर्तन को सुसाध्य करने में देखा गया है। शिक्षक, विद्यालय नेटवर्क में अन्य तथा समुदाय के सदस्य एक साथ विद्यालय एवं उसके इर्द-गिर्द के समुदाय की बेहतरी के लिए परिवर्तन लाने के बारे में लक्ष्य करते हैं।

फिर कौन से कारक हैं जो इस परिवर्तन को प्रेरित करते हैं? Leithwood (1999) कारकों के रूप में निम्नलिखित को गिनाते है :-

- अन्यों को प्रेरित करने की योग्यता।
- अन्यों को अभिप्रेत करने की योग्यता।
- अन्यों को उनके स्वार्थ से अलग देखने में समर्थ करना।
- बेहतर या आदर्श विद्यालय के दृष्टिकोण को साझा करने के लिए अन्यों को समर्थ करना।

शिक्षक नेता को उपर्युक्त लक्षणों को अवश्य देखना चाहिए ताकि विद्यालय एवं समुदाय में रूपान्तरण लाने के बारे में अनुयायी शिक्षक सहयोगियों तथा समुदाय के सदस्यों की प्रभावी भागीदारी हो।

7.5.3 नैतिक कार्य

यह मूल्यों के साझा प्रणाली से सम्बद्ध है। शिक्षक नेता की सभी विद्यार्थियों से उनकी पृष्ठभूमियों एवं योग्यताओं का ध्यान दिये बगैर न्यायपूर्वक मिलने के व्यावसायिक मूल्य, उनके सहयोगियों के भी व्यावसायिक मूल्य है। शिक्षक नेता को उनके आचरण में एक प्रतिमान होना चाहिए जो विद्यालय प्रणाली में समुदाय के सदस्यों को शामिल करते हुए सदस्यों की सलाह के मूल्य को ऐच्छिक रूप से प्रभावित करता है। कठिन कार्य करने और अपने कार्यों का उत्तरदायित्व लेने के लिए विद्यालय वंशावली में सभी स्तरों पर कर्मचारियों द्वारा स्पर्धा करने के लिए शिक्षक नेता उदाहरण रखता है। वह सभी को प्रेरित करता है जिसके साथ कार्य करता है। ये उसकी प्रशासनिक सत्तायें, सहयोगी शिक्षक, सहयोगी कर्मचारी, विद्यार्थी, अभिभावक एवं विद्यालय प्रबंधन के सदस्य, समुदाय के सदस्य तथा यात्री हो सकते हैं।

7.5.4 सहयोगी कार्य

सहयोगी समुदाय बनाने का प्रयास शिक्षकों की वृद्धि को बढ़ाता है। समुदाय के सदस्यों के सहयोग से अधिगम समुदायों का विकास शिक्षक नेताओं की एक भूमिका के रूप में प्रकट हो

टिप्पणी

चुका है। शिक्षकों को परिवर्तन एजेन्ट होने के विचार को कार्यान्वित करने के कार्य को शिक्षक नेता कर सकता है। जब एक शिक्षक नेता एक शिक्षक सहयोगी और समुदाय के सदस्यों की तत्परता के निश्चित स्तर पर पहुँचता है, वह उत्तरदायित्वों को वितरित करने के कौशल का उपयोग करता है ताकि वे कार्य के उत्तरदायित्व का वहन कर सकें।

7.5.5 आकस्मिक कार्य

सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनों और नीतिगत निर्णयों जो स्थान ले रहें हैं के परिप्रेक्ष्य में विद्यालय की भूमिका एवं कार्य स्थायी रूप से बदल रहे हैं। यह शिक्षकों को रुकने, चिन्तन करने और कार्य करने का बहुत थोड़ा समय देता है। समावेशी कक्षाकक्ष, विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तरों एवं निर्देश की गुणवत्ता बढ़ाने, विद्यालय में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकों का उपयोग, शिक्षण कार्यभार को व्यवस्थित करना, विद्यालय व्यवस्था में प्रतिकूल प्रस्ताव, अभिभावक एवं समुदाय के सदस्यों के साथ सार्थक अन्त:वैयक्तिक संबंधों आदि जैसी जरूरतों का ध्यान रखना इसे शिक्षक नेता को विचारों और समाधानों का पता लगाने में संगत बनाता है। चुनौतियों को प्रदर्शित करने और शिक्षक नेता की अपेक्षाओं को संबोधित करने के लिए शिक्षक की गतिविधियाँ अपेक्षित हैं।

7.6 सारांश

आपने नेतृत्व की संकल्पना, प्रबंधन, नेतृत्व की शैलियों, नेतृत्व के कार्यों को पढ़ लिया है। यह आपको विभिन्न संदर्भों में नेतृत्व एवं प्रबंधन को विभेदीकृत करने में अवश्य सहायक होगी। आप विभिन्न प्रकार के नेतृत्व का एक विचार अवश्य प्राप्त करेंगें जो विद्यालय प्रणाली के प्रबंध न में एक नेता के रूप में आपके चिन्तन में सहायता कर सकती है। नेतृत्व के विभिन्न कार्य आपको विद्यालय प्रणाली में एक अच्छा शिक्षक नेता होने में नेतृत्व का व्यवहार अन्तस्थ करने का क्षेत्र आपको प्रदान करता है।

एक नेता के रूप में प्राप्त अवसरों का सारांश आगे के परिचर्चा से प्राप्त है :-

- नेतृत्व एक नेता होने की व्यक्तिगत क्षमता पर अधिक केन्द्रित है। नेतृत्व नेताओं एवं सहयोगियों के बीच एक गतिशील संबंध, आपसी प्रभाव, सामान्य उद्देश्यों के रूप में वर्णित है। जिसमें दोनों प्रेरणा एवं नैतिक विकास जैसा वे वास्तव में कार्य करते हैं, परिवर्तनों की ओर झुकने जैसे उच्च स्तरों की ओर मुड़ गये हैं। शिक्षक नेता का व्यवहार और गतिविधि सबसे महत्वपूर्ण कारक हैं जो जो विद्यालय-समुदाय संबंधों को प्रभावित करते हैं।

- व्यवस्था की प्रक्रिया और कार्यों की योजना, निर्देशन, संगठन और नियंत्रण के माध्यम से संस्थानों की अच्छाईयों को प्राप्त करने के रूप में प्रबंधन संकुचित हो सकता है। एक प्रबंधक के रूप में वह योजना, संगठन और नियंत्रण से जूझता है तथा एक नेता के रूप में वह प्रेरणा, प्रभाव और इच्छित परिवर्तनों को लाने के साथ जूझता है।

- नेतृत्व की शैली निर्देशन, योजना के क्रियान्वयन और लोगों को प्रेरणा प्रदान करने के तरीके और उपागम का संकेत करता है। नेतृत्व की चार शैलियाँ हैं :- निरंकुश, अहस्तक्षेप, सुस्त एवं प्रजातांत्रिक।
- नेतृत्व के कार्य विद्यालय प्रणाली के विभिन्न पहलुओं में एक शिक्षक नेता को बनाता है तथा अधिगम एवं चिन्तन की जटिल प्रक्रियाओं जिसे विद्यालय समुदाय संबंध में सामाजीकरण अपेक्षित है तथा एक नई भूमिका में कार्यों का पूर्वानूमान करता है।

7.7. सन्दर्भ ग्रंथ एवं कुछ उपयोगी पुस्तकें

— Bennis, W.G (1975): Where have all the leaders gone? Washington, DC : Federal Executive Institute.

— Burns, J. M. (1978) : Leadership: New York: Harper & Row.

— Cenkner, W. (1997) reported in the leadership of Hindu gurus : Its meaning and Implications for Practice — www.ila-net.org.

— IGNOU (2003) MES — 103, Block 2 (Institutional life and culture : Looking at organisational structures, Issues and Perspectives) : New Delhi.

— Keith Alan (2009) : Genetech, A member of Roche group — www.wikipedia.org.

— Kotter, J. P. (1992) : Corporate culture and Performance, Free Press.

— Lefton, R. E., Buzzotta, V. R. (2004) : Leadership through People skills, New Delhi : Tata McGraw-Hill.

— Leithwood, K. J. Jantzi, D.; Steinbach, R. (1999) : Changing leadership for changing time Buckingham : open University Press.

— Ogbonia, K. (2011) : Leadership Theories and styles - www.wikipedia.org.

— Post, J. (1991) : Leadership for the twenty-first century, New York : Praeger.

7.8 अन्त्य इकाई अभ्यास

1. नेतृत्व की किन्हीं दो परिभाषाओं की व्याख्या करें।
2. विद्यालय प्रणाली में मजबूत नेतृत्व और कमजोर प्रबंधन को तर्कसंगत ठहराइए।
3. नेतृत्व की शैलियों का अर्थ दीजिए।
4. नेतृत्व के क्या कार्य हैं?
5. विद्यालय प्रणाली में एक शिक्षक के नैतिक नेतृत्व कार्य को सुधारने के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगें?

टिप्पणी

इकाई-8 शिक्षा एजेंसियों के साथ संबंध

संरचना

8.0 प्रस्तावना

8.1 अधिगम उद्देश्य

8.2 शैक्षिक कानूनों एवं नीतियों का संक्षिप्त इतिहास

8.3 सर्व शिक्षा अभियान

8.4 सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत स्थापित निकाय

8.5 सरकारी एजेंसियों के साथ विद्यालय के पारस्परिक क्रियाओं के उदाहरण

8.6 अन्य महत्त्वपूर्ण शैक्षिक एजेंसियां

8.7 स्वैच्छिक एजेंसियों की भूमिका

8.8 प्रधान शिक्षकों की भूमिका एवं शिक्षक बनाम समाज

8.9 सारांश

8.10 संदर्भ ग्रंथ एवं कुछ उपयोगी पुस्तकें

8.11 अन्त्य इकाई अभ्यास

8.0 प्रस्तावना

खण्ड 1 और 2 की प्रारंभिक इकाई में, आपने शिक्षा में समाज एवं समुदाय की भूमिका तथा विद्यालयों के साथ उनके संबंधों के बारे में सीखा। यह विद्यालयों पर निर्भर है जहाँ मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अन्तर्गत ये अभ्यास में लागू होंगे। यह इकाई विद्यालयों एवं विभिन्न शैक्षिक एजेंसियों के बीच संबंध पर केंद्रित करता है। जबकि इन एजेंसियों की भूमिका सशक्त होती है और विद्यालयों के कार्य सुधारते हैं। इकाई शिक्षकों की भूमिका पर भी विशेष बल देता है जो समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन लाने के बारे में उत्प्रेरक हैं।

8.1 अधिगम उद्देश्य

इकाई लक्ष्य करता है :

(a) विविध शैक्षिक एजेंसियों (स्वैच्छिक एजेंसियों को जोड़ते हुए) तथा विद्यालयों के साथ उनके संबंधों का एक समग्र अवलोकन प्रदान करता है।

टिप्पणी

(b) पारस्परिक क्रियाओं का विस्तृत वर्णन करता है जो कि विद्यालय इन कुछ एजेंसियों के साथ करता है (उदाहरणार्थ: अनुदानों को प्राप्त करना, वार्षिक कार्य योजनाओं का सृजन तथा DISE डाटा का संग्रहण)

8.2 शैक्षिक कानूनों एवं नीतियों का संक्षिप्त इतिहास

विविध शैक्षिक एजेंसियों और विद्यालयों के साथ उनके संबंध का हमें विस्तृत वर्णन करने से पहले, शैक्षिक कानूनों एवं नीतियों के इतिहास का संक्षिप्त समग्र अवलोकन प्राप्त करना महत्त्वपूर्ण हैं। भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने वालों ने प्रारंभिक शिक्षा के अत्यधिक महत्त्व को स्वीकार किया है। उसी समय उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा को एक संवैधानिक अधिकार बनाने में बहुत सी चुनौतियों को महसूस किया। इसलिए संविधान में अनुच्छेद 45 जोड़ा गया था। यह कहता है–''इस संविधान के प्रारंभ से 10 वर्षों की अवधि के अंदर सभी बच्चों को जब तक वे 14 वर्ष की आयु पूरी नहीं कर लेते मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास राज्य करेंगे।'' प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के प्रति प्रतिबद्धता पुन: शिक्षा की राष्ट्रीय नीति (1968 एवं 1986) तथा कार्य योजना (1992) में की गयी थी। प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के अनुसरण में बहुत सी योजनायें एवं कार्यक्रम प्रारंभ किये गये थे। इसमें सम्मिलित है–ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड, गैर औपचारिक शिक्षा, अध्यापक शिक्षा, महिला समाख्या, राज्यों की विशिष्ट बेसिक शिक्षा परियोजनायें जैसे–आंध्र प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परियोजना (APPEP), बिहार शिक्षा परियोजना (BEP), राजस्थान में लोक जुम्बिश (LJP), पोषण समर्थित प्राथमिक शिक्षा का राष्ट्रीय कार्यक्रम (MDM), जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (DPEP)। यद्यपि इन कार्यक्रमों के बावजूद सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सका है।

1993 में एक प्रमुख निर्णय में, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि–''प्रत्येक बच्चा जब तक 14 वर्षों की आयु पूर्ण नहीं कर लेता उसे मुफ्त शिक्षा का अधिकार है।'' 1998 में, शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव रखते हुए कहा कि सार्वभौमिक शिक्षा मिशन मोड में पालित होना चाहिए। इसके पालन में 2001 में सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ किया। 2002 में 86वॉ संविधान संशोध न पास हुआ था। यह कहता है–''राज्य 6 से 14 वर्षों के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा इस तरीके से प्रदान करेंगे जैसे राज्य के कानून निश्चित करते हैं।'' संशोधन को प्रभावी बनाने के लिए संसद द्वारा 2009 में शिक्षा का अधिकार कानून पास किया गया था। यह कानून 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ।

8.3 सर्व शिक्षा अभियान (SSA)

पृष्ठभूमि : कुछ प्रयासों के परिणामस्वरूप प्रारंभिक शिक्षा में संस्थाओं, शिक्षकों और विद्यार्थियों की वृद्धि के क्रम में भारत ने अच्छी प्रगति की है। जबकि विद्यालय छोड़ने और निम्न अधि गम स्तरों से संबंधित समस्यायें थी। इससे युग्मित विविध व्यवस्थित मुद्दे थे जैसे–अपर्याप्त विद्यालय संरचना, विद्यालयों के खराब कार्य, शिक्षक की उच्च अनुपस्थिति, अधिक संख्या में

टिप्पणी

शिक्षकों की रिक्तियाँ, शिक्षा की खराब गुणवत्ता तथा अपर्याप्त कोष। संक्षेप में, सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा (UEE) का लक्ष्य जिसका तात्पर्य है बच्चों का शत-प्रतिशत नामांकन और धारण जो प्राप्त नहीं किया गया था। यह इस गैप (खालीपन) को भरता है, सरकार ने 2001 में सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया।

सर्व शिक्षा अभियान का विस्तृत वर्णन–सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण को समय बद्ध तरीके से प्राप्त करने के लिए भारत सरकार का एक ध्वजवाहक कार्यक्रम है। यह विद्यालय प्रणाली में समुदाय के मालिकाना द्वारा प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण का एक प्रयास है। सर्व शिक्षा अभियान केंद्र, राज्य एवं स्थानीय सरकार के बीच एक भागीदारी है। सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभिक विद्यालयों के प्रबंधन में पंचायती राज संस्थाओं, विद्यालय प्रबंधन समितियों, गांव एवं शहरी झुग्गी स्तरीय शिक्षा समितियों, अभिभावक-शिक्षक संघों, माता-शिक्षक संघों, जनजातीय स्वायत्त परिषदों एवं अन्य सतही संरचनाओं को प्रभावी रूप से सम्मिलित करने पर लक्षित करता है। NPE (नई शिक्षा नीति) के अन्तर्गत बहुत सी योजनायें शुरू की गयी हैं जैसे–प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषक समर्थन का राष्ट्रीय कार्यक्रम, महिला समाख्या, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, शिक्षा गारंटी योजना, वैकल्पिक शिक्षा, जनशाला। ये योजनायें एवं कार्यक्रम सर्व शिक्षा अभियान के प्रारूप में एकीकृत थे।

सर्व शिक्षा अभियान के मूलभूत लक्षण हैं :

- **संस्थागत सुधार**–सर्व शिक्षा अभियान के अंग के रूप में केंद्र एवं राज्य सरकारें वितरण प्रणाली की कार्यक्षमता सुधारने के क्रम में सुधारों का दायित्व लेने की अपेक्षा रखती हैं।
- **समुदाय का मालिकाना**–कार्यक्रम प्रभावी विकेंद्रीकरण के माध्यम से विद्यालय-आधारित बाधाओं का समुदाय के मालिकाना को सशक्त करने पर केंद्रित करता है। सर्व शिक्षा अभियान शिक्षकों, अभिभावकों के बीच सहयोग के साथ-साथ समुदाय के प्रति उत्तरदायित्व और स्पष्टता का सामना करता है।
- **संस्थागत क्षमता निर्माण**–सर्व शिक्षा अभियान राष्ट्रीय, राज्य एवं जिला स्तरीय संस्थाओं जैसे–NIEPA/NCERT/NCTE/SCERT/SIEMAT/DIET के लिए एक प्रमुख क्षमता निर्माण भूमिका पर विचार करता है।
- **मुख्यधारा के शैक्षिणक प्रशासन को सुधारना**–सर्व शिक्षा अभियान, सांस्थानिक विकास, नये उपागमों के अनुप्रेरण एवं लागत प्रभावी तथा समर्थ विधियों को अपनाकर मुख्यधारा के शैक्षणिक प्रशासन के सुधार के लिए केंद्रित करता है।
- **योजना की एक इकाई के रूप में अधिवास**–सर्व शिक्षा अभियान योजना की एक इकाई के रूप में निवास के साथ योजना के लिए एक समुदाय आधारित उपागम पर कार्य करता है। निवास की योजनायें जिला की योजनाओं को सूत्रबद्ध करने के लिए मूलाधार हैं।
- **शिक्षकों की भूमिका**–सर्व शिक्षा अभियान शिक्षकों की विवेचनात्मक एवं केंद्रीय

भूमिका को मान्यता प्रदान करता है और उनके विकास की जरूरतों पर लक्ष्य करने का समर्थन करता है। प्रखण्ड संसाधन केंद्रों/क्लस्टर संसाधन केंद्रों को स्थापित करता है, योग्य शिक्षकों की भर्ती करना, पाठ्यचर्या संबंधी सामग्री विकास में भागीदारी के माध्यम से शिक्षक के विकास के लिए अवसरों को प्रदान करना, कक्षाकक्ष प्रक्रिया पर केंद्रित करना एवं शिक्षकों के लिए प्रदर्शन यात्रायें करना ये सभी शिक्षकों के बीच मानवीय संसाधन को विकसित करने के लिए प्रारूपित किये गये हैं।

- **जिला प्रारंभिक शिक्षा योजनायें**–सर्व शिक्षा अभियान के ढाँचा के अनुसार प्रत्येक जिला को प्रारंभिक शिक्षा सेक्टर में अपेक्षित एवं हुए सभी निवेशों को प्रदर्शित करते हुए एक जिला प्रारंभिक शिक्षा योजना तैयार करना अपेक्षित है। प्रत्येक जिला को एक वार्षिक कार्य योजना एवं बजट सृजित करना अपेक्षित है जो उस वर्ष में होने वाली प्राथमिकता वाली गतिविधियों को सूचीबद्ध करेगा।

शिक्षा का अधिकार और सर्व शिक्षा अभियान–2009 में भारत की संसद ने शिक्षा का अधिकार कानून पारित किया जिसके अंतर्गत "6-14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा" एक संवैधानिक प्रतिबद्धता है। सर्व शिक्षा अभियान, शिक्षा के अधिकार कानून के क्रियान्वयन का वाहक बना है जो अनिल बोर्डिया समिति के रिपोर्ट पर आधारित है, सर्व शिक्षा अभियान के दृष्टिकोण, रणनीतियां एवं नियम अब शिक्षा के अधिकार के साथ समंजित हो गये हैं।

8.4 सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत स्थायित निकाय

प्रखण्ड संसाधन केंद्र (BRCs)–ये जिला शिक्षा अधिकारी और प्रखण्ड शिक्षा अधिकारी के साथ निकटता से कार्य करते हैं। एक BRC में 5-7 विशिष्ट कर्मचारी होते हैं जो कलस्टर संसाधन केंद्र (CRC) के साथ समन्वय कर उनकी भूमिकाओं को आगे बढ़ाते हैं।

BRCs की भूमिका

(i) प्रारंभिक विद्यालय शिक्षकों के लिए अन्त: सेवी प्रशिक्षण का आयोजन करना।

(ii) विद्यालयों के कार्यों को व्यवस्थित करने एवं सुधारने में CRC को सहायता प्रदान करना।

(iii) शिक्षा के अधिकार कानून के अंतर्गत प्रावधानों के कार्यान्वयन में NGO, स्थानीय सत्ताओं और योग्य साधन सेवियों के साथ सहयोग करना।

(iv) BRC कर्मचारी सदस्यों को नियमित तौर पर विद्यालयों का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण करना अपेक्षित है। BRC कर्मचारियों द्वारा खोजे गये तथ्य CRC सदस्यों के साथ साझा होते हैं जो उन्हें योजना, प्रशिक्षण एवं शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने में सहायता देते हैं।

क्लस्टर संसाधन केंद्र (CRCs)–ये विद्यालयों के साथ कार्यक्रमों को आयोजित करने वाली सभी शैक्षिक एजेंसियों से प्रत्यक्षत: सम्बद्ध हैं तथा जिला शिक्षा अधिकारी और प्रखण्ड शिक्षा

टिप्पणी

अधिकारी के साथ निकटता से कार्य करते हैं। CRCs मुख्यत: सुसज्जित विद्यालय प्रांगण में स्थित होते हैं जिसमें प्रत्येक केंद्र 15-20 विद्यालयों को एक समन्वयक के अन्तर्गत पोषित करते हैं। CRCs को अतिरिक्त कर्मचारी प्रदान किये जाते हैं जो अधिक विद्यालयों या सुदूर स्थित विद्यालयों को आवृत करते हैं।

CRCs की भूमिका

(a) विद्यालयों का नियमित दौरा करना एवं कक्षाकक्ष स्तर पर शिक्षकों को शैक्षिक सहायता प्रदान करना।

(b) विद्यालयों में बच्चों की आयु के उपयुक्त कक्षाओं में नामांकन सुनिश्चित करना।

(c) शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना, विशेषत: उपचारी शिक्षण और विशेष शिक्षा के क्षेत्रों में।

(d) क्लस्टर से विद्यालयों में बच्चों के नामांकन एवं धारण को प्रोत्साहित करना।

(e) विद्यालय के प्रबंधन समिति, शिक्षकों, अभिभावकों, समुदाय एवं योग्य साधन सेवियों की भागीदारी से विद्यालय के प्रबंधन को सुधारने में अंत:क्रिया करना एवं पहल करना।

8.5 सरकारी एजेंसियों के साथ विद्यालय के पारस्परिक क्रियाओं के उदाहरण

वार्षिक कार्य योजना एवं बजट का सृजन–सर्व शिक्षा अभियान जरूरत आधारित एवं सहभागी योजना का ध्यान रखता है। शिक्षा के अधिकार कानून के खण्ड 21 के अनुसार, असहायता प्राप्त निजी विद्यालयों के अतिरिक्त सभी विद्यालयों में एक विद्यालय प्रबंधन समिति स्थापित होनी चाहिए। एक विद्यालय प्रबंधन समिति को एक विद्यालय विकास योजना सृजित करना अपेक्षित हैं जो विद्यालय द्वारा प्राप्त अनुदानों को आधार बनाता है। योजना कोर टीम द्वारा आगे ले जायी जाती है जिसमें प्रधानअध्यापक, चयनित शिक्षक और अभिभावक तथा NGO के प्रतिनिधि होते हैं। विद्यालय विकास योजना, विद्यालय के प्रभाव क्षेत्र में आने वाले सभी निवासों के संदर्भ में एक सूक्ष्म योजना की प्रक्रिया द्वारा उभरना चाहिए।

विद्यालय विकास योजना प्रखण्ड टीमों की सलाह से क्लस्टर स्तरीय इकाईयों द्वारा मूल्यांकित होगी। जिला इकाई प्रखंड स्तर की योजनाओं का मूल्यांकन करेगी जो जिला स्तरीय योजना का आधार बनेगी। वार्षिक जिला योजना को जरूरत पर आधारित होना चाहिए और उसे रिक्तता एवं उपलब्ध संसाधनों पर अवश्य केंद्रित होना चाहिए। वार्षिक योजनाओं की तैयारी को सभी स्तरों पर क्षमताओं का सृजन अपेक्षित है। जबकि क्षमतायें राष्ट्रीय, राज्य एवं जिला स्तर पर विकसित होनी जरूरी हैं, योजना अभ्यास की गुणवत्ता BRCs एवं CRCs की सहभागिता से अधिक बढ़ेगी। उनकी क्षमतायें प्रभावी योजना के लिए विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा बनी होनी जरूरी हैं।

अनुदानों की प्राप्ति–इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए विद्यालय SSA से विविध अनुदान प्राप्त करते हैं। नीचे विद्यालय द्वारा SSA से प्राप्त कुछ महत्त्वपूर्ण अनुदानों का एक सारांश है:

अनुदान का प्रकार	विवरण	राशि
शिक्षक अनुदान	शिक्षक अनुदान सभी शिक्षकों को वार्षिक आधार पर कम लागत, स्व विकसित एवं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सामग्रियों का उपयोग कर बच्चा केंद्रित आनंद पूर्ण कक्षाकक्ष प्रक्रियाओं को सुसाध्य करने के लिए प्रदान किया जाता है।	प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रत्येक वर्ष प्रत्येक शिक्षक को 500 रुपये।
विद्यालय अनुदान (केवल VEC/SMC द्वारा खर्च किया जाता है)	विद्यालय अनुदान सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों को वार्षिक आधार पर अकार्यात्मक उपकरण को हटाने एवं अन्य अनुवर्ती लागतों जैसे–उपभोग्य, खेल सामग्री, खेल उपकरणों आदि को हटाने के लिए दिया जाता है।	4000 रु. प्रतिवर्ष पूर्व प्राथमिक विद्यालय और 7000 रु. उच्च प्राथमिक विद्यालय को। उच्च प्राथमिक विद्यालय पृथक माने जाते है यद्यपि वे उसी भवन में कार्य कर रहे होते हैं।
विद्यालय रख-रखाव अनुदान (केवल SMC/ VEC के माध्यम से खर्च होता है)	यह वार्षिक रख-रखाव और विद्यालय भवन के मरम्मत तथा अन्य संरचनाओं को बनाये रखने के लिए दिया जाता है।	3 कक्षाओं वाले विद्यालय अधिकतम 5000 रु. प्रतिविद्यालय प्रति वर्ष पाने के योग्य हैं। 3 कक्षाओं से अधिक वाले विद्यालय 10000 रु. प्रतिवर्ष प्रति विद्यालय पाने के योग्य हैं। (शर्त यह है कि सम्पूर्ण 7500 रु. से अधिक प्रति विद्यालय की योग्यता) नहीं है
फर्नीचर (आकलन VEC/SMC द्वारा हो या समान निकाय द्वारा)	फर्नीचर उच्च प्राथमिक विद्यालयों को दिये जाते हैं जिसमें पहले से फर्नीचर नहीं हैं। इसकी निम्न शर्ते हैं: यह अनुदान नये उच्च प्राथमिक विद्यालय द्वारा प्रयुक्त नहीं होंगे। SSA के अंतर्गत 2001 के अंतर्गत 50,000 रु. शुरुआती स्तर पर देने का प्रावधान पहले ही है।	एक समय पर उच्च प्राथमिक सरकारी विद्यालयों में रु. 500 प्रति बच्चा।
पुस्तकालय	प्रावधान केवल सरकारी विद्यालयों के लिए उपलब्ध है जहां पहले से पुस्तकालय उपलब्ध नहीं है। ये अनुदान नये प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए उपलब्ध नहीं है क्योंकि वे इसके लिए TLE अनुदान का उपयोग कर सकते हैं।	रु. 3000 प्राथमिक विद्यालय के लिए रु. 10,000 उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए एक बार। समेकित प्रारंभिक विद्यालयों के मामले में 13000 रु. एक बार दिया जायेगा।

टिप्पणी

विद्यालय का निरीक्षण और समर्थन–प्रत्येक प्रखंड शिक्षा अधिकारी के पास शिक्षा अधिकारी की सहायता के लिए एक आकस्मिक टीम होनी चाहिए जिससे प्रतिवर्ष प्रति विद्यालय कम से कम दो दौरे अपेक्षित होने चाहिए। उन्हें शिक्षकों द्वारा रखे रिकार्डों, विद्यालय के भवन की स्थिति और बच्चों के बैठने की व्यवस्था को देखना चाहिए। उन्हें पेयजल की उपलब्धता, शौचालयों की उपयुक्तता, रसोई जहां मध्याह्न भोजन पकाया जाता है तथा विद्यालय की चारदीवारी सुव्यवस्थित हैं या नहीं पर विशेष ध्यान देना चाहिए।

BRC और CRC कर्मचारियों से विद्यालयों का नियमित दौरा अपेक्षित है और शिक्षकों को पाठ्यगामी समर्थन प्रदान करना–विशेषत: पाठ्यक्रम के साथ प्रगति, तरीका जिनसे पुस्तकें एवं अन्य सामग्रियां बनी हैं, TLM विकसित करने में शिक्षकों की सहायता करना और तरीका जिससे सतत एवं समग्र मूल्यांकन को प्रभावी रखा जाता है।

DISE डाटा का संग्रहण एवं उपयोग–DISE (शिक्षा की जिला सूचना प्रणाली) एक विद्यालय आधारित सांख्यिकीय प्रणाली है। यह National Institute of Educational Planning and Administration (NIEPA) द्वारा 1995 में UNICEF की सहायता से शुरू किया गया था। DISE विद्यालय आधारित परिवर्तनों जैसे, नामांकन (लड़के/लड़कियां/SC/ST) आधारभूत सुविधाओं (पुस्तकालय, लड़कियां/लड़के और साझा शौचालय, खेल का मैदान, पेयजल सुविधा आदि), शिक्षकों की संख्या और पारा शिक्षकों, विद्यार्थियों का प्रवाह, निर्देश का माध्यम आदि पर डाटा उपलब्ध कराता है।

DISE डाटा का एक मूल्यवान साधन है जो प्रत्येक विद्यालय का विद्यार्थियों, शिक्षकों और विद्यालय की आधारभूत संरचना की विस्तृत सूचना रखता है। DISE के माध्यम से संग्रहित डाटा एवं सूचना जिलों और राज्यों के लिए वार्षिक कार्य योजना और बजट तैयार करने में एक मुख्य भूमिका निभाते हैं। डाटा संग्रहण फार्म भरना प्रत्येक विद्यालय के लिए एक निर्णायक गतिविधि है जो DISE का डाटा प्रदान करता है। प्राथमिक विद्यालयों से संग्रहित मौलिक डाटा इसकी पूर्णता के लिए प्रखण्ड शिक्षा अधिकारी/प्रखण्ड संसाधन समन्वयक द्वारा सत्यापित होता है तथा जिला EMIS प्रभारी/DPEP परियोजना समन्वयक को सौंप दिया जाता है। गांव का डाटा भी इसी तरीके से संग्रहित किया जाता एवं जिला को भेज दिया जाता है। डाटा पहले जिला स्तर पर कम्प्यूटर पर डाला जाता है और विश्लेषित किया जाता है। जिला स्तर का डाटा DISE साफ्टवेयर का उपयोग कर जो विशेष रूप से राज्य स्तर के विश्लेषण के तैयार किया गया है, राज्य स्तर पर एकत्र किया जाता है और मुख्य निष्पादन सूचकों की प्रगति की खोज-खबर रखता है।

भर्ती और प्रशिक्षण–केंद्र सरकार ने एक व्यक्ति को एक शिक्षक के रूप में योग्य होने के लिए न्यूनतम योग्यतायें निर्धारित करने के लिए शैक्षिक सत्ता के रूप में 'अध्यापक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय परिषद' को अधिसूचित किया है। शिक्षा एवं प्रशिक्षण की जिला संस्था (DIETs), क्लस्टर संसाधन केंद्र (CRC) तथा प्रखण्ड संसाधन केंद्र (BRC) से शैक्षिक संसाधन केंद्रों के रूप में कार्य करना अपेक्षित है।

DIET में संकाय सेवा पूर्व एवं अंत: सेवी प्रशिक्षण प्रदान करता है। BRC और CRC में समन्वयक अंत: सेवी प्रशिक्षण तथा विद्यालयों को सहायता प्रदान करते हैं।

8.6 अन्य महत्त्वपूर्ण शैक्षिक एजेंसियां

शैक्षिक शोध एवं प्रशिक्षण का राष्ट्रीय परिषद (NCERT)–भारत सरकार द्वारा 1961 में स्थापित यह एक स्वायत्त संगठन है जो विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार को नीतियों एवं कार्यक्रमों पर सहायता एवं सलाह देती है। प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक केंद्रीय अभिकरण के रूप में यह राज्य के शैक्षिक विभागों, विश्वविद्यालयों, NGOs और अन्य शैक्षिक संस्थाओं के नेटवर्क से भी जुड़ता है। इसके उद्देश्य निम्नलिखित हैं :

(a) संसाधन सामग्रियों को तैयार करना एवं प्रकाशित करना जैसे–पाठ्य पुस्तकें, विद्यालयों एवं शिक्षकों के लिए पत्रिकाएं।

(b) नये एवं अभिनव शिक्षण तकनीकों तथा अभ्यासों को विकसित करना।

(c) शिक्षकों के प्रशिक्षण पर पाठ्यक्रमों को आयोजित करना।

NCERT 1988 में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा (NCF) के साथ प्रकट हुआ। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में अभिव्यक्त इच्छा के जवाब में प्रकाशित हुआ था कि शिक्षा-नीति का क्रियान्वयन और शिक्षा में उभरते झुकावों को समय-समय पर पुनरावलोकित होनी चाहिए। बाद में दो NCF, 2000 और 2005 में प्रकाशित हो चुके हैं। NCF पाठ्यचर्या के प्रारूप, पाठ्यपुस्तकों के सृजन और कक्षाकक्ष शिक्षाशास्त्र के लिए एक ढांचा प्रदान करता है।

बच्चों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार कानून, 2009 के अन्तर्गत प्रारंभिक शिक्षा के लिए पाठ्यचर्या और मूल्यांकन प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए तथा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के लिए एक ढांचा निर्धारित करने के लिए NCERT को शैक्षिक सत्ता के रूप में नियुक्त किया गया है।

अध्यापक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय परिषद (NCTE)–यह 1973 में केंद्रीय एवं राज्य सरकारों के लिए अध्यापक शिक्षा से संबंधित सभी मुद्दों पर एक सलाहकार निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। 1986 में सूत्रबद्ध राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत 17 अगस्त, 1995 को NCTE को एक वैधानिक स्थिति दिया गया था। यह कदम अध्यापक शिक्षा की प्रणाली को पूरी तरह सुधार करने के लिए NCTE को सशक्त करने के लिए उठाया गया था। शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत एक व्यक्ति को एक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के लिए न्यूनतम योग्यतायें निर्धारित करने में NCTE को सत्ता के रूप में नियुक्त किया गया है।

NCTE की भूमिका

(a) अध्यापक शिक्षा प्रणाली का नियोजित एवं समन्वित विकास प्राप्त करने के माध्यम से–

टिप्पणी

(i) अंत सेवी प्रशिक्षण कार्यक्रमों की पाठ्यचर्या योजना करना।

(ii) प्रशिक्षण कार्यक्रमों के निरीक्षण करना।

(iii) अध्यापक शिक्षा में नवीन पहलों को करना।

(b) अध्यापक शिक्षा प्रणाली में नियमों एवं मानकों का नियंत्रण और उचित रख-रखाव।

(c) व्यक्तियों को विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तरों पर पढ़ाने के लिए उन्हें सुसज्जित करने के लिए शोध एवं प्रशिक्षण तथा गैर औपचारिक शिक्षा, अंश कालिक शिक्षा, व्यस्क शिक्षा एवं दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों में पढ़ाने के लिए उन्हें सुसज्जित करना।

बाल अधिकारों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग–बाल अधिकारों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग (NCPCR) की स्थापना बाल अधिकारों की सुरक्षा के लिए आयोग कानून, 2005 के अंतर्गत मार्च 2007 में किया गया था। राष्ट्रीय स्तर पर (NCPCR) और राज्य स्तर पर बाल अधिकारों की सुरक्षा के लिए राज्य आयोग (SCPCR) सुनिश्चित करता है कि सभी कानूनों, नीतियों, कार्यक्रमों और प्रशासनिक अभिकरण भारत के संविधान में जैसा स्थापित है बच्चों के अधिकारों के पालन में लगे हैं।

शिक्षा के अधिकार कानून के अंतर्गत NCPCR की भूमिका है:

(a) बच्चों की शिक्षा के अधिकार का निरीक्षण करना।

(b) मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा के बच्चों के अधिकार से संबंधित शिकायतों की जांच करना।

(c) विशेष देखभाल और सुरक्षा की जरूरत वाले बच्चों के साथ-साथ विपत्ति वाले बच्चों, हाशिये पर रखे एवं असहाय बच्चों, कानून द्वारा विवादित बच्चों, किशोरों, बिना परिवार वाले बच्चों एवं कैदियों के बच्चों से संबंधित मुद्दों पर शैक्षिक कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने वाली शिक्षा एजेंसियों एवं अन्य सहभागियों को सलाह देना।

(d) विद्यालयों द्वारा कार्यान्वित होने वाले मानकों एवं नियमों की सिफारिश करना जैसे भेदभाव रोकना, शारीरिक दण्ड रोकना तथा विद्यालय में किसी बच्चे के मानसिक उत्पीड़न को रोकना।

शैक्षिक शोध एवं प्रशिक्षण की राज्य परिषद (SCERT)–इस परिषद का मुख्य कार्य विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार लाना है। इनकी गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य शिक्षकों को शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों और कार्यशालाओं के माध्यम से विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में नवाचारों को लाने से परिचित कराना है। NCERT की मुख्य गतिविधियां हैं :

- शिक्षकों, प्रशासकों एवं शिक्षक प्रशिक्षकों के लिए अंत:सेवी प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना।

टिप्पणी

- नई शिक्षण तकनीकों एवं शिक्षण विधियों को कार्यान्वित करना।
- DIETs के साथ समन्वय करना और मार्गदर्शन प्रदान करना।
- विविध प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए शिक्षण अधिगम सामग्री विकसित करना ताकि यह मुद्रित हो।
- विविध राज्य शिक्षा परिषदों, NCERT, NIEPA के साथ समन्वय करना।

बाल अधिकारों की सुरक्षा के लिए राज्य आयोग–राज्य स्तर पर, बच्चों के अधिकार के उल्लंघन की शिकायतों की जांच करने वाले मुख्य एजेंसी–'बाल अधिकारों की सुरक्षा के लिए राज्य आयोग' है।

बाल अधिकारों की सुरक्षा के लिए आयोग कानून, 2005 के अनुसार प्रत्येक राज्य में SCPCR स्थापित हुआ है। उनसे प्रत्येक राज्य में बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा करना, प्रोन्नत करना और बचाना अपेक्षित है। आयोग में एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं जो बाल कल्याण में पूर्ण पारंगत होते हैं। कम से कम एक महिला सदस्य होनी चाहिए। राज्य आयोग को एक वार्षिक रिपोर्ट राज्य सरकार को शामिल करना अपेक्षित है उसी प्रकार जब एक मुद्दे पर आकस्मिक ध्यान जरूरी होता है तो विशेष रिपोर्टें भी शामिल करता है।

जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी–यह जिला में प्रारंभिक शिक्षा के प्रशासन का प्रभारी है। उसके कुछ कार्य इस प्रकार हैं:

(a) अपने न्यायक्षेत्र के अंतर्गत 14 वर्ष तक के सभी बच्चों का रिकार्ड रखना।

(b) निरीक्षण एवं विद्यालय जांच के माध्यम से सुनिश्चित करना कि जिला में विद्यालय अपेक्षित नियमों एवं मानकों को पूर्ण करें।

(c) जिला में विद्यालयों एवं शिक्षकों के कार्यों का अवलोकन करना।

(d) शिक्षकों की नियुक्ति एवं स्थानान्तरण, शिक्षकों के अनुपात को देखना।

(e) प्रोन्नतियों, शिकायतों, पांचवी कक्षा की परीक्षा, वरिष्ठता एवं स्थायीकरण तथा प्राथमिकता वाले मामलों को देखना।

(f) निजी विद्यालयों के मान्यता को देखना।

(g) शिक्षकों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति को देखना।

(h) सहायता प्राप्त विद्यालयों के अनुदानों को देखना।

शिक्षा एवं प्रशिक्षण की जिला संस्थायें (DIETs)–अध्यापक शिक्षा पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत केंद्रीय सरकार ने अक्टूबर 1989 में DIETs स्थापित करने के लिए कोष आवंटित किया जिन्हें प्रारंभिक एवं व्यस्क शिक्षा के क्षेत्रों में उत्तरदायित्व लेने तथा विविध रणनीतियों एवं

टिप्पणी

कार्यक्रमों की सफलता के लिए सतही स्तर पर शैक्षिक एवं संसाधन की सहायता प्रदान करना है। जिला शिक्षा बोर्ड के अंतर्गत स्थित DIETs राष्ट्रीय, राज्य, मंडल, जिला स्तरों पर शिक्षा एजेंसियों तथा NGOs के साथ निकटता से जुड़े हैं जिनके उद्देश्य एवं हित उनके स्वयं से अभिमुख हैं। DIETs का कार्य वर्षभर और मुख्यत: आवासीय संस्थाओं से होते हैं।

DIETs की भूमिका

(a) सार्वभौमिकरण को प्रोन्नत करना एवं सेवा पूर्व एवं अंत-सेवी शिक्षा के माध्यम से प्रशिक्षण एवं अनुकूलन प्रदान कर प्रारंभिक और व्यस्क शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना। निम्नलिखित समूहों को शिक्षा देना :

(i) प्रारंभिक विद्यालय शिक्षकों को

(ii) प्रधान अध्यापक, विद्यालय समूहों के प्रमुखों तथा प्रखण्ड स्तर के शिक्षा विभाग के अधिकारियों को

(iii) गैर औपचारिक एवं व्यस्क शिक्षा के प्रशिक्षकों एवं पर्यवेक्षकों को

(iv) जिला शिक्षा बोर्ड एवं ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों, समुदाय के नेताओं, युवकों एवं शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत अन्य स्वयंसेवियों को

(b) DIET के अतिरिक्त अन्य केंद्रों पर ऊपर वर्णित समूहों के लिए उपयुक्त कार्यक्रमों को आयोजित करने में साधन सेवियों को लगाना।

(c) जिला में प्रारंभिक एवं व्यस्क शिक्षा प्रणाली को शैक्षिक एवं संसाधन की सहायता प्रदान करना।

(d) प्रारंभिक एवं व्यस्क शिक्षा के क्षेत्रों में उद्देश्यों को प्राप्त करने में जिला की विशिष्ट समस्याओं के साथ लड़ने के लिए कार्य आधारित शोध करना।

8.7 स्वैच्छिक एजेंसियों की भूमिका

स्वैच्छिक एजेंसियों/NGOs शिक्षा के प्रसार में सार्थक भूमिका निभा रहे हैं यहां तक कि जब SSA और शिक्षा का अधिकार कानून प्रवर्तित हुए थे उससे पहले। स्वैच्छिक एजेंसियों द्वारा किये गये प्रयासों को पहचानना, SSA ने सभी क्रियात्मक स्तरों पर उसके उद्देश्यों को कार्यान्वित करने में स्वैच्छिक एजेंसियों को लगाने का प्रयास किया। वर्तमान भागीदारियां जो सफलतापूर्वक चल रही हैं जारी रहेंगी और भागीदारी के नये क्षेत्रों को खोजा जा रहा है।

जरूरत आधारित शैक्षिक कार्यक्रमों को चलाकर NGOs द्वारा शिक्षा के प्रसार में किये गये पहल सराहनीय हैं। स्वैच्छिक एजेंसियों की भूमिका है:

(a) विद्यालय प्रबंधन समितियों (SMCs) एवं पंचायती राज संस्थाओं के क्षमता निर्माण एवं नियमित प्रशिक्षण।

(b) शिक्षा नीतियों, नियोजन, कार्यान्वयन पर शोध एवं SSA द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रमों का प्रभाव देखना।

(c) विद्यालयों, प्रशिक्षण केंद्रों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, पाठ्यचर्या एवं मूल्यांकन तकनीकों का निरीक्षण एवं मूल्यांकन।

(d) शिक्षकों के उत्पीड़न को रोकना और उन्हें अपने कर्तव्यों के उचित निर्वाह में समर्थ करना।

(e) कार्यक्रमों का क्रियान्वयन जैसे–शिक्षा गारंटी योजना (EGS), वैकल्पिक शिक्षा, उपचारी शिक्षा, गैर आवासीय ब्रिज कोर्स, तथा आवासीय बिज कोर्स (ग्रामीण, शहरी एवं जनजातीय क्षेत्रों में)।

(f) विद्यालयों में बच्चों के धारण और नामांकन को बढ़ाने के लिए समाज एवं समुदाय को गतिशील करना, विशेष रूप से लड़कियों, अल्पसंख्यकों, तथा समाज के कमजोर एवं अशक्त खण्डों के बच्चों के।

(g) समुदायों एवं विद्यालयों में बच्चों के बीच स्वास्थ्य, सफाई एवं स्वच्छता कार्यक्रमों को प्रोन्नत करना।

(h) अशक्त बच्चों, विशेष जरूरतों वाले बच्चों की एकीकृत शिक्षा को सुसाध्य करने में विशिष्ट सहायता प्रदान करना।

(i) सुनिश्चित करना कि विद्यालयों एवं समुदायों के कार्य भेदभाव रहित हों तथा प्रकृति में ध र्म निरपेक्ष हों।

(j) उनकी शिकायतों के उचित समाधान में विद्यालयों/समुदायों/अभिभावकों का मार्गदर्शन करना।

8.8 प्रधान शिक्षकों की भूमिका एवं शिक्षक बनाम समाज

शिक्षा समाज और इसकी प्रगति में सहायकों को सुधारने में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गुणवत्ता युक्त आधारभूत शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा) की उपलब्धता सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण को प्रोन्नत करने में सहायक है। चूंकि प्रधान शिक्षकों और शिक्षकों की भूमिका शिक्षा प्रदान करने में समाज में विवेचनीय है। इसलिए शिक्षा का अधिकार शिक्षक की भर्ती, योग्यता, प्रशिक्षण और प्रेरणा पर बहुत अधिक बल डालता है। कानून स्पष्टता से शिक्षकों की भूमिका तथा उत्तरदायित्वों की विद्यालयों और समुदायों दोनों में रूपरेखा भी प्रस्तुत करता है।

(a) विद्यालय की गतिविधियों का प्रबंधन करने में और शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने में समाज की भागीदारी को प्रोत्साहित करना।

(b) बच्चों/विद्यालय की प्रगति पर अभिभावकों/समुदाय को नियत करना।

(c) विद्यालयों में बच्चों के नामांकन और धारण को बढ़ाने में अभिभावकों एवं समुदाय के

टिप्पणी

सदस्यों को शामिल करना तथा विद्यालय छोड़ने की दर को कम करना विशेषत: समाज के कमजोर एवं वंचित वर्गों से संबद्ध बच्चों की।

(d) समाज में लैंगिक समानता और धर्मनिरपेक्षता को प्रोन्नत करना तथा बाल अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना।

(e) सरकार एवं अन्य एजेंसियों द्वारा चलाये जा रहे योजनाओं एवं कानूनों के बारे में जागरूकता सृजित करना जो कि समाज के सदस्यों के लिए लाभप्रद हो सके।

(f) समाज के लोगों की जरूरतों को समझने और उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई, सुरक्षा और स्वच्छता से संबंधित सुझावों को देकर सामाजिक गतिविधियों और अभिभावक/समुदाय सभा के माध्यम से समाज के सदस्यों के साथ अंत:क्रिया करना।

(g) सामाजिक सामंजस्य सुसाध्य करने के लिए समाज और स्थानीय सत्ताओं के साथ गतिविधियों में सहयोग एवं समन्वय करना।

8.9 सारांश

भारत में शिक्षा को बेहतर बनाने हेतु बहुत से कानून तथा नीतियां बनाई गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीतियाँ (1968 और 1986) तथा कार्य योजना (1992) सभी में प्राथमिक शिक्षा के सार्वविकीकरण हेतु सिफारिशें दी गई। प्राथमिक शिक्षा के सार्वविकीकरण हेतु बहुत से कार्यक्रम जैसे ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड, मिड-डे-मील, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम इत्यादि बहुत से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन को पारित किया गया जिसके अन्तर्गत आयु वर्ग 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा को निशुल्क एवं अनिवार्य बनाने का प्रावधान किया गया। इस संशोधन को मूर्तरूप देने के लिए वर्ष 2009 में संसद द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित किया गया तथा यह कानून 1 अप्रैल 2010 को लागू हो गया। विद्यालयों की विभिन्न सरकारी संस्थानों/एजेंसियों के साथ अन्तक्रिया के बहुत से उदाहरण हैं। वार्षिक कार्य योजना तथा बजट बनाना, अनुदान/सहायता प्रदान करना, मोनिटरिंग एवं सहायता करना, DISE डांटा का संकलन एवं उपयोग करना, भर्ती तथा प्रशिक्षण इत्यादि अन्तक्रिया के बहुत से उदाहरण हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (NCERT), राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (SCERT), राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE), राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार अधिनियम (NCPCR), राज्य बाल संरक्षण अधिकार अधिनियम (SCPCR) इत्यादि कुछ महत्वपूर्व एजेंसियाँ हैं। चूंकि शिक्षा, समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है अत: शिक्षा के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की प्राप्ति में स्वैच्छिक एजेंसियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

8.10 संदर्भ ग्रंथ एवं कुछ उपयोगी पुस्तकें

- Role of various agencies under Sarva Siksha Abhiyan. http://ssa.nic.in/Accessed on 26th November, 2011.
- Relationship between Right to Education and Sarva Siksha Abhiyan. RTE_SSA_Final Report (1)
- Overview of the education system in India. http://www.education.nic.in Accessed on 26th Nov. 2011.
- Role of voluntary organizations in helping schools and governments in implementing the programmes under Sarva Siksha Abhiyan. www.pratham.org. Accessed on 1st December 2011.
- Sample of DISE report card and how it can be utilized by teachers. http://www.dise.in/Accessed on 2nd December 2011.
- About NCERT's role in elementary education. http://aises,nic.in/aboutncert Accessed on 1st December 2011.
- CHENNAI, October 20, 2011, Grievance redress mechanism for child rights cases soon. http://www.thehindu.com/news/cities/Chennai/article2554381.ece
- http://www.childlineindia.org.in/State-Commission-on-the-Protection-of-Child-Rights.htm
- www.schoolreportcards.in/Aboutdise.html Accessed on 7th December 2011.
- Responsibilities of School, http://rtemonitoringcell.info/rte-primer-responsibilities-of-schools/ Accessed on 7th December 2011.
- District Elementary Education Office, http://ludhiana.nic.in/dept/dept_deo_ele.html Accessed on 7th December 2011.

8.11 अन्त्य इकाई अभ्यास

1. सर्वशिक्षा अभियान की आधारभूत विशेषताओं की चर्चा कीजिए।
2. संकुल संसाधन केन्द्रों (CRCs) की भूमिका का वर्णन कीजिए।
3. निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए:
   - NCERT
   - NCTE
   - SCERT
   - DIET